खण्ड-428, अंक-9
सोमवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(22 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास (जारी)	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1–12
नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास	12-13
प्रश्नोत्तर	13–77
सदन में गणपूर्ति के अभाव से सदन की कार्यवाही विलम्ब से प्रारम्भ होने तथा प्रश्नकाल के समय में कटौती होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	77-78
सदन की सेवा से निलम्बित सदस्यों के निलम्बन वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	78–88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	89
आगरा महानगर के सभी मुख्य मार्गों व गली मुहल्लों की स्ट्रीट लाइट ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	89
जनपद बागपत के कतिपय ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89-90
मिर्जापुर नगर में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत नगर की अधूरी सीवर व्यवस्था पूर्ण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
माया बाजार टाण्डा मार्ग जनपद अम्बेदकर नगर की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	90-91
विधायक निधि में प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अवमुक्त 25 लाख रुपये की धनराशि को 31 मार्च तक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	91-93
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, स०वि०स० गाजीपुर की जिला कारागार से रिहायी की सूचना	93
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	93–108
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	108–122
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	122-123
श्री प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ में ए०आर०वी० के इन्जेक्शनों के अभाव में हो रही अकाल मृत्यु तथा नागरिकों के आर्थिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	123-125

विषय				पृष्ठ संख्या
प्रदेश में शस्त्र नवीनीकरण हेतु बढ़ाये गये स्टाम्प शुल्क पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद बढ़ी हुई दरों पर स्टाम्प शुल्क लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		125
जनपद मथुरा की सदर तहसील के गोवर्धन ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भगोसा में भू-माफियाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		126
नत्थी	...	...	...	127-128

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक कुमार सिंह श्री	रायबरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुईउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन [illegible] सेठ	आगरा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
कैलाश, श्री	गाजीपुर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चौधरी नरेन्द्र सिंह , श्री	कानपुर देहात
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
रमेश राही, श्री	सीतापुर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
रामजग, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू" श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

विश्वनाथ, श्री	पडरौना
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवाकान्त , श्री	प्रतापगढ़
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
संरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर,	मुरादाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र "हरीश जी", श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरी नियम 311 में एक सूचना है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सूचनाओं को मैंने निरस्त कर दिया है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सुन लें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, अन्याय हो रहा है, इस महत्वपूर्ण सूचना को आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास सूचना की प्रति होगी । जरा उसको पढ़ें और उसकी अंतिम 2 पंक्तियों को विशेष रूप से पढ़िये । अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा करना चाहते हैं । यह सूचना नियम 311 में नहीं आती है । आप संगत नियम में दें ।

प्रश्नोत्तर

(अल्प० ता० प्र० सं०–1 पुकारा गया ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 और 2 (नत्थी–क), तारांकित प्रश्न संख्या–1, 6, 7, 9 व 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य मा० अध्यक्ष द्वारा प्रश्नोत्तर के लिये पुकारे जाने पर अनुपस्थित रहे)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में आलू और प्याज की पैदावार बढ़ाने और किसानों को उसका समुचित मूल्य दिलाये जाने की सरकार की योजना

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू और प्याज की पैदावार बढ़ाने और किसानों को उसका समुचित मूल्य दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो गत वर्ष आलू और प्याज की कीमत में हुई बेतहाशा

टिप्पणी–* मा० सदस्य के उपस्थित होने पर यह प्रश्न नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या–17 के पश्चात् लिया गया ।

वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कोई वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायन)–

वर्ष 1998-99 में प्रदेश में आलू और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता के क्रमशः 22336.00 कुन्तल एवं 56 किलो बीज वितरण कराने के साथ ही तकनीकी परामर्श सुलभ कराया गया तथा आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास किये गये । खरीफ मौसम में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्याज के गुणात्मक उत्पादन की योजना भी विचाराधीन है । यदि मौसम की अनुकूलता बनी रही तो प्रदेश में इस वर्ष 95 लाख टन आलू और 3.88 लाख टन प्याज उत्पादन अनुमानित है । किसानों को समुचित मूल्य मिल सके इसके लिये व्यवस्थित भण्डारण पर विशेष बल दिया जा रहा है । नये बन्द पड़े शीतगृहों को संचालित कराने के लिये सरकार विशेष प्रयासरत है ।

प्रदेश में इस वर्ष आलू और प्याज का उत्पादन सामान्य से अधिक सम्भावित होने से कीमतों में कथित बेतहाशा वृद्धि अनुमानित नहीं है अतएव वैकल्पिक उपाय का प्रश्न नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पण्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आलू और प्याज की पैदावार बढ़ाने और किसानों को उसका समुचित मूल्य दिये जाने को सरकार की क्या योजना है, इसको बताने की कृपा करें ।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, योजना है कि अधिक से अधिक आलू का निर्यात हो और दूसरे भण्डारण की योजना है जिससे आलू प्रदेश के बाहर भेजा जा सके । मुझे खुशी है कुल मिलाकर 27 लाख टन आलू जमीन से निकल चुका है और कुल उत्पादन 95 लाख टन आलू होने की आशा है । मान्यवर, जिस गति से आलू जा रहा है उससे भण्डारण की समस्या नहीं आएगी ।

श्री समरपाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों सभी को मालूम है कि आलू 20 रु० किलो बिका । इसलिये जब किसानों की फसल तैयार होती है तो पैदावार के दाम न्यूनतम हो जाते हैं । इसलिये इस संभावना को देखते हुये मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे और सरकारी खरीद करेंगे । मान्यवर, आप देखें आज आलू डेढ़ और 2 रु० किलो बिक रहा है इसलिये सरकार अपने वादे के अनुसार क्या आलू की सरकारी खरीद करेगी और आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

चूंकि इस समय आलू प्याज सस्ता हो गया है इसलिये क्या चुनाव करा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह चीज इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे कहा जाए । मान्यवर, जब किसान के यहां फसल होती है तो सस्ती हो जाती है । इसलिये आप देखें, उत्पादन किस प्रकार हुआ । हमारे पास आंकड़ा है जिसे आप देखें तो वर्ष 1996-97 में 95.91 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ और 97-98 में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह घटकर 67.97 लाख टन ही रह गया । इसलिये कम उत्पादन के कारण अप्रत्यासित भाव बढ़े थे । इसलिये उत्पादन में गिरावट के कारण आलू के दामों में वृद्धि हुई थी । बिहार और बंगाल में जो आलू के उत्पादन क्षेत्र हैं सभी जगह गिरावट आयी थी, इसलिये यह स्थिति उस समय थी ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आलू और प्याज का सरकार की निगाह में समुचित मूल्य क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, समुचित मूल्य दो हैं । एक तो किसान को अधिक से अधिक उत्पादित वस्तु का पैसा मिल जाए और दूसरे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर वह सामान मिल जाए ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, किसानों और जनता दोनों के हितों के बीच में सामंजस्य संतुलन बैठाना पड़ेगा । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कभी उपज कम होती है और कभी ज्यादा होती है, जैसे आप गेहूं का बफर स्टाक करते हैं इसी प्रकार से क्या कुछ कोल्ड स्टोरेज आरक्षित करके प्रत्येक वर्ष आलू और प्याज का बफर स्टाक रखने की कोई योजना बनायी है ? जिससे बाजार में इनके मूल्य न अधिक हों और न कम हो जिससे न किसानों और न जनता को कोई कष्ट हो । क्या सरकार की कुछ कोल्ड स्टोरेज आलू और प्याज के लिये आरक्षित करके इन जिंस की कीमतों को उचित स्तर पर रखने की कोई योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

योजना के संक्षेप में उल्लेख पहले भी किया था । जो हमारे शीतगृह हैं उनमें रखने का उद्देश्य यह है कि कृषकों को कोई दिक्कत न आये और आलू को सड़क पर फेंकना न पड़े ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बफर स्टाक के बारे में पूछा है ?

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 1060 शीतगृह हैं जिसमें प्रयास है कि 47 लाख मीट्रिक टन आलू का भण्डारण हो जाये । इतना भण्डारण हो जायेगा तो यह बफर स्टाक के रूप में रहेगा ।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या सरकार बफर स्टाक रखेगी ? अगर रखेगी तो उसकी कीमतें कैसे तय होंगी ?

श्री अध्यक्ष–

कौकब हमीद जी आप प्रश्न पूछें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, क्या सरकार आलू का समर्थन मूल्य देने की घोषणा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसा कोई विचार आपके सामने नहीं है जिससे समर्थन मूल्य घोषित कर सके । मैंने व्यवस्था की है कि आलू के दाम उत्पादक को ठीक मिल सके, हमनें भण्डारण और निर्यात की व्यवस्था की है । हमने सारे बन्द शीतगृहों को चलवा दिया जिनकी उम्मीद नहीं थी और उनसे बातचीत करके रेट भी तय करा दिये, इससे ज्यादा प्रयास क्या हो सकता है ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । यह सरकार किसान विरोधी है इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद जी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, लिखित प्रश्न पूछे जाने के बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी टाल-मटोल करके जबाव दे रहे हैं । आलू डेढ़ रुपया किलो बिक रहा है । यह सरकार किसानों के हितों की उपेक्षा कर रही है । इसके किसानों के नीति विरोधी रवैये को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद कुमार–

चूंकि माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

प्रदेश में खेल प्रतिभा पलायन रोकने, खेल सुविधाओं में वृद्धि तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में लिये जाने विषयक सरकारी कार्य योजना की जानकारी

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में खेल प्रतिभा पलायन को रोकने, खेल की सुविधाओं में वृद्धि तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में लिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

केन्द्रीय खेल नीति के अनुरूप ही प्रदेश में खेल नीति बनायी जा रही है जिसके द्वारा राज्य से होने वाले प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश तथा खेल की सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि करते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में लिये जाने की व्यापक कार्य योजना तैयार हो रही है । उसी दिशा में पहल करने की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुलिस सेवा में लिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–01/6-पु–10-98, दिनांक 2 जनवरी, 1999 निर्गत किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिप्पणी–* मा० सदस्य के उपस्थित होने पर यह प्रश्न नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न सं०–17 के पश्चात् लिया गया ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैंने इस संबंध में एक प्रश्न किया था उसका उत्तर भी करीब-करीब यही आया था कि व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। इस बार यह उत्तर आया है कि केन्द्रीय खेल नीति के अनुरूप ही प्रदेश में खेल नीति बनायी जा रही है। तो केन्द्रीय खेल नीति क्या है ? दूसरी बात यह है कि जो योजना बनाई जा रही है यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और उसके प्रमुख बिन्दु क्या होंगे ? जिस पर विचार चल रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि एक शसानादेश की बात कही गई है जो पुलिस विभाग के लिये है बाकी विभागों की सरकारी सेवाओं के लिये जाने हेतु कब शासनादेश निर्गत करेंगे ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि पहले की तरह ही उत्तर है। पहले के उत्तर में कभी यह नहीं आया था कि प्रदेश सरकार ने नेशनल और इन्टरनेशनल खिलाड़ियों के लिये सीधे भरती का प्राविधान कभी नहीं किया। पहली बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि नेशनल और इन्टरनेशनल खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण पुलिस विभाग में दिया जाएगा एवं लम्बाई, सीने, वजन एवं शिक्षा में छूट दी जाएगी। सिर्फ मेडल के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात खेल नीति के संबंध में की है खेल नीति शीघ्र बनाकर हम जारी करने जा रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वह खेल नीति कब तक बनकर तैयार हो जायेगी और उसमें प्रमुख विचारणीय बिन्दु क्या हैं जिस पर विचार चल रहा है ? दूसरे केन्द्रीय खेल नीति क्या है जिसके अनुरूप आप खेल नीति बनाने जा रहे हैं ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जहां तक प्रदेश की खेल नीति का प्रश्न है उसमें आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाब ओरियन्टेड की दिशा में सकारात्मक पहल सरकार नीति के माध्यम से करने जा रही है। जहां तक विभिन्न विभागों में नौकरी की बात की है पहली बार सरकार ने 28 अगस्त, 1998 को एक शासनादेश जारी किया है जिसमें नेशनल और इन्टरनेशनल खिलाड़ियों को प्रत्येक विभाग में पांच नम्बर के मार्क अलग से प्राधिकृत किये गये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

केन्द्रीय खेल नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

केन्द्रीय खेल नीति की बात माननीय सदस्य ने की है। बाकी जब खेल नीति बन जाएगी तो सामने आएगी ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, पुलिस विभाग में जो शासनादेश जारी हुआ है उसी प्रकार का शासनादेश अन्य विभागों में कब तक जारी हो जाएगा ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण छात्र/छात्राओं के खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिये कोई कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है। दूसरा, इस संदर्भ में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

भ्रष्टाचार के बारे में अलग से प्रश्न कीजिये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पहली बार प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये और प्रदेश के खिलाड़ियों के पलायन को रोकने के लिये पुलिस विभाग में सीधी भर्ती करने का शासनादेश दिया । यदि पुलिस विभाग में इस प्रकार का शासनादेश सरकार कर सकती है तो इसी प्रकार का शासनादेश अन्य विभागों में करने पर सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि इसी सरकार ने अन्य विभागों के लिये भी शासनादेश निर्गत किया है । राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 5 नम्बर अलग से देने का प्राविधान अन्य विभागों में किया गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यदि पुलिस विभाग में भी 5 नम्बर अलग से देने का शासनादेश हुआ है तो हमें कुछ नहीं कहना है । अगर पुलिस विभाग में जारी हुए शासनादेश का स्वरूप अलग है तो उसी स्वरूप का शासनादेश अन्य विभागों में जारी करने में शासन को क्या परेशानी है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, पुलिस विभाग का निश्चित रूप से अलग है । वहां पर शासन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है । पुलिस विभाग में निश्चित रूप से मैडल के आधार पर जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, किसी के पास कोई मैडल है तो उसको सीधे भर्ती करने का प्राविधान है । जहां तक दूसरे विभागों का प्रश्न है वहां पर भी 5 नम्बर अलग से देने का प्राविधान किया गया है । यह भी इसी सरकार का निर्णय है । यह इस सरकार की सकारात्मक पहल है कि कैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके और कैसे इस प्रदेश को खेल प्रेमी बनाया जा सके ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री डंग जी का यह प्रश्न है कि पुलिस विभाग में आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है और एक शासनादेश जारी किया है । जो सुविधायें आप पुलिस विभाग में दे रहे हैं क्या उसी प्रकार की सुविधायें आप दूसरे विभाग में क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ? इसमें क्या कोई बाधा है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, पहले तो मैडल की संख्या के आधार पर है । फिर भी हमारे प्रदेश का कोई खिलाड़ी बचता है तो मैडल्स के आधार पर, माननीय मुख्य मंत्री जी पहले भी घोषणा कर चुके हैं, इस सरकार की मन्शा साफ है । मन्शा यह है कि खिलाड़ियों के पलायन की दृष्टि से सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि पिछले अनेक वर्षों से सरकार की तरफ से उत्तर सुनते चले आ रहे हैं कि एक खेल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नीति बनाई जा रही है । गत वर्ष भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि खेल नीति बनाई जा रही है । यह खेल नीति कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, इसकी समय सीमा बता दें । पिछले साल माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि आपने प्रदेश से खेल प्रतिनिधियों के पलायन को रोकेंगे । हमारे प्रदेश के अन्दर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कितने खिलाड़ियों को वर्ष 1998-99 में पुरस्कृत किया है । तीसरा प्रश्न यह है कि जो विद्यार्थी और स्टूडेन्ट हैं जो नेशनल जूनियर और सीनियर में खेल चुके हैं उनको क्या प्रोत्साहन दिया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय समर पाल जी ने छोटे-छोटे तीन सवाल किये हैं पहले तो यह कि खेल नीति कब तक बनकर तैयार हो जायेगी । गत वर्ष आपके कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, इसकी सूचना हो तो बता दें ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जैसा कि भाई समरपाल जी ने कहा । वे स्वयं खेल प्रेमी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि खेल नीति का जहां तक प्रश्न है । बहुत गम्भीरता से सरकार इस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस नीति को जारी करेगी । जहां तक खेल प्रतिस्पर्धाओं को पुरस्कृत करने की बात है । मैंने पहले भी कहा और आज भी कहूंगा कि सरकार प्रदेश को खेल प्रेमी बनाने के लिये यहां से खिलाड़ियों के पलायन को रोकने के लिये कटिबद्ध है और यह इस सरकार ने पहली बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में पुरस्कृत किया । पहली बार इस सरकार ने इस तरह का कार्य किया है और किसी ने नहीं किया था । आज प्रदेश की स्थिति खेलों में काफी सुधरी है और यही कारण है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को 6 मेडिल एशियाड में मिले हैं । इससे पहले कभी नहीं मिले । आज भी यह इस सरकार की सफलता का कारण है कि सीमित संसाधन होते हुए असीमित लक्ष्य मानते हुए हमने चुनौतियों को कबूल करते हुए नेशनल खेलों में भी हमारी सकारात्मक भूमिका रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन तथा भयमुक्त समाज की अवधारणा को कार्यरूप देने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पुलिस बल बढ़ाये जाने के संबंध में जानकारी

* 2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के संचालन हेतु पुलिस बल को कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि उक्त मानक के अनुसार प्रदेश में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या "भयमुक्त समाज" की सरकार की अवधारणा को कार्यरूप देने के लिये प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाये जाने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

टिप्पणी–* मा० सदस्य के उपस्थित होने पर यह प्रश्न सूची 'ध' के तारांकित प्रश्न संख्या–17 के पश्चात् लिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

(1) उ० प्र० पुलिस आयोग वर्ष 1960-61 की संस्तुतियों के आधार पर यथा शहरी क्षेत्र में 50,000 की जनसंख्या तथा देहाती क्षेत्र 75,000 से 90,000 तक की जनसंख्या पर एक थाने की स्थापना का प्राविधान है । प्रत्येक थाने के संचालनार्थ उपनिरीक्षक–2, हेड कां०-1 तथा कां०–14 की जनशक्ति प्राविधानित की जाती है ।

(2) रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का मानक उपनिरीक्षक–1, हेड कां०–2, कां०–14 एवं संचार व्यवस्था हेतु रेडियो आपरेटर का एक पद निर्धारित है ।

(3) साधारण चौकी हेतु हेड कां०–1 व कां०–4 का मानक निर्धारित है ।

(4) वाच एवं वार्ड स्टाफ

शहरी क्षेत्र की जनसंख्या	हेड कां०	कां०
1–5000 से 10,000 तक	1	6
2–10,000 से 25,000 तक	–	1 (प्रति 1000 की जनसंख्या पर)
3–25,000 से अधिक	–	1 (प्रति 700 की जनसंख्या पर)
4–1 लाख से अधिक जनसंख्या पर		6 कां० पर 1 हेड कां० व 3 हेड कां० पर 1 उपनिरीक्षक की गणना की जाती है ।

जी हां ।

आवश्यकता एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पुलिस बल समय-समय पर बढ़ाया जाता है । इसके अतिरिक्त पुलिस तंत्र को आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से सुसज्जित करने तथा कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने की कार्य योजना है । प्रदेश में कम्यूनिटी पुलिसिंग की सुदृढ़ व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है ताकि पुलिस वास्तविक रूप से समाज के अंग के रूप में कार्य कर सके और जनता के सहयोग से अधिक प्रभावी अपराध नियंत्रण कर सकें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मैंने प्रश्न किया है कि क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के संचालन हेतु पुलिस बल का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि उक्त मानक के अनुसार प्रदेश में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है माननीय मुख्य मंत्री जी ने आंकड़ों के आधार पर इसको बताया है लेकिन यह नहीं बताया कि कमी कितनी है ? मैं जानना चाहता हूं पुलिस बल की कितनी कमी है और सरकार उसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह कमी जनसंख्या के आधार पर होती है जनसंख्या के अनुसार मानक बनाये जाते हैं। तीन हजार सब इंस्पेक्टर और दो हजार सिपाहियों की भर्ती की है और कोई जानकारी चाहते हों तो पूछ लें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मानकों के अनुसार थाने हैं ? थानों की कितनी कमी है यह बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

दो हजार थाने होने चाहिये एक हजार 447 थाने हैं 553 थानों की कमी है।

श्री राजधारी–

मानक के अनुसार थानों की कमी के बारे में कहा, तो इस कमी को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, काफी हद तक मानक पूरा कर लिया है थानों में मानक निर्धारित है। सिपाही के, दीवान के और उप निरीक्षक के पद भर चुके हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से थानों का मानक भी बढ़ेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने एक मानक बताया कितनी जनसंख्या पर थाना होगा। सब इन्सपेक्टर, कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल कितने होंगे यह बताया मैं यह जानना चाहता हूं क्या इस मानक के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मानक का अनुपालन हो रहा है ? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस बल ज्यादा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस बल कम है ?

श्री हुकुम सिंह–

पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं हो पाएगी मैं आपको जानकारी दे दूं हमारे पास कुल स्वीकृत पद इंस्पेक्टर के हैं वह 1290 हैं और 1290 कार्यरत हैं। उप निरीक्षक के 10,998 हैं जबकि 10,983 कार्यरत हैं इसमें ज्यादा कमी नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं यह जानकारी चाहता हूं इन्होंने मानक बताते हुए कहा तो मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकरूपता है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मूल प्रश्न के बारे में उत्तर दिया है जिसमें पूरे प्रदेश को एक इकाई मानकर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

जनसंख्या पर आधारित है जैसे जनसंख्या होगी उसके अनुसार मानक होगा।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू पूरे प्रदेश के बारे में मानक बता दिया तो क्या माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के अन्दर कुछ स्थानों को चिन्हित करके जहां ज्यादा क्राइम हो रहे हैं वहां मानक से ज्यादा पुलिस बल देने की योजना बनाई है ?

श्री हुकुम सिंह–

जहां ऐसी स्थिति है वहां विशेष टास्क फोर्स, विशेष बल दल बनाया गया है वहां के लिये विशेष व्यवस्था की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[राज्य सरकार से असंबद्ध होने के कारण निरस्त]

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में टैम्पो से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को दूर करने के संबंध में जानकारी

*1–कुं० रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि टैम्पो से लखनऊ में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है और जितना वायु प्रदूषण होना चाहिये उससे कहीं ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया ? उसके प्रदूषण को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी हां ।

लखनऊ महानगर में टैम्पो से उत्पन्न वायु प्रदूषण को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :–

1–तिपहिया टैक्सियो/टैम्पो द्वारा मार्ग/क्षेत्र विशेष में केन्द्रित होकर संचालित होने से उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के घनत्व को कम करने तथा ट्रैफिक जाम जैसी समस्या के निराकरण हेतु लखनऊ महानगर को 4 सेक्टर में बांटा गया है तथा प्रत्येक सेक्टर के मार्गों का निर्धारण किया गया है ।

2–महानगर की सीमा में संचालित टैम्पो/टैक्सियों की आयु सीमा आठ वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गयी है । पांच वर्ष से अधिक आयु वाले टैम्पो/टैक्सियां नगर से बाहर कर दिये गये हैं ।

3–महानगर में संचालित होने वाले कुल टैम्पो/टैक्सियों की संख्या 5050 निश्चित कर दी गई है ।

4–वर्तमान में संचालित टैम्पो/टैक्सियों के प्रदूषण की सामान्य जांच के साथ-साथ इसके लिये विशेष अभियान भी चलाये गये हैं ।

5–निजी क्षेत्र में भी प्रदूषण जांच की व्यवस्था की गयी है ।

6–महानगर में नगर बस सेवा भी शीघ्र संचालित किये जाने पर शासन द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

*2–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*3–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*4–श्री राम पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*5–अम्बरीष कुमार–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला टिहरी गढ़वाल में विगत तीन वर्षों से बाढ़ से क्षतिग्रस्त पनचक्कियों की संख्या तथा उन्हें लघु उद्योग का दर्जा दिये जाने के संबंध में जानकारी

*6–श्री लाखी राम जोशी (अनुपस्थित)–

क्या अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टेहरी गढ़वाल में पिछले तीन वर्षों से नदियों में आई बाढ़ से कितनी पनचक्कियां बह कर नष्ट हुई हैं ? क्या सरकार पनचक्कियों को लघु उद्योग का दर्जा देकर उन्हें पुनः स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जिला टिहरी गढ़वाल में विगत तीन (03) वर्षों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से कुल 131 पनचक्कियां पूर्ण रूप से एवं 25 पनचक्कियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं ।

जी नहीं ।

पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिये जाने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है ।

सहकारी समितियों में कार्यरत आंकिक, विक्रेता, सहयोगी, चौकीदार के लम्बित वेतन का भुगतान किये जाने की जानकारी

*7–डा० धर्मज्ञ मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी समितियों में कार्यरत आंकिक, विक्रेता, सहयोगी, चौकीदार को लगभग चौबीस माहों से वेतन न मिलने के कारण वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? क्या समितियों के इन कर्मचारियों को विगत वर्षों के लम्बित वेतन का भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जिन सहकारी समितियों में व्यवसाय कम है और कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं उनमें कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है । किसी कर्मचारी की भुखमरी की कोई सूचना नहीं है ।

समितियों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का पूर्ण दायित्व सहकारी समितियों का है ।

समितियों के व्यवसाय में वृद्धि हेतु मार्गदर्शन दिया गया है जो समितियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके सक्षम होने पर ही लम्बित वेतन भुगतान किया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

उ० प्र० आवश्यक वस्तु निगम में वर्ष 1987 से 1990 के मध्य नियुक्त सीजनल मार्केटिंग इन्सपेक्टर को विभाग में समायोजित किये जाने के संबंध में जानकारी

*9–श्री राजेश कुमार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम में वर्ष 1987 से 1990 के मध्य क्या मारकेटिंग इंस्पेक्टर के पद पर सीजनल नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या उन्हें विभाग में समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1987 से 1990 के मध्य सीजनल मार्केटिंग इन्सपेक्टर निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किये गये थे।

जी नहीं।

निगम में सीजनल मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद सृजित नहीं हैं। अतः इनका समायोजन नहीं किया जा सकता है।

त्वरित एवं निष्पक्ष जांच हेतु सी० बी० आई० पैटर्न पर स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन संस्था के गठन के संबंध में सरकार द्वारा विचार

*10–श्री श्यामदेव राय चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या त्वरित एवं निष्पक्ष जांच हेतु कार्य की अधिकता को देखते हुये सी० बी० आई० के पैटर्न पर स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन संस्था के गठन पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा आर्थिक अपराध संगठन जैसी संस्थाओं द्वारा निष्पक्ष जांच का कार्य किया जा रहा है। अतः स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन के गठन का औचित्य नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज पूरा प्रदेश मंहगाई से त्रस्त है इस पर नियम 311 के अन्तर्गत चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ होगी उस समय आप इस बात का उल्लेख कर सकते हैं। मैं तो नियमों को शिथिल करके अक्सर आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दे देता हूं। वर्तमान में जो नियम 311 की स्थिति है उसी के रूप में हमें भी आप लेने दें।

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

आज जिस तरह से माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उससे जल्दी ही प्रश्न प्रहर समाप्त हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस गम्भीर मुद्दे पर पहले चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप यह निर्देश दे दें कि इसको ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है जब नियम 56 लेंगे उस समय आपकी मंहगाई वाली सूचना पर भी सुन लेंगे। नियम 311 की सूचना ले लेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, इस समय आप देख लें क्या इस समय कोरम पूरा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवस्थी जी, कोरम पूरा है, 43 माननीय सदस्य होने चाहिये, मैंने गिन लिया है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

प्रदेश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात तथा राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल हेतु कानून बनाने विषयक जानकारी

*11. श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में ऋण जमा धनराशि का अनुपात क्या है ? क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार इसका अनुपालन हो रहा है ? क्या राज्य सरकार बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल के लिये कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है।

श्री हुकुम सिंह–

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनानुसार सितम्बर, 1998 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उ०प्र० में ऋण जमा अनुमात 26 % है। रिजर्व बैंक से ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना होना चाहिये। फिर भी राज्य सरकार वाणिज्यिक बैंको से सम्पर्क बढ़ाकर प्रयास कर रही है कि यह अनुपात बढ़े। इसके लिये निम्न कार्यवाही की जा रही है :–

1—ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के वित्त पोषण में राज्य सरकार द्वारा प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है। अब मात्र 100 रु० ही स्टाम्प शुल्क के रूप में अदा करने होंगे।

2—गन्ना कृषकों को व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु चीनी मिलों कृषकों एवं बैंकों के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

3—बैंको द्वारा किसानों हेतु "किसान क्रेडिट कार्ड" योजना लागू की गई है।

4—प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक नीति, निर्यात सम्वर्धन हेतु निर्यात नीति तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन नीति राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है।

5—शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम्य विकास अभिकरणों अथवा अन्य कोई संस्था जो बैंकों में धन रख सकते हैं, अपने धन को जमा उन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों में करें जिनका उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात 50 % या उससे अधिक हो ।

बैंकिंग एक केन्द्रीय विषय है एवं समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक्स भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के अधीन हैं । अतः राज्य सरकार द्वारा बैंकों पर प्रदेश क्रेडिट कन्ट्रोल के लिये कोई कानून बनाना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता ।

श्री राजधारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह प्रश्न नीति से संबंधित है । उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत अत्यन्त जर्जर है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात 26 प्रतिशत है । अगर सही आंकड़ा देखा जाये, अगर रिकवरी नियमित हो तो यह 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । हमारा दूसरा सवाल था कि क्या राज्य सरकार ने कोई सीमांकन किया है । रिजर्व बैंक द्वारा सभी राज्यों को निर्देश हैं कि 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये । जो मिनिमम अनुपात है उसके आधे से भी कम उत्तर प्रदेश का जमा अनुपात है जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के पैसे से हमारे दूसरे प्रदेश फल-फूल रहे हैं और हम निर्धन होते जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है और क्रेडिट कन्ट्रोल का काम हम नहीं कर सकते, हमारा पैसा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है । अगर आपकी सीमा में नहीं है तो क्या आपने केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से कोई विचार-विमर्श किया है, कोई सुझाव दिया है या कोई अपील की है, यदि आपने किया तो उसका परिणाम क्या रहा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न सीधे-सीधे इस बात से जुड़ा है कि बैंक अपना पैसा वहीं लगायेगा जहां उससे उत्पादकता बढ़ती हो, उसकी रिकवरी सम्भव हो और जहां पैसा लगाने के लिये अनुकूल और पर्याप्त क्लाईमेट हो । जो आपने प्रश्न किया कि प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ? मूल उत्तर में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार के साथ में बैठकर रिजर्व बैंक के साथ में बैठकर के मानीटरिंग करते हैं और इसे बढ़ाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि जिन राज्यों में ज्यादा अनुपात है, उन राज्यों में जो इन्फ्रास्टेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है ऊर्जा । आपके सामने विद्युत की चर्चा हुई और विधेयक भी यहां पर प्रस्तावित है, ऊर्जा नीति भी घोषित होने वाली है यह सारे के सारे प्रयास इस दिशा में हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर सके, ऊर्जा से ही औद्योगीकरण बढ़ेगा और औद्योगीकरण बढ़ेगा तो यह अनुपात भी बढ़ेगा । जिससे पैसा वापिस भी ले सकेंगे और लौटा भी सकेंगे । 10–12 साल का पीरियड ऐसा था जब कोई नियोजन नहीं रहा जिससे यह घट करके 26 पर आ गया और पूरे देश का 53.54 प्रतिशत पर आ गया । यह जो घटकर 26प्रतिशत पर आ गया है यह भी बढ़ेगा । जब प्रदेश में औद्योगीकरण की स्थिति में विकास होगा, कृषि के क्षेत्र भी बढ़ेंगे और जैसे-जैसे हमारी नीतियां आती जायेंगी । उसमें भी पैसा लगेगा । स्वाभाविक है कि बैंकों से पैसा लिया जायेगा । इसीलिये नीतियां बनाई जा रही हैं । इसी दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि क्रेडिट रेसियो बढ़ सके ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां वातावरण है वहीं पैसा जा रहा है और हमारे प्रदेश में वातावरण नहीं हैं जिससे उद्योग धन्धों का विकास हो सके । मान्यवर, शासन की नीति भी है विशेष अवसर और साधन प्रदान करने का और इस प्रकार के तमाम आरक्षण दिये भी जा रहे हैं । अगर हमारा प्रदेश पिछड़ा है तो शासन को विशेष अवसर प्रदान करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से निवेदन

करना चाहिये । अन्यथा हमारा प्रदेश के पिछड़ेपन का प्रतिशत बढ़ता जायेगा । आज हमारा क्रेडिट डिपाजिट 26 प्रतिशत है जबकि 60 प्रतिशत से कम जमा अनुपात किसी भी राज्य का नहीं होना चाहिये । क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी व्यथा को केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से कह कर अपने क्रेडिट कंट्रोल को बढ़ाने का अनुरोध किया है अगर हां, तो इसके बारे में क्या वातावरण बना रही है जिससे जमा अनुपात की धनराशि बढ़ सके ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, स्थिति स्पष्ट कर दूं । उस समय हमारे बैंकों में जो धनराशि जमा है वह 65 हजार 47 करोड़ रुपये है, और हमें मिला है 16 हजार 620 करोड़ रुपये जो लगभग 26 प्रतिशत आता है । अब पिछड़ेपन के कारण क्या हैं और बैंकों से पैसा क्यों नहीं मिला, मैंने पहले भी बताया कि पिछले 8–10 वर्षों में वित्तीय कुप्रबन्ध रहा, जिसके कारण क्रडिट रेसियो घटता चला गया । उस कुप्रबन्ध को कैसे ठीक किया जाय, इसके लिये अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया भी है कि हम वित्तीय कुप्रबन्ध को ठीक करने के लिये सार्थक कदम उठा रहे हैं और हर एक क्षेत्र में एक नीति बना रहे हैं। नीतियां इस बात का द्योतक हैं कि हमारी जो घोषणायें होंगी, उसमें जनता की सहभागिता होगी और पारदर्शिता होगी । इसलिये अब एक औद्योगिक माहौल बनने जा रहा है । जैसे हमने फिल्म उद्योग की नीति की घोषणा की तो यहां पर फिल्में बनेंगी और बैंकों से पैसा भी आयेगा । अब जैसे तमिलनाडु में क्रेडिट रेसियो 90 प्रतिशत है । वहां पर बिजली सरप्लस है । वहां पर दूसरी स्कीम्स भी हैं । अब जैसे वहां पर गोल्ड लोन स्कीम है जिसका लाभ यहां की जनता नहीं ले रही है । ऊर्जा नीति की बात है, इसमें ऊर्जा में सुधार आयेगा, पर्यटन की स्पष्ट नीति आयेगी । जिसमें उद्योग धन्धे लगेंगे, जिससे बैंकों से लोन मिलेगा । अब इस प्रकार का क्लाइमेट बनता जा रहा है ।

* श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने सी०डी० रेसियो घटने की चिन्ता व्यक्त की है । इसी सदन में पिछली बार बजट सत्र में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि यदि हमारी सी०डी० रेसियो की स्थिति नहीं सुधरती है तो हम अपना बैंक स्थापित करेंगे ताकि प्रदेश का जो पैसा हो वह उसमें जमा हो सके । और प्रदेश के विकास के लिये खर्च हो सके ताकि जो ये व्यावसायिक बैंक हैं जो अपने प्रदेश के पैसे को दूसरे प्रदेश में खर्च कर देती है इसको रोकने के लिये हम अपना व्यावसायिक बैंक स्थापित करेंगे । तो क्या एक साल में सी०डी० रेसियो में कोई सुधार हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो पिछले साल इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी क्या उसके अनुसार कोई बैंक स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है कि नहीं कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वह माननीय मुख्य मंत्री जी का एक विचार सदन में आया था । पहले यह देखना था कि क्या-क्या दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं ? यह दिक्कतें दूर नहीं होंगी तो वह बैंक खोलने का कदम भी उठाया जायेगा ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, सी०डी० रेसियों पिछले वर्ष की तुलना में ठीक हुआ है कि नहीं । नहीं हुआ है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि बैंक खोलेंगे तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं या जनता को धोखा देने के लिये, गुमराह करने के लिये ऐसी घोषणा की जा रही है ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी का प्रश्न है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि राज्य सरकार की ओर से एक बैंक स्थापित किया जायेगा । क्या उस बारे में कोई कदम उठाया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

वह घोषणा इस बात पर आधारित थी कि अगर सी०डी० रेशियो में बढ़ोत्तरी नहीं होती है । मान्यवर, प्रश्न के उत्तर का पांचवा हिस्सा पढ़ लें । माननीय वर्मा जी इसमें स्पष्ट लिखा है कि जितना भी सरकारी पैसा जमा होता है, डी०आर०डी०ए० और उसके समकक्ष जो अन्य योजनाओं का पैसा है वह केवल उन्हीं बैंकों में जमा किया जायेगा जिनका क्रेडिट रेशियो 50 प्रतिशत हो । यह भी एक सार्थक कदम इस दिशा में रहा है । बैंक खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यह प्रस्तावित विचार है उस पर भी कार्यवाही की जायेगी समय रहते हुये ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, एक निर्देश जो कालम 5 में माननीय मंत्री जी ने इशारा किया । उसमें एक निर्देश यहां से जारी हुआ कि ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही डी०आर०डी०ए० और जिला योजना का पैसा जमा किया जायेगा जिनका सी०डी० रेशियो 50 प्रतिशत हो । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस निर्देश का अनुपालन किसी एक जनपद में हुआ हो तो बता दें । जिस जनपद में जिस बैंक का सी०डी० रेशियो 50 प्रतिशत से ऊपर है वहां पैसा जमा करने का आदेश का अनुपालन करते हुये कितने जगहों पर जमा किया गया या फिर जैसा कि पहले से जिन बैंकों में जमा करते चले आ रहे थे जिनका सी०डी० रेशियो 50 प्रतिशत नहीं है, वहां जमा किया है । दूसरी बात यह है कि जैसा विचाराधीन प्रश्न है क्या सरकार उस पर इस वित्तीय वर्ष में कोई फैसला लेने का इरादा रखती है कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक प्रश्न के इस भाग का संबंध है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । पहले वाले भाग का तो मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, हम आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि यह प्रदेश के लिये बहुत ही गम्भीर मामला है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति इसी पर टिकी है और जैसा कि पूर्व में जिक्र हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि अगर बैंकों की साख जमा अनुपात (क्रेडिट डिपोजिट रेशियो) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के मानक के मुताबिक सुधरती नहीं है तो राज्य सरकार अपना बैंक चलायेगी । श्रीमन् उस घोषणा को तो अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया । माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके संज्ञान में यह बात है कि 1993 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कार्यकारी निदेशक ए०डी० बाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सी०डी० रेशियो के गिरती हुई स्थिति के अध्ययन कर एक कार्य योजना और सुझाव बनाकर सुपुर्द किये थे जिस पर राज्य सरकार ने एक कोर ग्रुप गठित किया था जो उत्तर प्रदेश के व्यापारिक क्षेत्र के लिये एक लक्ष्य 2002 तक निर्धारित करेगा । क्या जो ए० डी० बाज समिति की संस्तुतियों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा गठित कोर ग्रुप ने जो लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित किया था उसके अनुपालन के आगे कोई कदम उठाया कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

इन्होंने एक विशिष्ट रिपोर्ट का उल्लेख किया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं देवरिया जैसे छोटे से गरीब जनपद की बात बता रहा हूं 1998 में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 616 करोड़ रुपया वहां के बैंकों ने जमा किया भारतीय रिजर्व बैंक के 7 प्रतिशत के निर्देशों का खुला आवाहन करते हुये अग्रिम दिया। मान्यवर, समूचा पैसा बम्बई जैसे महानगरों की तरक्की पर, उपेक्षित जनपदों का धन दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनको जानकारी नहीं है तो या तो सूचना के अभाव में इसको स्थगित करें या अगला प्रश्न कर लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना का अभाव नहीं है। मूल प्रश्न आप देख लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया कि अलग से प्रश्न कर लें।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें कहा कि सूचना नहीं है जो लक्ष्य निर्धारित हुआ उसकी इनको जानकारी नहीं है इनको जानकारी नहीं है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ताकि मंत्री जी पूरी तैयारी करके आयें फिर सदन को बतायें।

श्री अध्यक्ष–

एक अलग से स्वतंत्र प्रश्न कर लें।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं प्रदेश में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिये विशेष बैंको की स्थापना की घोषणा की थी उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर पढ़ लिया या नहीं।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, मैं नियम 49 में सूचना दे रहा हूं, चर्चा स्वीकार कर लें।

जनपद बदायूं में चोरी की कारें, जीपें, ट्रक आदि बेचने तथा फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले पकड़े गये अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के संबंध में जानकारी की मांग

*12–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, 1998 में जनपद बदायूं में चोरी की कारें, जीपें, ट्रक आदि बेचने तथा फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने का एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से व्यक्ति संलिप्त पाये गये हैं ? कितनी मोटर गाड़ियां इस गिरोह से विभिन्न थानों में पकड़ी गई हैं ? उसके पते मय स्वामी जिनके नाम गाड़ी रजिस्ट्रेशन की गई है बताने की कृपा करें ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले में संलिप्त व्यक्तियों के नाम निम्नवत् हैं :–1–सर्वश्री मारुख खां उर्फ मुन्ना खां, 2–श्याम लाल, 3–देवी दास, 4–अखिलेश आर्य, 5–धर्मपाल उर्फ डी०पी०, 6–सुरेन्द्र, 7–नेता उर्फ महेन्द्र पाल, 8–महाराज उर्फ चुनचुन उर्फ भुवनेश्वर वर्मा, 9–राजीव गुप्ता उर्फ मोनतू ।

कुल 34 गाड़ियां जनपद बरेली के विभिन्न थानों में पकड़ी गई हैं :–

थानावार विवरण निम्नवत् है :–

1—थाना कोतवाली में–	18
2—थाना सिविल लाइन्स में–	5
3—आलापुर में–	4
4—थाना उझानी में–	3
5—थाना उसावां में–	1
6—थाना सहसवान में–	1

कुल योग–34 गाड़ियां ।

विवरण अनुलग्नक में है– †

जिला सहकारी बैंकों के गठन का उद्देश्य तथा चुनाव नियमावली में संशोधन की मांग

*13–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंकों का गठन साधन सहकारी समितियों के पोषण के उद्देश्य के लिये किया गया है ? यदि हां, तो सहकारी बैंकों की प्रबन्ध समितियों के गठन में सहकारी संघों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि सहकारी संघ को एक ही वर्ग में रखने से साधन सहकारी समितियों की स्थिति खराब हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी बैंकों में चुनाव नियमावली में संशोधन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जिला सहकारी बैंकों के गठन का एक उद्देश्य साधन सहकारी समितियों का वित्त पोषण भी है ।

सहकारी संघ भी साधन सहकारी समितियों की भांति सहकारी बैंकों के सदस्य होते हैं तथा उनसे पोषित हैं अतएव सहकारी बैंकों की प्रबन्ध समितियों के गठन में सहकारी संघों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का पूर्ण औचित्य है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14–श्री उदय राज यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

---

† छापी नहीं गई ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर की चिमनी से उत्पन्न प्रदूषण के निराकरण पर विचार

*15–श्री लालजी वर्मा–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर की चिमनी की राख उड़ने से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसके निराकरण करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित है । इसमें विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 440 मेगावाट है, जिसमें 110 मेगावाट की चार यूनिटें हैं । प्रत्येक यूनिट के ब्वायलर से जनित होने वाले उत्सर्जन (पार्टिकुलेट/राखी) के प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक-प्रेसीपीटेटर (ई-एस०पी० कुल चार नं०) स्थापित हैं एवं भूतल से 120 मी० ऊंची चिमनी (दो नम्बर) स्थापित है । उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ब्वालरों से जनित होने वाले उत्सर्जन (पार्टिकुलेट/राखी) की मात्रा दिनांक 26-5-98 तथा दिनांक 17-12-98 को जांच किये जाने पर क्रमशः 296. 67. 270.96 तथा 558.02.560.59. 584.47 एवं 579.49 मि०ग्राम/नार्मल घन मीटर पाया गया जो कि निर्धारित मानक 150 मि०ग्रा०/नार्मल घन मी० से अधिक है ।

मै० टाण्डा तापीय परियोजना, विद्युत नगर, अम्बेडकरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 29-9-98. 14-12-98 व 26-12-98 द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (अधिनियम) 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं । पुनः उद्योग को वायु अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत उद्योग बंदी हेतु नोटिस दिनांक 25-1-99 को प्रेषित किये गये हैं । उद्योग के पत्र 24-1-99 के द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित संयंत्र में सुधार के प्रस्ताव की कार्य-योजना बनाई गई है तथा मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल (बी०एच०ई०एल०) को कार्य-आदेश भी पारित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के अन्दर वायु प्रदूषण हो रहा है । इन्होंने अपने उत्तर में यह कहा है कि 26-5-98 तथा 17-12-98 को जांच की गई जिसमें चार-पांच गुना प्रदूषण पाया गया जिसके कारण टाण्डा वासी प्रभावित हो रहे हैं और अनेक रोग वहां पर फैल गये हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस थर्मल प्रोजेक्ट के प्रदूषण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? उसे नोटिस देकर क्यों नहीं बन्द किया गया ?

श्री बच्चा पाठक–

जब इस प्रकार की जांच हुई और जांच होने के बाद यह पाया गया कि इसमें प्रदूषण हो रहा है तो तमाम इनको नोटिस दी गई और यह कहा गया है कि जो सुधार की आवश्यकता हो उसको जल्दी से करा लें । अगर नहीं करायेंगे तो कार्य बन्दी की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्सर्जन (पार्टिकुलेट/राखी) के कारण यह प्रदूषण हो रहा है । मेरी निजी जानकारी है कि थर्मल प्रोजेक्ट निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं चलाये जाते हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है और यह पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है । 25-1-99 को 31ए के अन्तर्गत नोटिस दी गई । आप यह देख लें कि इस प्रश्न के करने के बाद नोटिस दी गई है । उसके पहले से प्रदूषण हो रहा था और माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गई और न ही

कोई प्रयास किया गया है उसमें सुधार हो । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई समय सीमा इस हेतु निर्धारित की गई है ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, इसके लिये नोटिस दी गई है और भविष्य में बी०एच०ई०एल० को निर्देशित कर दिया गया है कि वह देख लें और जल्दी से जल्दी रोकें । यह जन आकांक्षाओं की योजना है इसके बन्द होने से विद्युत संकट पैदा हो जायेगा । इसलिये इसमें सुधार करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिये कहा है । यह तो माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि वे इसके प्रति कितने गम्भीर हैं । क्योंकि प्रश्न लगा उसके बाद यह नोटिस दी गई । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुमान है कि धारा 31 ए में दिया हुआ होगा कि क्या समय सीमा होगी ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, यह योजना ऐसी है कि एक पाइप बन्द कर देने से विद्युत का संकट हो सकता है । इसलिये इसमें सुधार की आवश्यकता है और उसको करा लिया गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रदूषण का मामला है । मान्यवर, आज प्रदेश में कई ऐसे संयंत्र चल रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है । प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि 26-5-98 और 17-12-98 को जांच की गई तो मैं आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहली बार सरकार के संज्ञान में या बोर्ड के संज्ञान में यह बात आयी कि इन चिमनियों से प्रदूषण हो रहा है इसमें जिक्र आया है कि 26-5-98 को पहली बार लिखा गया तो क्या यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार के जो संयंत्र चल रहे हैं उसमें पीरियाडिकल चेकअप के लिये कोई व्यवस्था की गई है ताकि जानकारी हो सके ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, कोई भी उद्योग लगता है तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है चाहे वह जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण से संबंधित हो । उसके लिये मानक के अनुसार चिमनी बनानी पड़ती है । इसमें भी मानक के अनुसार चिमनी लगाने की योजना बनाई गई है और समय-समय पर इस योजना के माध्यम से देखते रहते हैं कि ऐसा उत्प्रवाह न हो । इसमें जांच में मानक से अधिक महसूस की गई तभी कहा गया कि जल्द से जल्द ठीक करवायें नहीं तो कार्यवाही होगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डंग जी का प्रश्न था कि पहली बार मामला शासन के संज्ञान में कब आया और समय-समय पर जांच की कोई व्यवस्था है ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, हमारे यहां आर०ओ०स्तर के अधिकारी होते हैं वह समय-समय पर जांच करते रहते हैं । इसमें मालूम होने पर ही नोटिस दी गई, उसमें उन्हें आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, शासन के संज्ञान में कब आया पहली बार ?

श्री बच्चा पाठक–

इसकी जांच 17-12-98 को की गई ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, जो सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसमें अगर मानकों का अनुपालन नहीं किया गया होगा तो कंडीशनल एन०ओ०सी० जारी हुआ होगा कि इसको इतने दिनों में ठीक कर लेंगे । जहां तक मुझे जानकारी है ऐक्ट में प्राविधान है कि प्रत्येक वर्ष वायु/जल के उत्प्रवाह के संबंध में सहमति लेनी जरूरी होती है और उसके लिये जांच होना जरूरी होता है । जब से यह संयंत्र लगा है तब से बोर्ड द्वारा इसकी नियमित जांच की गई । अगर नहीं किया गया तो यह संयंत्र कैसे चल रहा है ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं उनको भी ज्ञात है, उन्होंने तो उस समय कोई इसका नोटिस नहीं लिया । मान्यवर, इसमें हमेशा देखा जाता है देखने के बाद ही तो इसमें नोटिस की कार्यवाही की गई है ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, अगर हर साल देखा जाता रहा तो मानक से ज्यादा प्रदूषण की बात कब सामने आयी संज्ञान में आई और नोटिस दी गई ?

(उत्तर नहीं आया)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब हर साल देखने में आया कि प्रदूषण उत्सर्जन किया जा रहा था और यह नोटिस 1999 में दी गई तो उसके पहले क्यों नहीं दी गई तो पहले नोटिस न देने के लिये जो अधिकारी दोषी हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है ? क्या इस आधार पर कि बिजली मिल रही है पूरे टाण्डा के क्षेत्र के लोगों को, 5 लाख की आबादी की जनता को आप रोग से ग्रसित करेंगे ? मान्यवर, लगातार प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की अवहेलना की जा रही है और आप कहते हैं कि जनहित के लिये बिजली पैदा कर रहे हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस पर समय सीमा चाहता हूं कि वहां कितने दिनों के अन्दर प्रदूषण समाप्त कर दिया जायेगा ? मान्यवर, अगर इनका उत्तर स्पष्ट न आवे तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसको किसी समिति को सौंप दें ।

श्री बच्चा पाठक–

माननीय अध्यक्ष जी मैंने कहा है कि प्रत्येक वर्ष इसको देखा जाता है, 99 से पहले मैंने कहा पर्यावरण मंत्री जी ने नोटिस दी क्या ? इस समय मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा है कि विद्युत भी मिले लेकिन अगर किसी तरह से जनहित की बात आती है तो उस पर विशेष कार्रवाई करने के लिये हम कटिबद्ध हैं ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, पिछले वर्ष माननीय बी०आर० वर्मा जी पर्यावरण मंत्री थे तो उन्होंने इसको रोकने के लिये क्या किया ?

श्री अध्यक्ष–

जवाबदेही तो सरकार की होती है ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदूषण फैलाने वाली कोई इकाई जो भी मानक से बाहर जाकर प्रदूषण फैला रही है तो उसके खिलाफ निजी क्षेत्र में है तो उसको बन्द करने के लिये कार्यवाही की जाती है और यह सरकार क्षेत्र में है तो क्या इसको सरकार बन्द करने की कार्रवाई करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

धारा 31 ए में नोटिस दे दी गई है और सुधार के लिये काम कर रहे हैं यह सरकार ने कह दिया है ।

(तारांकित प्रश्न सख्या–16 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसमें रुचि है इसको ले लिया जाय ।

प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के गृह जनपदों से स्थानान्तरण की मांग

16–श्री सन्त प्रसाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालयों में ऐसे कितने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो उसी जनपद में कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक रहे हैं तथा अब वर्तमान में उसी जनपद में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुक्म सिंह–

जी हां ! ऐसे 11 जिले हैं जहां सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उसी जनपद में कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहे हैं ।

जी नहीं ।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी का वर्ग समूह 'ग' का राजपत्रित पद है । इसके पदधारक को उनके गृह जनपद में तैनात न किये जाने की नीति है । तदनुसार उपरोक्त 11 सहायक जिला

निर्वाचन अधिकारी अपने गृह जनपदों में तैनात नहीं हैं । अतः उन्हें स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पूरा सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की वाक्पटुता का कायल है । मान्यवर, सवाल यह किया गया था कि प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालयों में ऐसे कितने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो उसी जनपद में कनिष्ठ लिपिक रहे हैं तथा अब वर्तमान में उसी जनपद में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं । इसका जो उत्तर आया है वह यह आया है कि जी हां । ऐसे ।। जिले हैं जहां सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उसी जनपद में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहे हैं । प्रश्नगत समस्त ।। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अपने गृह जनपदों में तैनात नहीं हैं । अतः उन्हें स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रोन्नति के पश्चात् साधारणतः किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को वहां से स्थानान्तरित कर दिया जाता है । यह सामान्य नीति है । इस नीति का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है । ऐसे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जो कनिष्ठ लिपिक से प्रोन्नत हुये हैं उनके स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पाबन्दी केवल गृह जनपद की है । इन लोगों का गृह जनपद है नहीं । इसलिये इनको स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जब किसी कर्मचारी या अधिकारी की प्रोन्नति हो जाती है, तो उसको साधारणतः वहां पर नहीं रखा जाता है । जो इन ।। लोगो की प्रोन्नति हो गयी है इनको स्थानान्तरित न करने का क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह देखने की बात होती है कि प्रोन्नति के बाद उस पद पर रहकर उस आदमी का कोई वेस्टेड इन्टरेस्ट तो नहीं हो जायेगा ! शासन या प्रशासन में कोई हस्तक्षेप तो नहीं होगा, यह पद केवल चुनाव से सम्बन्धित है । वहां पर सारा का सारा कार्य चुनाव आयोग के मार्ग दर्शन में होता है । अब अगर शिकायत आती है कि उस व्यक्ति के वहां पर रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, वह वहां पर थे और बाद में उनकी प्रोन्नति हो गयी । समूह 'क' का यह पद है और समूह 'ग' के पद के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है वह अपने गृह जनपद में रह सकता है । यह लोग अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं थे, किसी बाहर के जनपदों में नियुक्त हैं, इसलिये इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में खाद्य वस्तुओं के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा किये गये ठोस प्रयासों की जानकारी

*17–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैनिक प्रयोग की खाद्य वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को रोकने का कोई ठोस प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में दैनिक प्रयोग की खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न उपाय किये गये हैं :–

(1) खाद्य तेलों/तिलहनों पर माह अगस्त, 1998 से पुनः नियंत्रण लागू कर दिया गया तथा स्टाक सीमाएं निर्धारित की गईं । 05 नवम्बर, 1990 को तेल/तिलहन के थोक एवं फुटकर व्यापारियों की स्टाक सीमा को और कम कर दिया गया ।

(2) खाद्य तेल की प्रदेश में उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 5000 मै० टन पामोलिन का आवंटन प्राप्त किया । उपभोक्ताओं को पामोलीन रु० 38/–प्रति लीटर तथा रु० 41/–प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(3) प्रदेश के जिलों में निर्माताओं तथा व्यापारियों के संगठनों से वार्ता करके निर्माताओं एवं व्यापार संमठनों से रिटेल काउन्टर खुलवाए गये जहां से सरसों का तेल तथा अरहर की दाल बाजार भाव से कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया ।

(4) राज्य सरकार की संस्थाओं यथा कर्मचारी कल्याण निगम, उपभोक्ता सहकारी संघ एवं आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से खाद्य तेल, अरहर की दाल तथा गेहूं का वितरण कराया गया ।

(5) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में गेहूं व चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से गेहूं/चावल का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किया गया तथा उपभोक्ताओं को 10 कि० ग्रा० अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह ए०पी०एल० दरों पर उपलब्ध कराया गया ।

(6) दिनांक 30-10-1998 से जमाखोरों, मुनाफाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध एक व्यापक एवं विशेष अभियान चलाकर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की गई । दिनांक 4-2-1999 तक 27006 छापे मारे गये रु० 1094 लाख मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयी, 390 लोग गिरफ्तार किये गये, 914 लाइसेंस निलम्बित किये गये तथा 189 लाइसेन्स निरस्त किये गये ।

(7) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की स्थिति की दैनिक समीक्षा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल में अभी समय शेष है । श्री श्याम देव राय चौधरी जी का नाम जब पुकारा गया था, तो वह अनुपस्थित थे और वह अब आ गये हैं उनका अनुरोध है कि उसको ले लिया जाये । माननीय गोरखनाथ पाण्डे जी का प्रश्न जब पुकारा गया था वह भी उस समय नहीं थे । इसलिये मैं पहले श्री गोरखनाथ पाण्डे जी का प्रश्न सं० 1 ले रहा हूं ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 1 और 2 तथा नत्थी 'ख' का तारांकित प्रश्न सं० 2 का प्रश्नोत्तर यथा स्थान कार्यसूची के अनुसार क्रमबद्ध कर दिया गया है)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नोट :–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या–17 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

अज्ञात वाहनों से घटित दुर्घटना में तोषण निधि योजना के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनुतोष का दावा

1–श्री राजीव कुमार सिंह–

विधान सभा के वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के दूसरे सोमवार के अ० प्र० सं०–67 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दावा किस न्यायालय में है ? उसका वाद संख्या और पेश करने की तिथि क्या है ? क्या मृतक परिवार को सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक की पत्नी सुश्री रुमालिया का आवेदन तहसील को समय से भेजा गया ? यदि हां, तो प्रेषण का क्रमांक/दिनांक क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त लापरवाही के लिये दोषी को क्या दण्ड देने की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सहायता कब तक प्राप्त करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अज्ञात वाहनों से घटित दुर्घटना में तोषण निधि योजना के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनुतोष का दावा दुर्घटना की तिथि के 06 माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में जांच अधिकारी को दिया जाना चाहिए ।

प्रश्नगत मामले में श्रीमती रुमाली देवी का दावा दिनांक 13-2-92 को अर्थात् 06 माह के पश्चात प्रस्तुत किया गया । प्रश्नगत दावा काल बाधित होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा न तो निस्तारित ही किया गया और न ही आवेदक को रुचित किया गया । तत्समय सक्षम अधिकारी श्री हिमांचल लाल, तहसीलदार, निचलौल सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उप जिलाधिकारी निचलौल, श्री कमला लाल 04 वर्ष पूर्व स्थानान्तरित हो चुके हैं । इसलिए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा 06 फरवरी, 1999 को श्रीमती रूमाली देवी को 8,500/- रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है ।

लखनऊ से हरदोई तक परिवहन निगम की बसों के स्थाई परमिट के अनुसार बसें न चलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

2–श्री दीप लाल भारती–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में लखनऊ से हरदोई तक परिवहन निगम की कितनी बसें चलाये जाने हेतु परमिट दिये गये हैं तथा उसके विरुद्ध कितनी बसें उक्त मार्ग पर चल रही हैं ? क्या यह सही है कि लखनऊ हरदोई मार्ग पर दस परमिट होते हुए मात्र दो बसें ही चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? परमिट के अनुसार बसें न चलाये जाने का क्या कारण है ? उक्त अवशेष बसें कब तक चलायी जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ हरदोई राष्ट्रीयकृत मार्ग पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26-12-91 की बैठक में 9 स्थायी परमिट स्वीकृत किए गये थे, परन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा इन पर स्थगनादेश जारी कर दिए गये । जनता की मांग को देखते हुए लखनऊ–हरदोई–फर्रूखाबाद–देहली मार्ग पर परिवहन निगम की दो सेवाएं (एक वापसी सेवा) संचालित है । मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश समाप्त किए जाने के पश्चात् ही शेष बसें संचालित किया जाना संभव होगा ।

3–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

4–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

[दिनांक 17-2-99 को अता०प्र०सं०–190 द्वारा उत्तरित ।]

क्षेत्र पंचायत कुरारा हमीरपुर की बैठक में व्यवधान उत्पन्न करने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

5–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग–2 नं०–326948 दिनांक 24-8-98 जो क्षेत्र पंचायत कुरारा हमीरपुर की बैठक में व्यवधान करने से मना करने पर प्रमुख क्षेत्र पंचायत कुरारा को धमकी दिये जाने की शिकायत विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ब्लाक प्रमुख कुरारा को सुरक्षा प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण पर दिनांक 25-8-98 को मु०अ०सं०–205/98 धारा 352/504/506 भा० द० वि० थाना कुरारा पर पंजीकृत कराया गया था । विवेचनोपरान्त मामला झूठा पाये जाने पर साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट सं०–20, दिनांक 21-9-98 को विवेचना समाप्त कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विवेचनोपरान्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये एवं विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

विवेचना से ब्लाक प्रमुख कुरारा को धमका दिये जाने की बात सत्य नहीं पायी गयी । अतः सम्प्रति इसका औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हमीरपुर में थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा बृज दयाल साहू को गिरफ्तार कर बेगुनाह फंसाये जाने विषयक प्रकरण की जानकारी

6–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को सम्बोधित श्री अरुण कुमार साहू पुत्र श्री छिद्दू साहू द्वारा प्रेषित तार सं० अ–3 श्रेणी–म समय–12-20 मूल तारघर हमीरपुर दिनांक 25-6-98 जो दिनांक 24-6-98 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा बृज दयाल साहू को गिरफ्तार कर बेगुनाह फंसाने की सूचना विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा श्री बृज दयाल साहू को चार दिन तक लाकप में रखकर दिनांक 27-6-98 को फर्जी मुकदमें में चालान किया गया ? क्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि मुकदमा अ०सं०–296/98 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त बृज लाल साहू को दिनांक 26-6-98 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । प्रश्नगत अभियोग में विवेचना के बाद आरोप पत्र सं०–116/98 दिनांक 6-7-98 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, सम्प्रति अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

उक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर अन्तर्गत ग्राम देवगांव निवासी बृज दयाल साहू की हत्या की जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

7–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर अन्तर्गत ग्राम देव गांव निवासी बृजदयाल साहू की 15-9-98 को हत्या कर दी गई है ? क्या यह सही है कि हत्या अभियुक्तों द्वारा 6-3-96 में भी मृतक की पूर्व में हत्या का प्रयास किया था जो मु० अ० सं० 622/96 धारा 147/148/307 भा०द०वि० थाना सुमेरपुर में पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अभियुक्तों को शह देने वाले पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या घटना की खुफिया एजेन्सी से जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

यह सही है कि वर्ष 1996 में मृतक बृज दयाल साहू द्वारा रामसजीवन, जगदेव, लल्लू, जगभान, रामचरन के विरुद्ध मु०अ०सं० 622/96 अन्तर्गत धारा 147/148/307 भा०द०वि० का अभियोग थाना समेरपुर में पंजीकृत कराया गया था । इसकी विवेचना से अपराध झूठा पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट लगाकर दिनांक 18-10-98 को जुर्म खारिज कर दिया गया ।

विवेचना से अभियुक्तों को सह देने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । अतः पुलिस जनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

सम्प्रति प्रश्नगत अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने हेतु अमीनाबाद थाने के सब-इन्सपेक्टर की मनमानी की शिकायत विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

9–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को कितने समय बाद शस्त्र लाइसेन्स प्रदान कर दिया जाता है ? क्या शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र क्रमशः दिनांक 18-6-98 एवं 31-8-98 जो मुख्य मंत्री,

मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन एवं जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित था तथा जो अमीनाबाद थाने के सब-इन्सपेक्टर की मनमानी विषयक था, प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के अनुसार सम्बन्धित लाइसेन्सिंग प्राधिकारी की संतुष्टि/समाधान हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त गहन परीक्षण कर आवेदक की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए यथासम्भव तीन माह के अन्दर शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है । शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने या न करने का निर्णय गुण-दोष के आधार पर लाइसेन्सिंग प्राधिकारी का समाधान हो जाने पर किया जाता है ।

जी हां ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया सदस्य विधान सभा व श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद के पत्र दिनांक 18-6-98 एवं 31-8-98 क्रमशः मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य मंत्री जी के कार्यालय को प्राप्त हुए थे । पत्र दिनांक 18-6-98 में श्री विनोद कुमार सिंह के शस्त्र आवेदन-पत्र तथा जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में मनमानी इत्यादि की बात कही गई है । पत्र दिनांक 31-8-98 में थाना अमीनाबाद के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है ।

पत्र दिनांक 18-6-98 के क्रम में अवगत कराना है कि तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ सहित उनके शिविर कार्यालय का स्टाफ स्थानान्तरित अथवा सेवानिवृत्त हो चुका है । श्री विनोद कुमार सिंह थाना हजरतगंज को डीबीबीएल बन्दूक का लाइसेन्स स्वीकृत किया जा चुका है । अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

पत्र दिनांक 31-8-98 के क्रम में क्षेत्राधिकारी कैसरबाग की आख्या के अनुसार थाना अमीनाबाद के उपनिरीक्षक श्री शिवकुमार सिंह चन्देल को प्रथम दृष्टया अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पाया गया है । उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आदेशित की जा चुकी है ।

पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मियों की द्वितीय शनिवार/रविवार तथा सार्वजनिक अवकाशों के एवज में मानदेय दिये जाने विषयक जानकारी

10–श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 2 सरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–77 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मियों की सेवायें रविवार व दूसरे शनिवार तथा सार्वजनिक अवकाशों में न लिये जाने विषयक शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की भांति कर्मशाला कर्मियों को भी अवकाश का उपयोग न कर पाने के एवज में मानदेय देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में भी रविवार व दूसरे शनिवार तथा सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग न करने के एवज में मानदेय नहीं दिया जाता है ।

11 व 12–श्री राम पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]।

हरिद्वार दिल्ली जाने वाली बसों में से कुछ बसों को वाया लक्सर रुड़की से जाने की मांग

13–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने हेतु हरिद्वार दिल्ली जाने वाली बसों में से कुछ बसों को वाया लक्सर रुड़की ले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लक्सर–रुड़की मार्ग अराष्ट्रीयकृत है और यह मार्ग 26 किलोमीटर अधिक दूरी का है । अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर शासन की नीति के अनुसार निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाना है ।

सहकारिता में आमेलित (विलीन) समिति के अदाशुदा कृषकों की नियमानुसार विद्यमान समिति द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

14–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सहकारिता मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो समितियों पर आमेलन की कार्यवाही की गयी है उन समितियों को पुनः चालू कराने की कार्यवाही की जायेगी ? क्या अदाशुदा कृषकों को ऋण दिलाने की सुविधा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

जी हां ।

जिस समिति में कोई समिति आमेलित (विलीन) होती है तो उस आमेलित (विलीन) समिति के अदाशुदा कृषक सदस्यों को नियमानुसार विद्यमान समिति से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारिता में आमेलन की कार्यवाही से पृथक समितियों के द्वारा खाद, बीज, रसायन, दवा इत्यादि किसानों को उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

15–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो समितियों पर आमेलन की कार्यवाही से पृथक है उन समितियो के द्वारा खाद, बीज, रसायन, दवायें, कृषि यंत्र आदि किसानों को उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

निबन्धक के परिपत्र सं० सी–65/अधि० दिनांक 9-10-97 तथा परिपत्र सं० सी–180/अधि०- दिनांक 15-7-98 द्वारा प्रदेश के कृषि उत्पादन कार्यक्रम के सुचारुरूप से संचालन की दृष्टि से उन समितियों जिनके परिसमायन/समामेलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है अथवा जिनके सम्बन्ध में उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–65 के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये गये हैं, को छोड़कर अन्य सभी कृषि ऋण सहकारी समितियों के वित्त पोषण हेतु निर्देश दिये गये हैं, ताकि कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृषि निवेशों (खाद, बीज आदि) की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समितियों में कार्यरत आंकिक, विक्रेता आदि को सचिव (समिति) के रिक्त पदों पर पदोन्नत किये जाने की मांग

16–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों में कार्यरत आंकिक, विक्रेता आदि जिनकी सेवायें बहुत पुरानी हो चुकी है, को सचिवों (समिति) के रिक्त पदों पर प्रोन्नत किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

समिति कर्मचारियों से प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिव पद पर वर्तमान समय में पदोन्नति की व्यवस्था नियमों में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिव पद समाहित है, में समिति के कर्मचारियों के सचिव पद पर पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है ।

जिला आजमगढ़ के ग्राम पिपरहा पो० भीमवर जिला आजमगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री राम शंकर सिंह पुत्र श्री सुखदेव उर्फ शिवदेव सिंह की विधवा को राजनैतिक पेंशन देने का प्रकरण

17–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या होम गार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी स्व० रमाशंकर सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह उर्फ शिवदेव सिंह, ग्राम पिपरहा, पो०–भीमवर जिला आजमगढ़ की विधवा पत्नी श्रीमती कमलमुखी देवी को राजनैतिक पेंशन स्वीकृत किये जाने संबंधी सभी संलग्नकों के साथ प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 13 जुलाई, 98 को मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानी की विधवा पत्नी श्रीमती कमलमुखी देवी के जीवन निर्वाह हेतु राजनैतिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह–)

जी हां ।

श्रीमती कमलमुखी देवी के पति स्व० श्री रमाशंकर सिंह द्वारा भोगी गई सजायाबी की अवधि अभिलेखीय आधार पर पुष्टि न होने के कारण उन्हें राजनैतिक पेंशन नहीं स्वीकृत की गई थी । अतः श्रीमती कमलमुखी देवी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की पात्रता स्थापित न होने के कारण उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी ग्राम्य विकास बैंक शाखा पिलखुआ जिला गाजियाबाद में शाखा कर्मचारियों/अधिकारियों के झगड़े सम्बन्धी प्रकरण की जांच की मांग

18–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-10-98 जो प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ को सम्बोधित था और जिसमें सहकारी ग्राम्य विकास बैंक शाखा, पिलखुआ जिला गाजियाबाद में शाखा कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हुये झगड़े के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराई गई । जांच में दोषी पाये गये शाखा आंकिक, श्री रघुबीर सिंह चाहर को निलम्बित कर दिया गया है । सहायक फील्ड आफिसर, श्री गिरीशचन्द्र का स्थानान्तरण कर दिया गया है । श्री राकेश कुमार सिंह, शाखा प्रबन्धक जांच में दोषी नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम सुख यादव, कल्याणपुर, लखनऊ द्वारा अभियुक्त गोपाल राय के विरुद्ध थाना गुडम्बा, लखनऊ में पंजीकृत मुकदमा तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामसुख यादव निवासी कल्याणपुर, लखनऊ द्वारा मु० अ० सं० 140/98 धारा 504/506 आई०पी०सी० पुलिस थाना गुडम्बा, लखनऊ में पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो क्या उसके मुल्जिमानों को पकड़ने में स्थानीय थाने की पुलिस असफल रही है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मुकदमा पंजीकृत कराने वाले व्यक्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत अपराध में नामित अभियुक्त गोपाल राय पुत्र श्री गुलाब चन्द्र राय निवासी कमला नेहरूनगर, जनपद लखनऊ की तलाश/गिरफ्तारी करने हेतु विवेचक द्वारा भरसक प्रयास किया गया परन्तु वह दस्तयाब नहीं हो सका और इसी दौरान पुलिस के दबाव के कारण दिनांक 8-10-98 को वह न्यायालय ए०सी०जे०एम० लखनऊ के यहां आत्मसमर्पण कर दिया । विवेचनोपरान्त आरोप पत्र सं० 121/98 दिनांक 13-10-98 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना में स्थानीय पुलिस द्वारा लापरवाही बरतना नहीं पाया गया एवं आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत कराने वाले श्री रामसुख यादव की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है।

दीवानी, फौजदारी व राजस्व पक्षों में शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति में सैनिकों को कोटा (आरक्षण) न दिये जाने के संबंध में जानकारी

20-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय सेवाओं में शासन द्वारा दिये गये आरक्षण के संबंध में विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी उ० प्र० शासन ने अपने आदेश सं०-डी०-272/सात-न्याय-3-94-9/62 अनुभाग-3 (नियुक्तियां) 4 फरवरी, 94 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जनपद स्तर पर दीवानी फौजदारी व राजस्व पक्षों में शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर अनु० जाति, अनु० जनजाति के लिये 23 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के लिये 27 प्रतिशत व अल्पसंख्यकों की नियुक्तियों में समुचित प्रतिनिधित्व देने के निर्देश दिये हैं किन्तु सैनिकों तथा उनके परिवारों के सदस्यों की नियुक्तियों में आरक्षण देने का उल्लेख नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सैनिकों का कोटा भी उक्त पदों हेतु दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री नन्द राम-

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

22-श्री नन्द राम-

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

स्व० श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी पूर्व मंत्री के भतीजे श्री सुधांशु दत्त द्विवेदी एडवोकेट की सुरक्षा का मामला

23-श्री बनवारी लाल दोहरे-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी पूर्व मंत्री के परिवारजनों को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा अप्रैल, 1997 में कुछ सुरक्षा व्यवस्था स्वीकृत की गयी थी ? क्या तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा हत्याकाण्ड के प्रमुख वादी स्व० द्विवेदी के भतीजे श्री सुधांशु दत्त द्विवेदी एडवोकेट को जेड०/वाई० श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने की संस्तुति शासन को प्रेषित की गयी थी ? क्या यह सही है कि श्री सुधांशु दत्त द्विवेदी की सुरक्षा में लगे चार गनर में से एक को जनवरी, 1998 से वापस ले लिया गया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार श्री द्विवेदी के परिवार की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद इनके जीवन भय आंकलन के आधार पर एक गनर हटा लिया गया है।

स्व० श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवारजनों को आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान में प्रदत्त है।

24–श्री बनवारी लाल दोहरे–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश में विकास कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन हेतु अधिकृत जनप्रतिनिधियों का मामला

25–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन करने हेतु किन-किन जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

इस प्रकार का कोई आदेश शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

जनपद लखनऊ, थाना बन्थरा में दहेज के कारण रेनू की हत्या/आत्महत्या का प्रकरण

26–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेशोपरान्त थाना–बन्थरा, जनपद–लखनऊ में अप० सं०–110/98, धारा–498ए/304 बी० तथा 3/4 दहेज उन्मूलन ऐक्ट दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इसकी विवेचना कब और किसने की तथा क्या इसमें अभियुक्त को पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में थाना–बन्थरा पर दर्ज मु० अ० सं० 110/98 धारा 498ए/304 बी भा० द० वि० एवं 3/4 दहेज अधिनियम विरुद्ध मुनेश्वर सिंह एवं कुल 8 नफर की विवेचना क्षेत्राधिकारी बक्शी का तालाब द्वारा की गयी। विवेचना से पाया गया कि मृतक रेनू द्वारा अपना मानसिक सन्तुलन खोने के कारण दरवाजा अन्दर से बन्द कर आत्महत्या किया गया था तथा दरवाजा तोड़कर लाश को कमरे से निकाला गया था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से भी मृत्यु का कारण आत्महत्या का पाया गया एवं शरीर पर कोई अन्य चोट के निशान नहीं पाये गये। विवेचनोपरान्त प्रकरण आत्म हत्या का पाये जाने पर मुकदमें में अंन्तिम रिपोर्ट सं०–86 दिनांक 10-8-98 को न्यायालय प्रेषित की गयी और उक्त अन्तिम रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा दिनांक 9-12-98 को स्वीकार किया जा चुका है।

विवेचना से प्रकरण आत्महत्या का पाया गया एवं विवेचनोपरान्त न्यायालय में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है। अतः इस कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है।

जनपद रायबरेली, प्रा० बेलवा हसनपुर, थाना जायस में श्री राम आसरे लोध की हत्या प्रकरण की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच की मांग

27–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्हें सम्बोधित राम आसरे लोध, प्रधान बेलवा हसनपुर थाना जायस रायबरेली के पुत्र की हत्या को दबाने तथा हत्यारों को बचाने हेतु विवेचना में तोड़-मोड़ कर इसे

समाप्त करने का प्रयास करने तथा प्रार्थी को ही उत्पीड़ित करने की शिकायत विषयक पत्र मा० मुख्य मंत्री के कार्यालय से माह अगस्त, 1998 में पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या हत्यारों से प्राप्त सामान तथा अन्य सबूतों को अनदेखी की गयी ? यदि नहीं, तो हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या मुख्य मंत्री जी इस प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराने के आदेश दें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायतकर्ता के पुत्र ब्रजमोहन की हत्या के संबंध में थाना जायस पर मु०अ०सं०–118ए/98 धारा 302/201/34 भा०द०वि० बनाम नन्हें पुत्र रामेश्वर व तेज बहादुर पुत्र कल्लू दर्ज कराकर क्षेत्राधिकारी, तिलोई द्वारा विवेचना की गयी । विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण नन्हें व तेज बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । विवेचना के दौरान हत्यारों को बचाने विषयक लगाये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

जी नहीं ।

विवेचनोपरान्त घटना के अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 29-8-98 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

प्रश्नगत प्रकरण में मुकदमा मा० न्यायालय के विचाराधीन है । अतः सम्प्रति प्रश्नगत कार्यवाही का औचित्य नहीं है ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत तरछापार स्थित को आपरेटिव विभाग में सचिव द्वारा किया गया घोटाला

28–श्री अफजाल अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा तरछापार स्थित को-आपरेटिव विभाग के गोदाम को कई वर्ष से खाद, बीज, सस्ता कपड़ा आदि सामग्री नहीं दी जाती है और उसका रख-रखाव भी नहीं हो पा रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त गोदाम पर पूर्व सचिव द्वारा काफी घोटाला किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

जी हां ।

संबंधित सचिव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा धारा 68(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करके अपहृत धनराशि जमा कराने की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार कुम्भ मेला में वर्ष 1997 में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में लम्बित जांच की जानकारी

29–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) पश्चिमी क्षेत्र के विरुद्ध हरिद्वार कुम्भ मेला वर्ष 1997 में की गई घोटालों के संबंध में कोई सतर्कता जांच लम्बित है ?

क्या जांच को निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण पश्चिमी क्षेत्र के मुख्यालय–मुरादाबाद किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेडियो शाखा के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कर्मशाला कर्मचारी के पद पर पदोन्नति का मामला

30–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो शाखा में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कर्मशाला कर्मचारी के पद पर पदोन्नति किये जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं ? क्या अभी तक कोई पदोन्नति की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या इस विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक दूर संचार के स्तर पर पदोन्नति हेतु विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है । अतः दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

स्व० नवीन कुमार जायसवाल की नवम्बर, 1991 के दंगे में की गयी हत्या तथा घोषित आर्थिक सहायता

32–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्व० नवीन कुमार जायसवाल जिनकी हत्या नवम्बर, 1991 के दंगे में कर दी गयी थी के पिता श्री चमन लाल, निवासी बी–20/9, भेलूपुरा, वाराणसी को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–5/8614/वाराणसी/98 पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मृतक के असहाय एवं वृद्ध पिता को जिन्हें पहले सिर्फ 20,000/–रुपये की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गयी थी, को शेष 80,000/–रुपये की आर्थिक, सहायता अविलम्ब प्रदान किये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नोल्लिखित दंगे में मृतक के परिवार को भी अन्य मृतकों की भांति ही राहत के रूप में वित्त (लेखा) अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22-6-84 में नियत मानक के अनुसार रुपये 20,000/–की आर्थिक सहायता राशि तत्समय उपलब्ध करा दी गयी थी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में साइकिल उद्योग पर व्यापार कर समाप्त करने विषयक जानकारी

33–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में साइकिल उद्योग पर कर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीबों के आने-जाने में सहूलियत देने वाली साइकिल के उद्योग पर लगाये गये 10 प्रतिशत कर को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शासन का साइकिल पर आरोपित किये जाने वाले 10 प्रतिशत व्यापार कर को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है ।

उ० प्र० सरकार को साइकिल, रिक्शा, उनके पुर्जे तथा सहायक सामान की बिक्री से वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में क्रमशः रुपया 2641.92 लाख तथा रुपया 2836.56 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है । अतः राजस्व हित में साइकिल की बिक्री पर कर मुक्ति दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

प्राइमरी/सहकारी ऋण समितियों के कैडर सचिवों को फ्रीज किये गये 32 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय

34–श्री राजधारी–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ ने रिट पिटीशन संख्या–7166(एस०एस०)/1993 साधन समिति सचिव परिषद्, उत्तर प्रदेश आदि बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य में दिनांक 8-9-93 को दिये गये निर्णय/स्थगनादेश जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26-5-98 द्वारा बरकरार रखा है, के परिपालन में प्राइमरी/सहकारी ऋण समितियों के कैडर सचिवों को फ्रीज किया गया 32 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त याचिका में दिये गये आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या–179/98 दाखिल की गई है । तथापि साधन समिति सचिव परिषद् के साथ दिनांक 29-12-98 को हुई वार्ता के पश्चात् निबन्धक के आदेश दिनांक 31-12-98 द्वारा दिनांक 1-1-99 से 32 प्रतिशत फ्रीज किए गये महंगाई भत्ते की शर्त को भविष्य के लिये समाप्त किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

ए०एस०जे० द्वितीय जनपद–सुल्तानपुर के न्यायालय में तत्कालीन थानाध्यक्ष जामों श्री अभिमन्यु दुबे द्वारा मारने-पीटने प्रताड़ित करने के प्रकरण की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार के अता० प्र० सं०–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री बृजलाल को शपथ पत्र पढ़कर सुनाने पर श्री बृजलाल

द्वारा सारी बातें गलत लिखे जाने तथा कोई गवाह पुष्टि हेतु न मिलने के आधार पर आरोपों को गलत करार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच की पुष्टि हेतु श्री बृजलाल के हस्ताक्षर लिये गये हैं ? जांच के समय इसकी पुष्टि हेतु किन-किन गांववासियों के हस्ताक्षर कराये गये ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री बृजलाल को शपथ-पत्र पढ़कर सुनाने पर उसके द्वारा शपथ-पत्र में लिखी गई सभी बातों को गलत बताया गया ।

शपथ-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र की जांच के समय श्री बृजलाल का कथन अन्तर्गत–161 द० प्र० सं० के अनुसार लिया गया था । किसी भी गांववासी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये ।

सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है :–

श्री बृजलाल ने दिनांक 23-10-96 को श्रीमान् ए०एस०जे० द्वितीय जनपद सुल्तानपुर के न्यायालय में तत्कालीन थानाध्यक्ष जामों श्री अभिमन्यु दुबे द्वारा मारने-पीटने, प्रताड़ित करने तथा 5000/–जबरिया लेने हेतु शपथ-पत्र दाखिल किया था जो जांच हेतु दिनांक 11-11-96 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज को प्राप्त हुआ था तथा जांच की गई । शपथ-पत्र पर निशानी अंगूठा लगवाकर न्यायालय में दाखिल किया गया । जांच में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

जनपद सुल्तानपुर में राम भीख पुत्र सुरजू ग्राम पूरे धनापांडे मजरे गोरियाबाद द्वारा सहायक निबन्धक सहकारी समितियों को चेक फण्ड तथा फर्जी कर्जा वसूली संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

37–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम भीख पुत्र सुरजू, ग्राम–पूरे धनापांडे मजरे गोरियाबाद जनपद–सुल्तानपुर का दि० 21-7-98 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें चेक के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर चेक फण्ड लेने तथा फर्जी कर्जा चढ़ाकर वसूली करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-7-98 का प्राप्त हुआ है ।

शिकायतकर्ता के उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई । जांच में प्रकरण विवादित पाये जाने के कारण आर्बीट्रेशन दायर करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर के ग्राम पूरे चेतई, तहसील–गौरीगंज के कतिपय लोगों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र द्वारा सहकारी समिति गोरियाबाद के सचिव/उपसचिव द्वारा फर्जी कर्जा चढ़ाने की गंभीर शिकायत पर कृत कार्यवाही

38–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को सम्बोधित दर्शन पुत्र सीताराम, जुम्मन खां पुत्र मेहरबान खां, निवासी–ग्राम–पूरे चेतई, तहसील–गौरीगंज,

सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 3-8-98 का प्रार्थना-पत्र जिसमें सहकारी समिति गोरियाबाद के सचिव/उप सचिव द्वारा फर्जी कर्जा चढ़ाने, दिये गये धन की रसीद न देने आदि की गंभीर शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई गई । जांचोपरान्त श्री राम कीरत सिंह, भू०पू० सचिव व श्री जागेश्वर सिंह, चौकीदार दोषी पाये गये । श्री दर्शन द्वारा दी गई धनराशि श्री जागेश्वर चौकीदार से जमा कराकर रसीद दे दी गई है । श्री जुम्मन द्वारा दी गयी धनराशि की वसूली हेतु आर्वीट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में जुलाई, 1998 में अपराधियों के आपराधिक मामलों को वापस लेने विषयक जानकारी

39–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के किन-किन लोगों के आपराधिक मुकदमें जुलाई, 1998 में सरकार द्वारा वापस ले लिये गये हैं ? यह मुकदमें किसकी संस्तुति पर वापस लिये गये ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त व्यक्तियों का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है ? यदि हां, तो क्या संक्षेप में पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद फर्रुखाबाद में माह जुलाई, 1998 में श्री नवाब सिंह, श्री गया प्रसाद, श्री गोविन्द तथा विनोद कुमार से सम्बन्धित मात्र एक आपराधिक मुकदमा अ०सं०–114/95 वापस लिया गया है ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत, मा० विधायक के पत्र पर पत्रावली प्रारम्भ हुई, परन्तु मुकदमा गुण-दोष के आधार पर यथोचित विचारोपरान्त वापस लिया गया है ।

जी नहीं । परन्तु उपरोक्त व्यक्तियों में से मात्र श्री गोविन्द के विरुद्ध अभी भी एक आपराधिक वाद, अ० सं०–399/90 लम्बित होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद की साधन सहकारी समिति मानूडीह विकास खण्ड अमानीगंज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला

40–श्री राजेश कुमार सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साधन सहकारी समिति मानूडीह विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद–फैजाबाद में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें समिति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण दिसम्बर, 1996 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और न ही उन्हें वेतन भुगतान

करने में सक्षम समिति में स्थानान्तरित ही किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

एक कर्मचारी श्री जगन्नाथ तिवारी आंकिक/विक्रेता को माह दिसम्बर, 1996 से अब तक (1-1-99) वेतन का भुगतान समिति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं हो सका है । समिति के कर्मचारी होने के कारण इनके अन्यत्र स्थानान्तरण का प्राविधान नहीं है ।

समिति को अपने कार्य व्यवसाय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने के लिए विभागीय परामर्श/मार्गदर्शन दिया गया है ।

प्रदेश में बन्दी की ओर उन्मुख छविगृहों की स्थिति में सुधार हेतु उपाय तथा मनोरंजन कर से प्राप्त आय व गरीबों को सस्ते मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक सरकारी योजना की जानकारी की मांग

41–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बन्द होने वाले छविगृहों के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हा, तो वह उपाय क्या हैं ? प्रतिवर्ष मनोरंजन कर के रूप में सरकार को कितनी आय हो रही है ? क्या सरकार मनोरंजन कर कम करने पर विचार कर रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अन्य राज्यों की भांति गरीबों/मजदूरों को सस्ते मनोरंजन की सुविधा प्रदान करने के लिये कोई योजना बनाई जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

(क) 25 पैसे के स्थान पर 1.00 रुपये प्रति टिकट कर रहित प्रभार वसूल करने का अधिकार छविगृह स्वामियों को छविगृह के अनुरक्षण एवं समुचित रख-रखाव हेतु दिया गया है ताकि अधिक से अधिक दर्शक छविगृह के प्रति आकर्षित हों ।

(ख) प्रत्येक वर्ष 15 मार्च से 15 अक्टूबर तक के लिये प्रत्येक केन्द्रीय वायुशीतित एवं केन्द्रीय वातानुकूलित छविगृहों के लिये अतिरिक्त प्रभार 10 पैसे व 25 पैसे को बढ़ाकर क्रमशः 25 पैसे व 60 पैसे कर दिया गया है ।

(ग) दिनांक 1-7-98 के पूर्व से कम से कम दो वर्ष से बन्द चले आ रहे छविगृहों को पुनः संचालित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 31-12-2000 तक के लिये एक ऐसी योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत खुलने वाले छविगृहों को पुनः संचालन की तिथि से प्रथम तीन वर्ष के लिये प्रदर्शित फिल्म के संबंध में देय आमोदकर की धनराशि के 30 प्रतिशत के बराबर अनुदान अनुमन्य होगा ।

गत पांच वर्षों की मनोरंजन कर से प्राप्त आय निम्नवत् है :–

वर्ष	प्राप्त आय
1992-93	86.24
1993-94	96.81
1994-95	96.57
1995-96	110.92
1996-97	115.50
1997-98	133.94

दिनांक 14-9-98 से मनोरंजन कर की दरें 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दी गयी है ।

प्रदेश में मनोरंजन कर की दरें कम कर दिये जाने से गरीबों/मजदूरों को स्वतः सस्ता मनोरंजन प्राप्त हो रहा है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर ऐसी फिल्मों को जिन्हें लोक हित में अधिक से अधिक लोगों को दिखाया जा सके । उन्हें मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया जाता है जिससे सस्ती दर पर जनसामान्य को मनोरंजन सुलभ हो जाता है ।

उत्तर प्रदेश के समस्त मनोरंजन पार्कों को जनहित में मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया है ।

जनपद हरदोई के कस्बा माधोगंज में श्रीमती कमला देवी बेवा बाल किशन के उत्पीड़न विषयक जानकारी

42–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के कस्बा माधोगंज, निवासिनी श्रीमती कमलादेवी बेवा बाल किशन द्वारा दिनांक 24-12-97 को भेजा गया तार माननीय मुख्य मंत्री एवं पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ मण्डल को दिनांक 31-12-97 या 1-1-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट संबंधित थाना में आज तक दर्ज नहीं की गयी है ? क्या पीड़ित महिला को न्याय प्रदान कराने हेतु उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्णित पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं । ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला को न्याय दिये जाने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[दिनांक 10-2-99 को अता० प्र० सं०–178 द्वारा उत्तरित ।]

44–श्री राजधारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद अम्बेडकर नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में श्री सूर्य प्रकाश तिवारी, महासचिव समता पार्टी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य प्रकाश तिवारी, महासचिव समता पार्टी का जनपद–अम्बेडकर नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से संबंधित पत्र दिनांक 27-4-98 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

47–श्री राम प्यारे सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

48–श्री राम पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां सुल्तानपुर को शिकायतकर्ता द्वारा ऋण लेना सही पाये जाने का प्रकरण

49–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–93 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित सदस्य की सदस्यता तथा बैंक में प्रमाणित हस्ताक्षरों को प्राप्त कर विशेषज्ञों से इसकी सदस्यता तथा प्राप्त कर्ज को पुनः सत्यापित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' रामू कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण में जांच पहले ही करायी जा चुकी है । शिकायतकर्ता द्वारा ऋण लेना सही पाया गया है । ऐसे कोई प्रकरण नहीं है कि विशेषज्ञों से पुनः जांच कराने की आवश्यकता हो ।

50–श्री तेजभान सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिला रायबरेली, ग्राम सभा जलालपुर, विकास खण्ड बछरावां तहसील महराजगंज के कोटेदार श्री विजय बहादुर पर राशन वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी का आरोप

51–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-सभा जलालपुर, विकास खण्ड बछरावां, तहसील महराजगंज, जनपद रायबरेली के कोटेदार श्री विजय बहादुर को राशन वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी करने के आरोप में दिनांक 22-12-97 को इनकी दुकान का लाइसेंस निलम्बित कर खण्ड विकास अधिकारी, बछरावां द्वारा धारा 3/7 के तहत कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो कोटेदार का कोटा निलम्बित किये जाने के बाद पुनः किस आधार पर कोटा दिया गया है ? क्या यह सही है कि दिनांक 26-9-98 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक में श्री विजय बहादुर कोटेदार के स्थान पर श्री मंशाराम पुत्र स्व० श्री गजोधर के पक्ष में कोटा देने का प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह–

ग्राम सभा–जलालपुर, विकास खण्ड बछरावां, तहसील–महराजगंज, जनपद रायबरेली के कोटेदार श्री विजय बहादुर के विरुद्ध राशन वितरण में की जा रही अनियमितता एवं कालाबाजारी करने के

आरोप में खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर दुकानदार का अनुबन्ध उप जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा दिनांक 25-11-97 को निलम्बित कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर दुकान का अनुबन्ध जनहित में प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि 250/- रुपया शासन के पक्ष में जब्त कर भविष्य हेतु सचेत करते हुए उप जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा दिनांक 30-1-98 को बहाल कर दिया गया।

उक्त दुकानदार के विरुद्ध राशन वितरण सम्बन्धी पुनः प्राप्त शिकायत पर उप जिलाधिकारी महराजगंज के आदेशानुसार दिनांक 26-9-98 को खण्ड विकास अधिकारी बछरावां के पर्यवेक्षक सहायक विकास अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक में विजय बहादुर दुकानदार की दुकान निरस्त करने एवं श्री मंशाराम पुत्र श्री गजोधर निवासी जलालपुर को नया उचित दर विक्रेता नियुक्त करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी महराजगंज के आदेश दिनांक 8-11-98 द्वारा श्री मंशाराम निवासी जलालपुर को उचित दर विक्रेता नियुक्त किया गया है जिसके द्वारा वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं का उठान एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है।

52–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

वर्ष 1998 में प्रतापगढ़ तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में पकड़े गये फर्जी शस्त्र लाइसेंसों की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि क्या अगस्त, 1998 में जनपद–प्रतापगढ़ में फर्जी शस्त्र लाइसेंस पकड़े गये ? यदि हां, तो कितने ? क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? क्या प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसके आधार पर जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कितने जनपदों में फर्जी लाइसेंस प्रकाश में आये ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 55 शस्त्र लाइसेंस फर्जी बनाये गये थे।

इस सम्बन्ध में 59 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या–1127/98 पंजीकृत कराया गया है तथा फर्जी पाये गये लाइसेंसों को जिला मैजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के मामले जब भी प्रकाश में आते हैं उनकी विधिक जांच करायी जाती है और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंत्रियों से सम्बन्ध होने विषयक प्रकरण

54–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में प्रदेश मंत्रि मण्डल के सदस्यों के नाम भी जांच के दौरान प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो कितने सदस्यों के नाम आये हैं ? उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

इस सम्बन्ध में जांच प्रचलित है।

55–श्री अशोक कुमार सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

56–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में भूमि विक्रय पत्रों का पंजीकरण व प्राप्त धनराशि विषयक जानकारी

57–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक 1 अक्टूबर, 1998 से दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 तक भूमि विक्रय पत्रों की कितने पंजीकरण किये गये हैं और इससे सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या यह सत्य है कि सब-रजिस्ट्रार कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम की धनराशि का पंजीकरण कराया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी सब रजिस्ट्रार कोटद्वार के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं है। सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय है। सब-रजिस्ट्रार कोटद्वार के कार्यालय में दिनांक 1 अक्टूबर, 1998 से 31 अक्टूबर, 1998 तक 74 भूमि विक्रय पत्रों का पंजीकरण कराया गया और इससे सरकार को रु० 6,40,153.00 की धनराशि प्राप्त हुई है।

शासन द्वारा पंजीकरण कराने हेतु कोई धनराशि का लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि इतनी धनराशि का पंजीकरण किया जाय। सब-रजिस्ट्रार द्वारा शासन/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय पत्रों का पंजीकरण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों में दर्ज फर्जी एस०सी०एस०टी०ऐक्ट की जांच के सम्बन्ध में वादी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की मांग

58–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले सोमवार के प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–55 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उल्लिखित अपराध जांच में फर्जी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी फर्जी मुकदमा फर्जी पंजीकृत कराकर अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। अपितु जांच से प्रतिवादीगण के विरुद्ध साक्ष्याभाव में उक्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट संख्या–14 दिनांक 31-12-97 को प्रेषित की जा चुकी है। जो विचाराधीन न्यायालय है।

चूंकि उक्त मुकदमें में साक्ष्याभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अतः वादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सब रजिस्ट्रार कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल कार्यालय में भूमि विक्रय पत्रों में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में जांच का मामला

59-श्री अम्बरीष कुमार–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि सब-रजिस्ट्रार कोटद्वार जिला–पौड़ी गढवाल के कार्यालय में माह जुलाई 1998 में कुल कितने भूमि विक्रय पत्रों का पंजीकरण किया गया और इनमें से कितने भूमि विक्रय पत्रों की जांच जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के लिये प्रेषित की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

सब-रजिस्ट्रार कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में माह जुलाई 1998 में कुल 110 भूमि विक्रय पत्रों का पंजीकरण किया गया और इनमें से 2(दो) विक्रय पत्रों की जांच जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के लिये प्रेषित की गयी है ।

जनपद वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र मनीष राय की रहस्यमय मृत्यु की जांच सी०बी०आई० से कराने की मांग

60–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र मनीष राय की विचित्र व रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 13 जुलाई, 1998 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मृतक के परिवारजनों द्वारा सम्पूर्ण घटना की सी० बी० आई० द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग पर क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के छात्र श्री मनीष राय की मृत्यु/कथित हत्या की विवेचना सी० बी० आई० से कराने हेतु राज्य सरकार की संस्तुति दिनांक 27-10-98 को भारत सरकार को भेजी जा चुकी है ।

जनपद मिर्जापुर में जिला सहकारी बैंक लि० के सहानुभूति कर (व्यक्तिगत) सदस्यों में जीवित सदस्यों की जानकारी

61–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि०, जनपद मिर्जापुर के सहानुभूति कर (व्यक्तिगत) सदस्यों में अब कितने जीवित सदस्य हैं ? क्या संचालक मंडल के विगत निर्वाचन में सहानुभूति कर सदस्यों की निर्वाचक मतदाता सूची में अनेक मृत सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया था ? क्या जीवित सदस्यों के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से भौतिक सत्यापन कराकर जीवित सहानुभूतिकर (व्यक्तिगत) सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रश्नगत सदस्यों के जीवित अथवा मृतक होने का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कराया जा रहा है ।

प्रश्नगत प्रकरण के जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जीवित सदस्यों के बारे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। आवश्यकता होने पर जीवित सदस्यों की सूची सदन में प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रताप सिंह सेंगर, वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

62–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शेर सिंह वर्मा, जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी जनपद एटा ने एक शिकायती रजि० पत्र जो श्री प्रताप सिंह सेंगर, वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा के कार्यकाल में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 5-9-98 या इसके आस-पास दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, श्री शेर सिंह वर्मा का शिकायती पत्र दिनांक 5-9-98 प्राप्त हुआ था। शिकायती-पत्र पर निदेशक कोषागार के माध्यम से जांच करायी गयी। निदेशक, कोषागार से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर शिकायतें निराधार पाये जाने के कारण प्रकरण को समाप्त किया जा चुका है।

सहायक निबन्धक सहकारिता सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री शीतला बख्श सिंह पुत्र श्री नन्द बहादुर सिंह पूरे जूड़ा उपाध्याय मजरे सोंराव बल्दीराम सुल्तानपुर के प्रार्थना-पत्र पर लिये गये निर्णय की जानकारी

63– श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–110 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रार्थी के कथित ऋण खातों को बन्द कर नो-ड्यूज दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध शाखा प्रबंधक श्री राज कुमार तिवारी एवं सहायक विकास अधिकारी (सह०) श्री पारस नाथ सिंह द्वारा अपील की गयी है।

64–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दि० 6-7-98 को अता० प्र० सं०–73 द्वारा उत्तरित।]

65–डा० वकार अहमद शाह–

[दि० 10-2-99 को अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित।]

66–श्री सीताराम निषाद–

[दि० 16-2-99 को अता० प्र० सं०–181 द्वारा उत्तरित।]

आटो ट्रैक्टर लिमिटेड के छटनीशुदा कर्मचारियों श्री ओमकार सिंह आदि का लखनऊ परिवहन आयुक्त कार्यालय में नियुक्ति का मामला

67–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओमकार सिंह निवासी गोमती नगर लखनऊ ने एक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 27-6-98 या इसके आस-पास उनको तथा दिनांक 27-5-98 को ट्रांसपोर्ट आयुक्त,

लखनऊ को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० शासन ने आटो ट्रैक्टर लि० के छंटनी शुदा कर्मचारियों को चयन हेतु उन्हें दिनांक 16-11-94 तथा 21-5-97 को साक्षात्कार हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी चयनित हुये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री ओमकार सिंह का प्रश्नगत पत्र सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर नियुक्ति के संबंध में था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16-3-98 के अनुसार उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है । इस सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह को सूचित कर दिया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

4 कर्मचारी चयनित हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68–डा० मुस्लिम–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बदायूं थाना बिल्सी के आरक्षी 461 ना० पुलिस हरिओम दीक्षित, आरक्षी 308 जगमोहन सिंह एवं आरक्षी ना० पुलिस 43 राम चन्द्र के द्वारा अपराधियों से सांठ-गांठ का आरोप

69–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय कम्प्यूटर सेल सी–014924 दिनांक पत्र संख्या सी० एम०/दिनांक का/एक–3/1424/98 का प्राप्त हुआ था जिस पर थाना-बिल्सी जनपद बदायूं के क० सं० 82 राम चन्द्र क०सं०–461 ओम दीक्षित एवं क०सं० 380 जगमोहन सिंह के विरुद्ध अपराधियों से सांठ-गांठ करने के आरोपों की जांच किये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, बरेली को दिनांक 11-8-98 के द्वारा आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र दिनांक 11-8-98 को पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली जोन को जांच हेतु भेजा गया । जांच में पाया गया कि आरक्षी 461 ना० पुलिस हरिओम दीक्षित, आरक्षी 308 जगमोहन सिंह एवं आरक्षी ना० पुलिस 43 रामचन्द्र थाना बिल्सी जनपद बदायूं के द्वारा अपराधियों से सांठ-गांठ रखने की बात प्रकाश में नहीं आयी । जांच के मध्य प्रकाश में आया कि आरक्षी 43 ना० पुलिस राम चन्द्र की थाना बिल्सी पर दोबारा नियुक्ति हुई है जिसके कारण उसे थाना बिल्सी से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपराध सं० 584/97 धारा 382/281 आई० पी० सी० जिला मुरादाबाद थाना–बनियाठेर में पंजीकृत अभियोग के मृतक राम सिंह जाटव को मुआवजा दिये जाने की मांग

70–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अपराध सं०–584/97 धारा-382/281 आई० पी० सी० थाना-बनियाठेर जिला मुरादाबाद में पंजीकृत अभियोग के मृतक रामसिंह जाटव पुत्र त्रिवेनी नि० मु० नं०–5 बिल्सी जनपद बदायूं के प्रार्थना-पत्र पर मुख्य मंत्री ने सी० एम०/वि०को०/एम–3/149/बदायूं/98 दिनांक 11-8-98 के द्वारा जांच के आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के मृतक को मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

विषयगत प्रश्न से संबंधित प्रार्थना-पत्र मा० मुख्य मंत्री के विधायक कोष्ठक द्वारा दिनांक 11-8-98 को जांच हेतु सीधे पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को भेजा गया था ।

उक्त सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विषयगत अभियोग की सं० 504/97 है जिसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि उक्त मु०अ०सं 504/97 थाना बनियाठेर, जनपद मुरादाबाद, धारा 302/201/394 भा०द०वि० के अधीन पंजीकृत है तथा मृतकों के नाम वीर सिंह उर्फ बाबा पुत्र त्रिवेनी जाटव नि० मं० नं०–5, कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूं तथा राजवीर पुत्र लच्छूपाल नि० मं० नं०–8, कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूं है । अभियोग की विवेचना में पाया गया कि अभियोग की विवेचना में मृतकों की शिनाख्त हुई और ट्रैक्टर ट्राली लूटने का मामला प्रकाश में आया जिसके फलस्वरूप अभियोग में धारा 394 जोड़ी गयी ।

जी हां ।

विवेचना से उक्त अपराध एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट का होना नहीं पाया गया फलस्वरूप ऐसी स्थिति में मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश की साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों की प्रोन्नति, पेंशन दिये जाने तथा राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की मांग

71–श्री श्रीराम पाल–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों को सहायक विकास अधिकारी (सह०) के पदों पर प्रोन्नत किये जाने तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों को सहायक विकास अधिकारी (सह०) पदों पर प्रोन्नत किये जाने हेतु अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव निबन्धक से प्राप्त हुआ है, परन्तु नियमावली में यह संशोधन अभी नहीं हुआ है । उक्त सचिवों को पेंशन देने हेतु सरकार में कोई योजना विचाराधीन नहीं है, अपितु भारत सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को अंगीकृत करते हुए उसके अनुरूप पेंशन योजना का एक प्रस्ताव भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को भेजा गया था, परन्तु उन्होंने अभी उक्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत कर्मचारियों की सेवाओं को वर्ष, 1976 में उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम की धारा–122, क के प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्रीयित किया गया है और यह व्यवस्था सुचारु रूप से लागू है । इन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है । राज्य की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए भी यह सम्भव नहीं है ।

गायब आरक्षी 706 ए० पी० श्री अमर बहादुर सिंह का पता लगाने तथा इसके आश्रित परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था का प्रकरण

72–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के द्वितीय सोमवार को प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत आरक्षी का कोई पता लगाया जा सका है ? यदि नहीं, तो क्या पीड़ित आश्रित परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत आरक्षी 706 ए० पी० अमर बहादुर सिंह का अभी तक कोई पता नहीं लग सका है । जांच प्रचलित है ।

जांच पूर्ण होते ही आरक्षी के आश्रित परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां सुल्तानपुर को समिति का सदस्य न होने के कारण धन वसूली हेतु आर्बीट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की जानकारी

73–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–93 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत धन की वसूली हेतु आर्बीट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण की जायेगी ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

दिनांक 9-2-99 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना बिल्सी, जनपद बदायूं के नामजद अभियुक्तों गौहर अली, पप्पू उर्फ उमेश आदि के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी

74–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध सं० 225/98 धारा–301 आई० पी० सी० दिनांक 12-7-98 थाना–बिल्सी, जनपद बदायूं के द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल न भेजे जाने का क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

वादी श्री शौकत पुत्र नन्हें खां निवासी बेहटा गुसाई, थाना बिल्सी द्वारा सर्व श्री अब्दुल गनी, पप्पू उर्फ उमेश, वीरेन्द्र एवं गौहर अली के विरुद्ध जान से मारने की शिकायत पर थाना बिल्सी पर अपराध सं० 225/98, धारा 307 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ । विवेचना से उक्त नामजद अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों सर्वश्री गौहर अली, पप्पू उर्फ उमेश तथा वीरेन्द्र की नामजदगी पार्टी बन्दी के कारण झूठी पाई गई । चौथे अभियुक्त अब्दुल गनी पुत्र अब्दुल नबी के विरुद्ध घटना में लिप्त होने के पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया । फरार होने की दशा में उसके विरुद्ध धारा 82/83 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 23-7-98 को करते हुए उसके विरुद्ध मफरूरी में आरोप-पत्र सं० 173 दिनांक 2-10-98 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है ।

मेसर्स वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि० (आसवनी इकाई) द्वारा 305 किलोलीटर/दि इण्डस्ट्रियल एल्कोहल के उत्पादन से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या तथा उसके निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि गजरौला स्थित वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि० 350 किलोलीटर इण्डस्ट्रियल अल्कोहल का उत्पादन करती है और शीरेनुमा गाढ़ा प्रदूषित पानी (स्पैन्ट वाश) को बगद नाले में उत्प्रवाहित किया जाता है ? क्या प्रदूषित पानी महोबा नदी से होकर गंगा नदी में मिलकर कानपुर तक जल को प्रदूषित कर रहा है ? क्या यह सही है कि इस इस उत्प्रवाह का प्रदूषण स्तर 30 बी० ओ० डी० के मानक के मुकाबले 30 हजार बी० ओ० डी० के खतरनाक स्तर तक मापा गया है ? यदि हां, तो इस उत्प्रवाह को रोकने के लिये अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

मेसर्स वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि० (आसवनी इकाई) द्वारा 305 किलोलीटर/दि इण्डस्ट्रियल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है । औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर संचालित किया जा चुका है । उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार उत्प्रवाह को पक्के लाइण्ड लैगून में एकत्र करके केवल वर्षा ऋतु में बगद नदी में निस्तारित करने की व्यवस्था की गई है । उद्योग द्वारा दिनांक 20-10-97 से उत्प्रवाह एकत्रित किया जा रहा है । केवल दिनांक 20-7-98 से दो माह के लिये वर्षा ऋतु के दौरान उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित किया गया था । वर्तमान में उद्योग के उत्प्रवाह का बगद नदी में निस्तारण बन्द है ।

उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह में रंग की समस्या विद्यमान है । रंग को दूर करने की कोई तकनीक अभी भारत में प्रचलित नहीं है । उद्योग द्वारा रंग की समस्या के निवारण हेतु आई० टी०आर० सी० के साथ अनुबन्ध किया गया है ।

जी नहीं, उद्योग द्वारा मानक के अन्दर ही उत्प्रवाह उत्सर्जित किया जा रहा है ।

जी नहीं, पिछले तीन वर्षों में उद्योग के विभिन्न बिन्दुओं से 21 उत्प्रवाह के नमूने एकत्रित किये गये जिनमें से 3 नमूने उद्योग के अंतिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित थे । उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह में बी० ओ० डी० निर्धारित मानक 30 मिग्रा/लीटर के अन्तर्गत ही पायी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर चमड़ा उद्योग जाजमऊ की उद्योग इकाईयों द्वारा विषैले उत्प्रवाह से गंगा नदी में उत्पन्न जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर चमड़ा उद्योग की कितनी इकाइयां हैं तथा किस-किस कारखाने में कब से क्रोमियम एक्सटेक्शन प्लांट लगे हैं ? क्या यह सही है कि क्रोमियम युक्त रासायनिक विषैला कचरा गंगा नदी में बहाया जा रहा है ? क्या प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद कानपुर-नगर स्थित जाजमऊ में 354 चमड़ा उद्योग स्थापित हैं जिसमें छः वृहद श्रेणी के तथा 10 मध्यम श्रेणी के हैं एवं 338 लघु श्रेणी के हैं ।

उद्योग का नाम (जिसमें क्रोमरिकवरी प्लांट स्थापित है)	उद्योग का स्थापना वर्ष
1	2
1–मे० पायनियर लेदर फिनिशर्स प्रा० लि०, जाजमऊ, कानपुर	1988
2–मे० सुपर टैनरी इण्डिया लि०, जाजमऊ, कानपुर	1988
3–मे० जाज टैनरी 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर	1990
4–मे० एशिया टैनरी प्रा० लि०, जाजमऊ, कानपुर	1990
5–मे० पेसिफिक लेदर फिनिशर्स, जाजमऊ, कानपुर	1990
6–मे० होमेरा टैनिंग इण्ड०, जाजमऊ, कानपुर	1991

वृहत श्रेणी के छः चमड़ा उद्योगों में से 2 में क्रोमियम रिकवरी प्लांट स्थापित है तथा चार उद्योगों द्वारा क्रोमियम रिकवरी प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

मध्यम श्रेणी के 10 उद्योगों में से 2 में क्रोमियम रिकवरी प्लाण्ट स्थापित है, 5 उद्योगों द्वारा स्थापना के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं एवं 2 चमड़ा उद्योग वैजीटेबिल टैनिंग पर आधारित होने के कारण उनमें क्रोमियम रिकवरी प्लाण्ट की आवश्यकता नहीं है तथा एक उद्योग स्वतः कारणों से बन्द चल रहा है ।

लघु श्रेणी के उद्योगों में से 39 वेजीटेबिल टैनिंग पद्धति, 47 स्पिलिट साइड का कार्य करते हैं जिनमें क्रोम रिकवरी प्लाण्ट की आवश्यकता नहीं है । 37 उद्योग ऐसे हैं जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के आदेश से बंद है । लघु श्रेणी के 30 हाइड से अधिक क्षमता के क्राम टैनिंग के 103 उद्योगों को निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं । शेष अति लघु श्रेणी के उद्योगों में जिसमें हाऊस एलकलाइन ट्रीटमेन्ट के कारण टैन्ड हाउस से जनित क्राम वीमरिंग उत्प्रवाह का प्रेरीपिटेशन होकर उद्योग में स्थापित पी०ई०टी०पी० के इक्वे लाइजेशन बैंक में स्लज के साथ सेटल हो जाता है इस प्रकार ऐसे उद्योगों को भी क्रोमियम रिकवरी प्लाण्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है । जाजमऊ स्थित समस्त कार्यरत चमड़ा उद्योगों का जनित उत्प्रवाह प्राथमिक शुद्धिकरण संयंत्र के द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात् कामन कन्वेन्स सिस्टम द्वारा संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में भेजा जाता है । संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित होने वाला उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति कर रहा है तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है ।

जी नहीं । उपर्युक्त उद्योगों द्वारा मानक के अन्दर ही उत्प्रवाह का उत्सर्जन किया जा रहा है ।

समय-समय पर उद्योगों को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को सुचारु रूप से चलाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की थापर डिस्टलरी द्वारा गैरशोधित कचरा गंगा नदी में छोड़े जाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में जानकारी

77–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव की थापर डिस्टलरी द्वारा प्रतिदिन 500 से 600 किलोलीटर गैर शोधित कचरा उन्नाव के शहरी नाले से होकर गंगा नदी में सीधे डाला जा रहा है ? क्या उसका प्रदूषण स्तर सुरक्षित सीमा के मुकाबले 8 से 10 गुना विषैला है ? यदि हां, तो अब तक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र न लगाये जाने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर प्रदूषण रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से लगभग 300 कि०ली० प्रतिदिन उत्प्रवाह जनित होता है जिसको शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत करके उन्नाव के शहरी नाले/जेल ड्रेन से होकर गंगा नदी में निस्तारित किया जाता है, किन्तु उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत नहीं पाया जा रहा है ।

उत्प्रवाह निर्धारित मानकों से 10 गुने से भी अधिक प्रदूषित पाया गया है ।

उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है, परन्तु प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत नहीं पाया गया । जिस कारण उद्योग को दिनांक 25-07-96 को जल अधिनियम 1974 की धारा 33 (ए) के अधीन "कारण बताओ नोटिस" जारी किया गया था । इस संबंध में उद्योग द्वारा अपने उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उसका क्रियान्वयन निर्धारित समय में नहीं किये जाने के कारण उद्योग को जल

अधिनियम की धारा 33ए के अन्तर्गत उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक जी1443/सी-5/1/जल-एल-58/99/71 दिनांक 3-2-99 द्वारा बंद करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी स्थित एपेक्स हास्पिटल के मालिक डा० संतोष कुमार सिंह द्वारा भिखारीपुर में नगर निगम द्वारा सार्वजनिक रास्ते से हटाये गये अतिक्रमण पर पुनः अतिक्रमण किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

78-श्री सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि श्रीमती रीता सिंह व अनिल कुमार सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-9-98, जो एपेक्स हास्पिटल के मालिक डा० संतोष कुमार सिंह द्वारा भिखारीपुर में नगर निगम द्वारा सार्वजनिक रास्ते से हटाये गये अतिक्रमण पर पुनः अतिक्रमण करने के संबंध में था, थानाध्यक्ष, लंका, जिला-वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सूचना प्राप्ति के बावजूद क्या विवादित स्थल से दिनांक 24-9-98 को रात्रि में 9 बजे तैनात पुलिस बल एवं पी० ए० सी० हटा ली गयी ? क्या पुलिस बल हटाये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमणकर्ता डा० संतोष द्वारा दिनांक 25-9-98 को प्रश्नगत सार्वजनिक रास्ता पुनः अतिक्रमण करके जबरन अवरुद्ध कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध आपराधिक धाराओं के तहत तत्काल कार्यवाही हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, दिनांक 23-9-98 को नगर निगम द्वारा जोनल अधिकारी, भेलूपुर श्री महेन्द्र नाथ चुतर्वेदी के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी दस्ता अतिक्रमण हटवाने हेतु गया था । इस सम्बन्ध में अतिक्रमण हटवाने हेतु कोई पुलिस बल या पी० ए० सी० नहीं लगायी गयी थी । दिनांक 24-9-98 को उ०नि० नागरिक पुलिस श्री सोबरन सिंह यादव जो देखभाल गस्त में थे, सूचना पर मौके पर गये थे वहां तनाव व विवाद को देखते हुये धारा 107/116(3) सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही दिनांक 24-9-98 को कर दिये थे । पुनः डा० संतोष सिंह ने अतिक्रमण कर लिया था जिसके सम्बन्ध में नगर निगम को पुनः बताया गया था परन्तु मामला दीवानी न्यायालय में तृतीय अपर सिविल जज के यहां मुकदमा नं० 796/96 विचाराधीन होने व वाद संख्या 953/98 कृष्ण कुमार बनाम नगर निगम विचाराधीन होने से पुनः अतिक्रमण नहीं हटाया गया । यह मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रदेश में बन्द सहकारी समितियों को सुचारु रूप से संचालित कर उनके माध्यम से किसानों की खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि उपलब्ध कराने की मांग

79-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सहकारिता मंत्री बता की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द सहकारी समितियों को चालू कराते हुये उनके माध्यम से कृषकों को खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें इत्यादि सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक . यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां,

निबंधक के परिपत्र सं०–सी–65/अधि० दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 तथा परिपत्र सं०–सी–180/अधि० दिनांक 15 जुलाई, 1998 द्वारा प्रदेश के कृषि उत्पादन के सुचारु रूप से संचालन की दृष्टि से ऐसी समितियां जिनके परिसमापन/समामेलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है अथवा जिनके संबंध में सहकारी समिति अधिनियम की धारा–65 के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये गये हैं, को छोड़कर अन्य सभी कृषि ऋण सहकारी समितियों के वित्त पोषण हेतु निर्देश दे दिये गये हैं, ताकि कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृषि निवेशो (खाद-बीज आदि) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं थाना बिल्सी में पंजीकृत अपराध संख्या 521/95 धारा 147/148/442 आई० पी० सी० में दर्ज रिपोर्ट तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 521/95 धारा–147/148/442 आई० पी० सी० थाना–बिल्सी, जनपद बदायूं दिनांक 1-11-95 में अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री अमर सिंह पुत्र पुलन्दर सिंह निवासी सिद्धपुर चित्रसेन थाना बिल्सी की सूचना पर कि सर्वश्री योगेन्द्र सागर, प्रेमपाल सिंह, वेदराम, दयाराम, मुन्ना सिंह, चरन सिंह उर्फ पप्पू आदित्य चैतन्य तथा पांच अन्य व्यक्तियों नाम पता अज्ञात द्वारा जशपाल सिंह आदि को अवैध रूप से बन्दूक की नोक पर ले जाकर बन्द रखा है, पर थाना बिल्सी पर मु०अ०सं०521/95 धारा 147/148/442 भा०द०वि० बनाम उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना से पाया गया कि उक्त मुकदमा फर्जी पंजीकृत कराया गया था । घटना असत्य एवं निराधार पाई गई । मामले में अंतिम रिपोर्ट दिनांक, 15-6-98 को लगाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81-82–श्री राम औतार श

। सदन की सेवा से विलम्बित होने के कारण हटाया गया । ।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को अमीन द्वारा कच्ची रसीद दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र की जांच

83–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–6 के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच आख्या क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जांच आख्या के आधार पर अमीन द्वारा बिना रसीद काटे ही शिकायतकर्ता श्री शिव प्रसाद मिश्र के कुर्क शुदा मवेशियों को लिखकर कांजीहाउस से छुड़ाने का दोषी पाया गया है।

दण्ड स्वरूप अमीन से शिकायतकर्ता के खाते में मु०–4200.00 जमा कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निबन्धक, सुल्तानपुर के श्री राम सुख ग्राम सरौली गौरीगंज द्वारा अमीन के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–98 के उत्तर संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत वाद का निर्णय प्राप्त हो गया हैं ? यदि हां, तो निर्णय क्या है तथा इसकी वसूली क्या सम्बन्धित कर्मचारी से की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

सोलआर्बीट्रेटर ने मु० 700.00 असल व तारीख ब्याज की वसूली भूतपूर्व सचिव श्री राज किशोर मिश्र से तथा मु० 144.00 असल एवं उस पर निर्धारित होने वाले सूद की वसूली श्रीमती रामरती पत्नी रामसुख से करने का निर्णय दिया है।

दिनांक 21-12-98 को सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मो० इदरीश पुत्र जुम्मन आदि ग्राम गोरियाबाद द्वारा सहायक निबन्धक सुल्तानपुर को दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच

85–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–23 के उत्तर संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मध्यस्थ की कार्यवाही का निर्णय कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

माह फरवरी, 1999 के अन्त तक अभिनिर्णय सम्भावित है।

86–श्री हरदेव सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद जालौन के विभिन्न थानों में माह 1 जुलाई, 1998 से 30 अक्टूबर, 1998 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमों को निपटाने का मामला

87–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत माह 1 जुलाई, 1998 से 30 अक्टूबर, 1998 तक थानावार कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किये गये हैं ? क्या यह सच है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमों की कार्यवाही न कराकर उनमें अन्तिम आख्या लगाकर अपराधियों को बचाया जा रहा है तथा मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसे पंजीकृत वादों की जिनमें अन्तिम आख्या लगाकर मामले खत्म कर दिये गये हैं, उनकी मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आलोच्य अवधि में जनपद जालौन के समस्त थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 20 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध विवरण से स्पष्ट है कि पंजीकृत किये गये मुकदमों में से केवल तीन अभियोगों में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है। आठ अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है और 9 अभियोगों में विवेचना प्रचलित है। अतः यह कहना सही नहीं है कि इन मुकदमों में अन्तिम आख्या लगाकर अपराधियों को बचाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत तीनों अभियोगों की विवेचना राजपत्रित अधिकारी के स्तर से की गयी है और तत्पश्चात् झूठी रिपोर्ट अंकित किये जाने अथवा अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है प्रत्येक अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जाती है। अतः न्यायालय द्वारा ही विवेचनाधिकारी के द्वारा की गयी जांच की समीक्षा हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 127-128 पर।)

जनपद जालौन के विभिन्न थानों में माह 1 जुलाई, 1998 से 30 अक्टूबर, 1998 तक पंजीकृत हत्या के गम्भीर मामलों में की गयी उपेक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग

88–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत गत माह 1 जुलाई, 1998 से 30 अक्टूबर, 1998 तक थानावार घटित हत्याओं की घटनाओं की कितनी प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं ? क्या यह सच है कि इस अन्तराल में करीब 50 ऐसे लोगों की हत्यायें हुई जिनकी लाश की शिनाख्त न होने व किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा प्राथमिकी दर्ज न कराये जाने से मामलों को रफा-दफा कर दिया जाता रहा है ? क्या इस गम्भीर मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद जालौन में कुल 18 थाने हैं । आलोच्य अवधि में 11 थानों में कुल 24 प्राथमिकी हत्या की दर्ज की गयी, जिनमें से (1) थाना जालौन में 5 (2) थाना माधौगढ़ में 1 (3) थाना रामपुरा में 1 (4) कोतवाली उरई में 2 (5) थाना आटा में 2 (6) थाना कदौरा में 3 (7) थाना सिरसा कलार में 1 (8) थाना कुछोंदा में 3 (9) थाना कोंच 3 (10) थाना कैलिया में 2(11) थाना नदी गांव में 1 प्राथमिकी दर्ज हुई है ।

जी नहीं । आलोच्य अवधि में हत्या के कुल 24 प्रकरणों में मृतकों की संख्या–27 है । उपरोक्त 24 में से हत्या की दो घटनाओं (1) अपराध संख्या–150/98 धारा 302/201 भा०द०वि० थाना रामपुरा तथा (2) अपराध संख्या–356/98 धारा 302/201 भा०द०वि० थाना कोंच में मृतकों की सही शिनाख्त एवं पुष्टि करना शेष है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आलोच्य अवधि का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें किसी पारिवारिक सदस्य अथवा किसी अन्य के द्वारा प्राथमिकी न दर्ज कराये जाने के कारण मामला रफा-दफा कर दिया गया हो ।

जी नहीं, किसी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है । चूंकि आलोच्य अवधि के कुल 24 मामलों में से 17 मामलों में विवेचना पूर्ण कर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं । शेष 7 मामलों में विवेचना जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के ग्राम पृथ्वीपुरा, थाना गोहन, चौकी ईंटों निवासी सन्तोष पुत्र भूरे की हत्या का प्रकरण

89–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अगस्त, 1998 में ग्राम पृथ्वीपुरा, थाना गोहन, चौकी ईंटों जनपद जालौन निवासी सन्तोष पुत्र भूरे नामक व्यक्ति की हत्या की प्राथमिकी थाना गोहन में पंजीकृत हुई थी तथा प्रकरण की तफतीश थानाध्यक्ष माधौगढ़ को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त हत्या तत्कालीन थानाध्यक्ष गोहन व तत्कालीन चौकी इंचार्ज ईंटों की अभियुक्तों से सांठगांठ से की गयी थी जिसमें उच्च अधिकारियों के दबाव पर ही मुकदमा लगभग एक माह बाद कायम किया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पुलिस अधिकारियों की सत्यनिष्ठा सन्दिग्ध होने पर उनको जनपद से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दिनांक 14-8-98 को घटना घटित हुई थी । अपर पुलिस अधीक्षक की जांच के उपरान्त मुकदमा अ०सं०–167/98 धारा 304ए भा०द०वि० बनाम अज्ञात व्यक्ति दिनांक 7-9-1998 को पंजीकृत हुआ । विवेचना थाना माधौगढ़ के थानाध्यक्ष श्री सियाराम को सुपुर्द की गयी है ।

अभी तक कोई अभियुक्त प्रकाश में न आने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ।

अपर पुलिस अधीक्षक की जांच में थानाध्यक्ष गोहन तत्कालीन चौकी इंचार्ज ईंटों की अभियुक्तों से सांठगांठ की बात प्रकाश में नहीं आयी किन्तु थानाध्यक्ष श्री सी०एल० सचान एवं उपनिरीक्षक श्री संगम लाल सिंह चौकी प्रभारी ईंटों द्वारा अपने कर्तव्य पालन में शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । मुकदमा जांच के उपरान्त दिनांक 7 सितम्बर, 1998 को पंजीकृत हुआ ।

थानाध्यक्ष श्री सी०एल० सचान व उप निरीक्षक श्री संगम लाल सिंह चौकी प्रभारी ईटों की सत्यनिष्ठा जांच में संदिग्ध नहीं पायी गयी । अतएव इन्हें जनपद से बाहर स्थानान्तरित करने का कोई आधार नहीं बनता है । श्री सी० एल० सचान को थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । यह इस समय थाना कोतवाली उरई में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के श्री श्यामधर सिंह, अध्यक्ष शिवाजी नगर कालोनी द्वारा सार्वजनिक मार्ग से हटाये गये अतिक्रमण स्थल पर ही पुनः कब्जे का मामला

90–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री श्यामधर सिंह, अध्यक्ष, शिवाजी नगर कालोनी, भिखारीपुर खुर्द, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला–वाराणसी का पत्र दिनांक 29-10-98 जो नगर निगम द्वारा सार्वजनिक मार्ग से हटाये गये अतिक्रमण स्थल पर पुनः कब्जा किये जाने विषयक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रर्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रस्तरवार जांच आख्या मंगाकर सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री श्यामधर सिंह का कथित पत्र दिनांक 29-10-98 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है । श्यामधर सिंह आराजी नं० 74 ग्राम भिखारीपुर खुर्द थाना लंका जनपद वाराणसी में अपनी पत्नी श्रीमती सीता सिंह के नाम डेढ़ बिस्वा का एक प्लाट ले रखे हैं । प्रश्न में जिस सार्वजनिक मार्ग से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने व पुनः कब्जा किये जाने की बात अंकित है वह मार्ग आराजी नं० 72 में स्थित बताया जाता है । आराजी नं० 72 पर डा० सन्तोष कुमार सिंह निवासी एन–7/2ए-5 भिखारीपुर का आवास एवं स्पेक्स हास्पिटल नामक क्लीनिक है । नगर निगम के कर्मचारीगण द्वारा आराजी संख्या–72 से 74 जो गड्ढा व रिक्त भूमि है, के बीच की दीवाल को अतिक्रमण हटाने के अन्तर्गत गिरा दी गयी थी । लेकिन डा० सन्तोष कुमार सिंह द्वारा पुनः उसको बनवा लिया गया है । दोनों पक्षों के मध्य शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 24-9-98 को 107/116 (3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की गयी और रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो न्यायालय ए०सी०जे०एम० (प्रथम) वाराणसी के यहां विचाराधीन है । दोनों पक्षों के मध्य मुकदमा नं० 496/96 अपर सिविल जज तृतीय जुडिसीयल वाराणसी के यहां चल रहा है । न्यायालय से स्थगन आदेश भी निर्गत है । इस प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं पाया गया । थाना लंका द्वारा शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है । सम्प्रति इसमें किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

सब रजिस्ट्रार कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में माह जुलाई, 1998 में भूमि विक्रय-पत्रों के पंजीकरण की जांच

92–श्री राजधारी–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को ज्ञात है कि सब रजिस्ट्रार कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में माह जुलाई, 1998 में कुल कितने भूमि विक्रय-पत्रों का पंजीकरण किया गया और इनमें से कितने भूमि विक्रय-पत्रों की जांच जिला अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के लिए प्रेषित की गयी ? क्या यह सत्य है कि सब रजिस्ट्रार कोटद्वार से भूमि विक्रय-पत्र प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार सब रजिस्ट्रार कोटद्वार की चल-अचल सम्पत्ति की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

सब रजिस्ट्रार कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में माह जुलाई, 1998 में कुल 110 भूमि विक्रय-पत्रों का पंजीकरण किया गया । इनमें से 2 (दो) भूमि विक्रय-पत्रों की जांच जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के लिए प्रेषित की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के जिला कारागार परिसर की खुदाई में प्राप्त सोने की मूर्तियों के गायब होने विषयक प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच

93–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के जिला कारागार परिसर की खुदाई में मिली सोने की मूर्तियों के गायब होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क–12-021820, दिनांक 23-9-98 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां । माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र में वर्णित प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच गृह विभाग द्वारा करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

मुकदमा नं० 1385 सन् 1994 केस नं० 2256/88 सरकार बनाम श्याम देव राय चौधरी को वापस लिए जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तथा सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

94–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा नं० 1385 सन् 1994, केस नं० 2256/88, सरकार बनाम श्यामदेव राय चौधरी को वापस लिए जाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें को वापस लिए जाने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 10-2-99 को वाद वापस लेने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

95–श्री उदय राज यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

96–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री इन्द्रदेव तिवारी एवं श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ल निवासी पूरे मुरई एवं अतरसन, थाना कौहडौर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होते हुए भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

97–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–70 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री इन्द्रदेव तिवारी एवं श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ल, निवासी पूरे मुरई एवं अतरसन, थाना कौहडौर को शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होते हुए भी की गयी है ? इसके लिए दोषी कौन-कौन अधिकारी हैं ? क्या यह सही है कि मु०अ०सं० 65ए/89 थाना कौहडौर कन्धई कोतवाली नगर में भी उनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में किसी को दोषी नहीं पाया गया है । श्री इन्द्रदेव तिवारी के घर पर एक पेशेवर अपराधी नईमउल्ला सहित अन्य द्वारा लूट व हत्या की नीयत से हमला किया गया था जिसका मुकाबला किये जाने पर नईमउल्ला की मृत्यु हो गयी थी । इस घटना के सम्बन्ध में थाना कौहडौर पर मु०अ०सं० 65/89 पंजीकृत हुआ था जिसके क्रासकेस के रूप में श्री इन्द्रदेव तिवारी व उनके परिवार वालों के विरुद्ध मु०अ०सं० 65ए/89 दर्ज कराया गया था । घटना से ग्रामवासी आतंकित थे अतः श्री तिवारी के घर व गांव पर सुरक्षा की दृष्टि से कई महीने तक पी०ए०सी० लगी रही । स्थिति की गम्भीरता व सुरक्षा को देखते हुए ही श्री इन्द्रदेव तिवारी को डीबीबीएल गन का लाइसेंस प्रदान किया गया था ।

अन्य व्यक्ति श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ल ने यद्यपि शस्त्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है परन्तु अभी तक उन्हें लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है ।

जी हां । उक्त मु०अ०सं०–65ए/89 थाना कौहडोर श्री तिवारी के परिवारजनों द्वारा दर्ज कराये गये मु०अ०सं०–65/89 के क्रासकेस के रूप में पंजीकृत हुआ था ।

श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ला को अभी तक आवेदित शस्त्र लाइसेंस नहीं निर्गत किया गया है । श्री इन्द्रदेव तिवारी की उक्त घटना की गम्भीरता एवं सुरक्षा को देखते हुए स्वीकृत डीबीबीएल गन लाइसेंस को निरस्त करने की आवश्यकता जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा विचारोपरान्त नहीं पायी गयी है ।

98–श्री छोटे लाल गंगवार–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

उ० प्र० सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बसों की संख्या तथा फर्जी अनुबन्धित बसों के संचालन को रोकने हेतु उठाये गये कदम

99–श्री मोहन सिंह रावत (गांववासी)–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में उ० प्र० सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत अनुबन्धित कितनी बसें चल रही हैं ? क्या 30 अक्टूबर, 1998 को कोटद्वार गढ़वाल में फर्जी अनुबन्धित बस को आर०एम० एवं पुलिस ने थाने में रखा है ? क्या उ० प्र० रोडवेज की बसों जैसा रंग व बसों पर अनुबन्धित उ० प्र० रोडवेज की लिखावट करके फर्जी बसें उ० प्र० में चल रही हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या रोडवेज की फर्जी बसों को रोकने के लिए शासन कड़े कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत कुल 1459 बसें अनुबन्धित कर संचालित की जा रही हैं।

उ० प्र० मोटर गाड़ी विशेष उपबन्ध, 1976 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त अधिकार पत्र के आधार पर निगम के नियंत्रण में संचालित बस संख्या : यू०एस०एस०–3660 को दिनांक 30-10-98 को कोटद्वार (गढ़वाल) थाने में पुलिस द्वारा बन्द किया गया, न कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा।

गोरखपुर क्षेत्र में इस प्रकार की 45 बसें संचालित होने की सूचना है।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर से अनाधिकृत बसों के संचालन को रोकने हेतु समय-समय पर परिवहन आयुक्त के नियंत्रणाधीन अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कराया जाता है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस चौकी राधौपुर में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

100–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस चौकी राधौपुर में क्या सरकार टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत चौकी जनपद प्रशासन द्वारा अस्थाई रूप से स्थापित की गयी है, अतएव टेलीफोन अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक के अनुसार इस चौकी हेतु टेलीफोन अनुमन्य नहीं है।

जनपद हरदोई 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की पुलिस चौकी कुरसठ में टेलीफोन व्यवस्था की मांग

101–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के अन्तर्गत पुलिस चौकी कुरसठ पर जनहित में टेलीफोन लगाने की व्यवस्था शासन करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पुलिस चौकी कुरसठ पर टेलीफोन लगाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

102–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गयी जांच तथा निरोधात्मक कार्यवाही के विवरण की मांग

103–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के वर्ष 1998 के तृतीय सत्र के तीसरे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–5 के क्रम में यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र 14-6-97 पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा किन-किन बिन्दुओं पर किन-किन तिथियों को अपराधियों के विरुद्ध जांच कराकर हिस्ट्रीशीट खोलने के अतिरिक्त कब और क्या निरोधात्मक कार्यवाही करायी गयी ? क्या यह सत्य है कि जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस ने उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 14-6-97 पर क्षेत्राधिकारी, पट्टी, प्रतापगढ़ द्वारा जांच की गयी है । इन्द्रदेव तिवारी पुत्र राम बरन तिवारी, निवासी पूरे गुरई, थाना कोहडौर की हिस्ट्रीशीट नं०-26ए थाना कोहडौर में खुली हुई है । और निगरानी की जा रही है । वर्ष 1998 में इनके विरुद्ध थाना कोहडौर में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, अतः अन्य कोई निरोधात्मक कार्यवाही नहीं हुई है । वर्ष 1997 में इस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–186/97 धारा 3(3) गुण्डा अधिनियम में चालान हुआ था जो विचाराधीन न्यायालय है । द्वारिका प्रसाद शुक्ल पुत्र राम कृपाल शुक्ल, निवासी ग्राम अतरसन, थाना कोहड़ौर भी उक्त थाना का हिस्ट्रीशीटर है जिसकी हिस्ट्रीशीट नं-41ए है । इसकी भी निगरानी की जा रही है । इसका मूल निवास ग्राम शुकुलपुर, मजरा पाख हमीरपुर, थाना अन्तु, प्रतापगढ़ में है । वर्ष 1997 में इनका थाना कोहडौर में मुकदमा अपराध संख्या–186/97 3(3) गुण्डा निवारण अधिनियम में चालान हुआ है, जो विचाराधीन न्यायालय है । दिनांक 22-5-97 को धारा 107/116 जा०फौ० के अन्तर्गत भी चालान किया गया है । वर्ष 1998 में इनके विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है । अखिलेश सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी ग्राम मगरौरा, थाना कन्धई की हिस्ट्रीशीट नं०-141ए है । वर्ष 1997 में मुकदमा अपराध संख्या–195/97 धारा 3(1) गुण्डा निवारण अधिनियम में चालान हुआ है । जो विचाराधीन न्यायालय है । वर्ष 1992 व 1993 में भी धारा 107/116 जा०फौ० के अन्तर्गत उनका चालान हुआ है ।

यह सत्य नहीं है कि जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस ने उक्त अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी नगर व ग्रामवासियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

104–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

प्रश्नकर्ता के तृतीय सत्र 1998 के चौथे शुक्रवार को अता० प्रश्न संख्या–134 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामवासी एवं नगरवासियों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो गलत सूचना देने वाले दोषी को दण्डित करते हुए नये राशन कार्डों की आपूर्ति निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्रीमती माया प्रसाद–

[दिनांक 10-2-99 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित ।

बस्ती जिले में न्याय पंचायत पकरी जई एवं गोठ्या को थाना हुथारा जिला सन्त कबीर नगर से निकाले जाने के सम्बन्ध में विशेष आडिट की रिपोर्ट की जानकारी

106–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम सोमवार के ता० प्र० सं०–10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित विशेष आडिट रिपोर्ट कब तक आने की अपेक्षा की गयी है ? क्या सरकार इसकी कोई तिथि निश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'[illegible]' राम कुमार वर्मा–

आडिट कराया जा चुका है ।

आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107-108–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।

109–श्री अजय भट्ट–

[दिनांक 16-2-99 को अता० प्र० सं०–182 द्वारा उत्तरित ।

जनपद पिथौरागढ़ के "घाट" नामक स्थल पर हुई बस दुर्घटना की न्यायिक जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

110–श्री अजय भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-6-97 को जनपद-पिथौरागढ़ के "घाट" नामक स्थल पर जो बस दुर्घटना हुई थी, उसकी न्यायिक जांच के आदेश किस तिथि को दिये गये तथा

अब तक की जांच आख्या के अनुसार किसको दोषी पाया गया ? यदि जांच आख्या अंतिम रूप से प्रस्तुत नहीं की जा सकी है, तो इसके विलम्ब का दायित्व किस अधिकारी पर है ? प्रकरण पर अब तक की गयी समग्र कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

/ उप जिलाधिकारी, **डीडीहाट को दिनांक 26-6-97 को मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश** दिए गये । मजिस्ट्रेट जांच में उ० प्र० **राज्य सड़क परिवहन निगम के श्री लेखराज सिंह, सेवा प्रबन्धक (तकनीकी), टनकपुर क्षेत्र, श्री श्योदान सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, पिथौरागढ़ डिपो तथा श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, जूनियर फोरमैन पिथौरागढ़ को दोषी पाया गया ।**

प्रश्न नहीं उठता ।

मजिस्ट्रेट जांच में **दोषी पाये गये व्यक्तियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच** के उपरान्त निम्नलिखित **कार्यवाही की गयी :–**

1–श्री लेखराज सिंह की चरित्र पंजिका में पर्यवेक्षकीय शिथिलता के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी ।

2–श्री श्योदान सिंह की दो वार्षिक वेतन वृद्धि 5 वर्ष के लिए रोक ली गयी तथा निलम्बन अवधि का अवशेष वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया ।

3–श्री सुरेन्द्र सिंह रावत का स्थानान्तरण लोहा घाट डिपो कर दिया गया है । प्रकरण में जांच अधिकारी, श्री राम मूर्ति मिश्र, सेवा प्रबन्धक, टनकपुर द्वारा जांच पूर्ण न करने हेतु उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है ।

111–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 22-6-98 को अता० प्र० सं०–24 द्वारा उत्तरित ।]

112–श्री हरदेव सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

113–श्री सरवर अली तथा श्री हरदेव सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद हरदोई के शाहाबाद एवं माधोगंज केन्द्रों की कतिपय मिलों से क्रय किये गये चावल के विपरीत सम्प्रदान हेतु अवशेष चावल का मिलवार विवरण तथा लेवी चावल क्रय के सम्बन्ध में परीक्षण की मांग

114–श्री शिव सिंह चक–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के हरदोई-शाहाबाद एवं माधोगंज केन्द्रों के कतिपय मिलों से क्रय किये गये चावल के विपरीत सम्प्रदान हेतु अवशेष चावल का मिलवार विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक पत्र संख्या–1246/एस०टी०/स०खा०नि०/चा०खा०/97, दिनांक 10-6-97 एवं अर्ध शा० पत्र संख्या–1494/एस०टी०/स०खा०नि०/वा०खा०/हरदोई दिनांक 28-6-97 के अनुसार वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी खाद्य तथा रसद संभाग लखनऊ द्वारा उक्त केन्द्रों पर दिनांक 17-6-97 को वर्ष 1995-96, 1996-97 में केन्द्रों के लेवी चावल क्रय के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसमें पाये गये तथ्यों के आधार परदोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला रायबरेली, ग्राम रसूलपुर, पो० बछरावां के श्री वेद प्रकाश सिंह को थाना बछरांवा की पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न कर, मारने-पीटने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

115–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–रसूलपुर, पो०–बछरांवा, जिला रायबरेली के निवासी श्री वेद प्रकाश सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाने पर वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट न दर्ज कर उन्हें मारापीटा है ? क्या इस संबंध में राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा का पत्रांक 6091/4/1998, दिनांक 5 सितम्बर, 1998 पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । श्री वेद प्रकाश सिंह थाना बछरांवा में रिपोर्ट लिखाने नहीं गये थे और न ही वहां पर नियुक्त किसी पुलिस कर्मी ने उनके साथ मारपीट की थी ।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है । इस पत्र पर क्षेत्राधिकारी महराजगंज से जांच करायी गयी ।

जांच में, पत्र में वर्णित शिकायत असत्य पायी गयी ।

जनपद उन्नाव, सफीपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत ऊगू में दीपावली/दशहरा के अवसर पर कोटेदार द्वारा चीनी वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

116–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के वि० सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत ऊगू में दीपावली के अवसर पर भी स्थानीय कोटेदार द्वारा चीनी वितरित नहीं की गयी ? क्या सरकार ने दीपावली जैसे पर्व पर भी कोटेदारों को पर्याप्त चीनी नहीं उपलब्ध करायी ? यदि उपलब्ध करायी गयी थी, तो उक्त चीनी का गबन करने वाले कोटेदार व उसमें शामिल विभागीय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत ऊगू के कोटेदार द्वारा दशहरा/दीपावली त्योहारों के लिए आवंटित अतिरिक्त चीनी का वितरण दिनांक 23-9-98 से 29-9-98 के मध्य उक्त त्योहारों से पहले कर दिया था । कोटेदार द्वारा माह अक्टूबर, 1998 की चीनी के उठान हेतु धनराशि दिनांक 17-10-98 को जमा की गई थी, जबकि माह अक्टूबर, 98 की चीनी के उठान के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार धनराशि माह सितम्बर, की 23 से 30 तारीख के मध्य जमा कर दिया जाना चाहिए था ।

अतः कोटेदार द्वारा रोस्टर के अनुसार चीनी की धनराशि समय से जमा न करने की लापरवाही के कारण उसकी जमा प्रतिभूति में से रु० 500 शासन के पक्ष में जब्त कर लिए गये हैं तथा संबंधित क्षेत्रीय

पूर्ति निरीक्षक द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने के कारण उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करके उसकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई है।

जनपद मऊ में पी० सी० एफ० द्वारा संचालित सेमरी जमालपुर शीतगृह तथा डी० सी० एफ० आजमगढ़ के शीतगृह दोहरीघाट में किसानों का आलू सड़ने विषयक प्रकरण पर प्रतिकर भुगतान की मांग

117–श्री समर पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में पी० सी० एफ० द्वारा संचालित सेमरी जमालपुर, जनपद मऊ एवं डी० सी० एफ०, आजमगढ़ द्वारा संचालित दोहरीघाट जनपद-मऊ के शीतगृहों में कुल कितना आलू कितने किसानों द्वारा रखा गया था ? क्या उक्त शीतगृहों के प्रबन्धकों द्वारा आलू का बीमा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शीतगृहों में रखा आलू सड़ गया ? यदि हां, तो कितने किसानों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? शेष कितनी धनराशि का भुगतान बाकी है ? उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

पी० सी० एफ० द्वारा संचालित शीतगृह सेमरी जमालपुर में 1230 किसानों का 40299.19 कुन्तल एवं डी० सी० एफ० आजमगढ़ द्वारा संचालित शीतगृह दोहरीघाट मऊ में 510 किसानों का 16289.20 कुन्तल आलू रखा गया था।

पी० सी० एफ० शीतगृह सेमरी जमालपुर के प्रबन्धक द्वारा आलू का बीमा कराया गया था तथा शीतगृह दोहरीघाट मऊ द्वारा बीमा के स्थान पर उ० प्र० सहकारी कोल्ड स्टोरेज प्रतिकर निधि हेतु अंशदान जमा किया गया था। जी हां, अधिकांश मात्रा में आलू सड़ गया।

किसी भी किसान को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है।

कोई भुगतान नहीं हुआ है। सेमरी जमालपुर शीतगृह के क्षतिग्रस्त आलू का क्लेम बीमा कम्पनी में लम्बित है। अतः समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

दोहरी घाट शीतगृह में प्रतिकर की देयता नहीं बनती। शीतगृह सेमरी जमालपुर के संबंध में पी० सी० एफ० द्वारा बीमा कम्पनी में क्षतिग्रस्त आलू के दायर किये गये क्लेम का भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

शीतगृह दोहरीघाट के आलू के खराब होने की स्थिति आने पर भण्डारकों को आलू निकासी हेतु नोटिस दी गई, परन्तु उनके द्वारा आलू की निकासी न किये जाने के कारण प्रतिकर की देयता नहीं बनती है।

जनपद मथुरा में साधन सहकारी समिति लि० जखन ग्राम में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं की जांच

118–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में साधन सहकारी समिति लिमिटेड जखन ग्राम की गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/11506/मथुरा/98, दिनांक 1-6-98 सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराई गई। जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

119–श्री अजय कुमार पोइया–

[दि० 18-2-99 को अता० प्र० सं०–151 द्वारा उत्तरित]

120–श्री अम्बिका चौधरी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

121–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ० प्र० परिवहन निगम के हरिद्वार डिपो से चंडीगढ़ नई टिहरी यात्री बस सेवा को पुनः चालू कराने की मांग

122–श्री लाखी राम जोशी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० परिवहन निगम के हरिद्वार डिपो से चंडीगढ़ नई टिहरी यात्री बस सेवा आरम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त बस सेवा को वर्तमान में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसे पुनः आरम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। हरिद्वार डिपो की चण्डीगढ़ से नई टिहरी के लिए बस सेवा संचालित नहीं की गयी थी, बल्कि चण्डीगढ़ से पुरानी टिहरी बस सेवा संचालित की गयी थी।

परिवहन विभाग तथा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा 105 इंच व्हीलबेस की बसों के संचालन पर आपत्ति एवं इससे कम व्हीलबेस की बसों के अलाभकारी होने के कारण सेवा को बन्द कर दिया गया।

जी नहीं। तकनीकी समस्याओं एवं अलाभकारी संचालन के कारण सेवा का आरम्भ करना सम्भव नहीं है।

जनपद बलरामपुर के ग्राम ग्वालियर गिरन्ट, थाना रेहरा में श्री घनश्याम तथा नित्यानन्द पुत्रगण चन्द्रशेखर के विरुद्ध पंजीकृत अपराधिक मुकदमों का विवरण

123–श्री राम पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम तथा नित्यानन्द पुत्रगण चन्द्र शेखर निवासी ग्राम ग्वालियर गिरन्ट थाना रेहरा, जनपद बलरामपुर (पूर्व जनपद गोण्डा) के विरुद्ध थाना रेहरा जनपद बलरामपुर थाना कोतवाली मनकापुर, थाना नवाबगंज, थाना मोतीगंज, थाना धानेपुर, थाना कोतवाली गोण्डा नगर जनपद गोण्डा में कौन-कौन से अपराधिक मुकदमें पंजीकृत है तथा उनका विवरण क्या है तथा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री घनश्याम तथा श्री नित्यानन्द के विरुद्ध पंजीकृत अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्नवत् है :–

घनश्याम

क्र०सं०	मु०अ०सं०	थाने का नाम
1–	19/91	रेहरा बाजार
2–	91/96	.. ..
3–	9/89	.. ..
4–	198/98	.. ..
5–	69/96	कोतवाली मनकापुर
6–	67/95	मोतीगंज
7–	173/93	धानेपुर
8–	1202/96	कोतवाली नगर गोण्डा
9–	1203/96	.. ..
10–	1319ए/98	.. ..

नित्यानन्द शुक्ल

क्र०सं०	मु०अ०सं०	थाने का नाम
1–	119/94	रेहरा बाजार
2–	67/95	.. ..
3–	9/89	.. ..
4–	69/96	कोतवाली मनकापुर

श्री घनश्याम के विरुद्ध पंजीकृत कुल 10 मामलों में से 7 मामलों में आरोप तथा अपराध सं० 173/93 में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है। अपराध सं० 67/95 की अपराध शाखा तथा अपराध सं० 1319ए/98 की स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। नित्यानन्द के विरुद्ध पंजीकृत कुल 4 मामलों में से दो मामलों की विवेचना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है तथा अपराध सं० 4/89 एवं 69/96 में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बलरामपुर के घनश्याम शुक्ल तथा उनके भाई श्री नित्यानन्द शुक्ल निवासी ग्वालियर गिरन्ट थाना रेहरा को उपलब्ध गनर सुविधा का औचित्य

124–श्री राम पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि घनश्याम शुक्ल तथा उनके भाई श्री नित्यानन्द शुक्ल निवासी ग्वालियर गिरन्ट थाना रेहरा जनपद बलरामपुर को गनर मिले हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त लोगों तथा उनके गनर के विरुद्ध जंगल की लकड़ी की चोरी करने, मारपीट करने तथा अन्य अपराधिक मामलों के संबंध में थाना मनकापुर कोतवाली थाना नवाबगंज, थाना मोतीगंज, थाना कोतवाली नगर गोण्डा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा तथा थाना रेहरा जनपद बलरामपुर में मुकदमें पंजीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें दी गई गनर की सुविधा वापस करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जनपदीय आख्या एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40वीं वाहिनी पी० ए० सी० हरिद्वार में सरकारी बक्से से हुई रुपयों की चोरी की सी० बी० आई० जांच की मांग

125–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 40वीं वाहिनी पी० ए० सी० हरिद्वार में दिनांक 15-7-98 को सरकारी बक्से से रुपये 86,000/- की चोरी हुई थी ? क्या इस सम्बन्ध में सी० बी० आई० जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं तथा दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय जांच करायी गयी, जिसमें सरकारी धन के गबन का मामला पाया गया और इससे सम्बन्धित तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ थाना रानीपुर, जनपद–हरिद्वार में अभियोग सं०–119/98 धारा 409 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया । मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राम बहादुर उर्फ साधू की डाइग्नोस्टिक सेन्टर वाराणसी में गोली से मार कर घायल करने का मामला

126–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेज बहादुर पुत्र राम जनक पटेल ग्राम देउपुर पोस्ट सरेवां थाना सिकारा जिला जौनपुर ने दिनांक 7-8-98 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के यहां इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि दिनांक 21-7-98 को असामाजिक तत्वों ने तमन्चा से फायर करके रामबहादुर उर्फ साधू को डाइग्नोस्टिक सेन्टर के पास वाराणसी में घायल कर दिया था ? यदि हां, तो क्या जनपद मुल्जिमों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में कथित तेज बहादुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-8-98 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । दिनांक 21-7-98 समय करीब 8.30 बजे प्रातः डाइग्नोस्टिक सेन्टर के पास थाना भेलूपुर वाराणसी श्री राम बहादुर पटेल उर्फ चोन्हर निवासी डी–59/370 शिवपुरवा, वाराणसी पर पूर्व रंजिश को लेकर जगरनाथ पटेल पुत्र बुद्ध पटेल निवासी डी–35/49 जंगलवाड़ी थाना वाराणसी व राकेश विश्वकर्मा माता श्रीमती राधा देवी पता अज्ञात द्वारा गाली देते हुये जान से मारने की नियत से तमन्चों से फायर कर शरीर पर चोटें पहुंचाने के संबंध में वादी राम बहादुर पटेल के लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 21-7-98 को समय 10.30 बजे मु०अ० सं०–234/98 धारा 307/504 भा०द०वि० विरुद्ध जगरनाथ पटेल व राकेश विश्वकर्मा पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी । मुकदमें की विवेचना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के आदेश दिनांक 4-9-98 द्वारा उपरोक्त की विवेचना विशेष अनुसंधान विभाग वाराणसी को सुपुर्द की गयी । विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त जगरनाथ पटेल के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट सं०–20 दिनांक 16-11-98 को प्रेषित की गयी तथा अभियुक्त राकेश विश्वकर्मा की अनुपलब्धता एवं सकूनत तस्दीक न होने के कारण उसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है । यह उल्लेखनीय है कि नामजद अभियुक्त राकेश विश्वकर्मा दिनांक 4 जनवरी, 1999 को भेलूपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा जा चुका है ।

127–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश में राशन कार्ड की छपाई एवं वितरण नीति तथा जनपद जौनपुर में कार्ड की छपाई और रेट की जानकारी

128–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्ड की छपाई एवं वितरण की क्या नीति है ? यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? जनपद जौनपुर में कार्ड की छपाई कहां से और किस रेट से करायी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में समस्त पुराने राशन कार्डों को निरस्त कर नये सिरे से विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद स्तर पर बुकलेट फार्म में राशन कार्ड मुद्रित कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से जनता को वितरित कराये जाने की नीति निर्धारित की गई है ।

प्रदेश में राशन कार्ड के मुद्रण एवं वितरण का कार्य 31 जनवरी, 1999 को लगभग पूरा किया जा चुका है ।

जनपद जौनपुर में कार्ड की छपाई स्थानीय अर्धसरकारी संस्था–पंचायत उद्योग, जौनपुर से प्रति कार्ड रु० 1.35/- की दर से करायी गयी है ।

129–श्री छोटे लाल गंगवार–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

130–श्री बाबू राम यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बलिया में स्व० लाल विरेन्द्र विक्रम सिंह की हत्या की जांच सी०बी०सी०आई० डी० से कराने की मांग

131–श्री भरत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० लाल विरेन्द्र विक्रम सिंह जनपद बलिया की हत्या की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से जिला पुलिस को सौंप दी गयी है ? क्या माननीय मंत्री जी ने दलन छपरा में विगत 11 अक्टूबर को इस हत्या की जांच पूर्ण करने हेतु 3 माह का समय दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय सिंह, शत्रुघन सिंह उर्फ बबुआ सिंह प्रकाश में आये है । अभियुक्त संजय सिंह थाना–बैरिया से मु०अ०सं० 386/98 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में तथा शत्रुघन सिंह थाना–बैरिया में मु०अ०सं० 59/97 धारा 396 भा०द०वि० में जिला कारागार बलिया में निरुद्ध है । साक्ष्य एकत्र करने हेतु उक्त दोनों बन्दियों को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेने हेतु न्यायालय से आवेदन किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद मथुरा के थाना नरहोली में पंजीकृत मु०अ० सं० 68/98 धारा 302 भा०द०वि० की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को स्थानान्तरित करने का मामला

132–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के थाना नरहोली में दायर मु०अ०सं०–68/98 धारा 302 आई०पी०सी० की जांच सी०आई०डी० में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/12718/मथुरा/98, दिनांक 1-7-98 पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित जनपद मथुरा के थाना नरहोली पर पंजीकृत मु०अ० सं०–68/98 धारा 302 भा०द०वि० की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को स्थानान्तरित करने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी मत मांगा गया था । परीक्षणोपरान्त प्रकरण में अपराध अनुसंधान विभाग से जांच का औचित्य नहीं पाया गया ।

133–श्री उबैदुर्रहमान–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

134–श्री रमेश राही–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]।

जनपद प्रतापगढ़ में कई माह से शस्त्र लाइसेन्स की स्वीकृति प्रदान न किये जाने विषयक प्रकरण पर जानकारी

135–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में कई माह से शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है ? क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी ने पुलिस को भी प्राप्त आवेदनों पर आख्या भेजने पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

कुछ लोगों द्वारा फर्जी लाइसेंस बना लिये जाने की शिकायत जिला मजिस्ट्रेट को मिलने पर तथा शस्त्र लाइसेंसों को कम्प्यूटर में फीड कराने एवं अभिलेखों को शुद्ध कराने के दृष्टिकोण से जिला मजिस्ट्रेट ने 28 जुलाई, 1998 को कुछ अवधि के लिये नये शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने पर रोक लगाई थी । 55 फर्जी लाइसेंस जांच में पकड़े गये, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है और इसमें लिप्त 59 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली, नगर प्रतापगढ़ में दिनांक 11-8-98 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 8-12-98 को लाइसेंस निर्गमन पर लगाई गयी रोक समाप्त कर दी गयी है तथा जनपद में नये शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये जा रहे है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मगरौरा, आसपुर देवसरा में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने की मांग

136–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या सहकारिता मंत्री जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मगरौरा, आसपुर देवसरा में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक की प्रत्येक नई शाखा नाबार्ड की अनुमति से पूर्व से कार्यरत शाखा को विभक्त कर खोली जाती है । पैतृक शाखा के विभक्तीकरण हेतु न्यूनतम 6.00 करोड़ रुपये का ऋण व्यवसाय आवश्यक है, जबकि ब्लाक मगरौरा, असपुर देवसरा की पैतृक शाखा पट्टी का 31-3-98 को ऋण व्यवसाय मात्र 2.92 करोड़ रुपये है । अतः आर्थिक रूप से स्वाश्रयी न होने के कारण उक्त स्थान पर नयी शाखा का खोला जाना प्रस्तावित नहीं है ।

137–श्री छोटे लाल गंगवार–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]।

वर्ष 1997 में पुलिस रेडियो मुख्यालय में वायरलेस सेट स्पेयर्स पार्ट के क्रय में करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच

138–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997 में पुलिस रेडियो मुख्यालय में वायरलेस सेट स्पेयर्स पार्ट के क्रय में करोड़ों रुपये के घोटाले सम्बन्धी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ? क्या 15 हजार बैटरियों को निष्प्रयोज्य बताकर बेच दिया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रकरण की जांच अपर पुलिस महानिदेशक, दूर संचार तथा वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा की गयी है ?

जी हां ।

प्रकरण की जांच से नीलामी प्रक्रिया संबंधी वित्तीय नियमों के उल्लंघन का मामला पाया गया । उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

139–श्री रमेश राही–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

140—144–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ।]

श्री राम सिंह ''वागीश'' निवासी ग्राम धरवासपुर, थाना अदलहार जिला–मिर्जापुर की प्राण रक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराने की मांग

145–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम सिंह ''वागीश'' निवासी ग्राम–धरवासपुर, थाना अदलहाट, जिला–मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न डा० राजेश कुमार मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 11-11-98 जो श्री ''वागीश'' की प्राण रक्षा हेतु पूर्ववत् गनर उपलब्ध कराये जाने विषयक है, विशेष सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि श्री ''वागीश'' को श्री एफ०एन० प्रधान, उपसचिव, गृह, उ० प्र० शासन के फैक्स संदेश सं०–849/6–पी०–1 अंग, ग०फो०/1988. दिनांक 12-1-98 के तहत पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 14-1-98 से एक गनर उपलब्ध कराया गया था, जिसे अचानक 7-11-98 से हटा लिया गया है ? क्या जिन परिस्थितियों के चलते श्री ''वागीश'' को गनर उपलब्ध कराया गया था, वे परिस्थितियां आज भी पूर्ववत् विद्यमान हैं ? यदि हां, तो गनर हटाये जाने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार श्री ''वागीश'' की प्राणरक्षा हेतु पुनः गनर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनपदीय आख्या प्राप्त की गयी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान मे औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

गनर दिए जाने का औचित्य नहा पाया गया है ।

श्री विजयानन्द शर्मा परिचालक द्वारा स्वामी श्री सुरेशानन्द पूर्व सांसद के साथ परिवहन निगम की बस पर टिकट बनाने में की गई अभद्रता

146-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी श्री सुरेशानन्द पूर्व सांसद के साथ परिवहन निगम की बस में टिकट काटने के साथ अभद्रता का व्यवहार करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०की०/एम–3/10067/मथुरा/98, दिनांक 19-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस परिवाद की जांच सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सोहरावगेट मेरठ क्षेत्र द्वारा की गई एवं सम्बन्धित परिचालक श्री विजयानन्द शर्मा के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 29-1-99 को परिचालक की चरित्र पंजिका में एक निन्दात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर उसे भविष्य के लिये कठोर चेतावनी भी दी गई है । बस के चालक द्वारा परिवाद पुस्तिका मांगने पर देने से इंकार करने के कारण उसे अनुबंधित बस मालिक ने हटा दिया है । परिवाद के निस्तारण में किए गए विलम्ब हेतु दोषी कार्यालय सहायक श्री धारा सिंह की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई है तथा तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री एस०एल० शर्मा को कठोर चेतावनी दी जा रही है ।

पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ में पांच राज्य रेडियो अधिकारी की नियुक्ति के कारण तथा जनपद मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ की संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सरकारी नीति की जानकारी

147–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ में पांच राज्य रेडियो अधिकारी की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गयी ? क्या मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ आदि जनपद की अति संवेदनशीलता को देखते हुए क्या इनकी नियुक्ति संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इन जनपदों में की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्लानिंग ग्रुप की संस्तुतियों के अनुसार पांच राज्य रेडियो अधिकारी के पदों का पुलिस महानिदेशक द्वारा लखनऊ मुख्यालय के लिए चिन्हित किया गया है ।

राज्य रेडियो अधिकारी के पदों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक बदायूं में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति तथा अवशेष वेतन भुगतान के आदेश

148–श्री कौकब हमीद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बदायूं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई, 1994 में कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित कर प्रोन्नति करने के आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठता निर्धारित कर प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को उनके अवशेष वेतन के भुगतान के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अवशेष वेतन कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवशेष वेतन भुगतान के आदेश नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपी नाथ पाठक पुत्र श्री राजाराम, थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती को अवैधानिक ढंग से स्वीकृत आग्नेयास्त्र लाइसेंस तथा उसके विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण

149–श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–48 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आग्नेयास्त्र लाइसेंस किसको दिया गया है ? क्या उसके खिलाफ क्षेत्राधिकारी, हरैया, बस्ती की जांच आख्या में अनेकों अपराधिक रिपोर्ट थाना परशुरामपुर, बस्ती में दर्ज है ? यदि हां, तो लाइसेंस धारक के प्रार्थना-पत्र पर जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गयी है उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । क्षेत्राधिकारी हरैया से करायी गयी जांच के अनुसार श्री गोपीनाथ पाठक पुत्र श्री राजाराम निवासी तक्कीपुर, थाना–परशुरामपुर, जनपद बस्ती को एक शस्त्र लाइसेंस नं० 157/फैजाबाद जिला फैजाबाद से मकान नं० 126/ सरजू भवन, नयाघाट, अयोध्या, थाना–कोतवाली, जिला फैजाबाद के पते से जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जारी किया गया है ।

शस्त्र लाइसेंसी के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण निम्नवत् है :–

1–मु०अ०सं० 220/92 धारा 147/307 भा०द०वि० थाना परशुरामपुर, जनपद–बस्ती ।

2–मु०अ०सं० 34/94 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं सामाजिक क्रियाकलाप निवारण (गैंगेस्टर एक्ट)

3–मु०अ०सं० 123/93 धारा 147/307/379 भा०द०वि० व 26/22 वन संरक्षण अधिनियम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

लाइसेंस धारक के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद श्री डी०बी० राय की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद श्री आर० एन० श्रीवास्तव द्वारा लाइसेंस स्वीकृत किया गया है । वर्तमान में उक्त दोनों अधिकारी सेवा में नहीं हैं ।

श्री गोपीनाथ पाठक के विरुद्ध अपराधिक गतिविधियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बस्ती की आख्या दिनांक 25-5-93 के आधार पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 9-6-93 को इनका शस्त्र लाइसेंस निलम्बित करके कारण बताओ नोटिस दी गयी थी, जिसके विरुद्ध श्री पाठक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें मा० न्यायालय ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए दिनांक 4-2-94 को जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद का आदेश दिनांक 9-6-93 निरस्त कर दिया तथा बन्दूक वापस किये जाने का आदेश प्रदान किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में शस्त्र लाइसेंस संबंधी लम्बित मामले तथा उनका निस्तारण

150–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में शस्त्र लाइसेंस संबंधी कितने मामले पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति के उपरान्त जिला अधिकारी के कार्यालय में लम्बित हैं ? क्या उक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद अम्बेडकर नगर में शस्त्र लाइसेंस संबंधी वर्तमान में 55 आवेदन पत्र लंबित हैं ।

जी हां । उक्त 55 लम्बित आवेदन पत्रों की औचारिकतायें पूर्ण होने पर शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित उमादत्त पाठक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उ० प्र० शासन द्वारा पेंशन स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

151–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस०आर०एस० यादव संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री के पत्र सं०–स०सी०बी०एम–एनेक्सी–1ल/194–779/90 दिनांक 25-1-91 विधान भवन, लखनऊ के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या पंडित उमादत्त पाठक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पेंशन प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

प्रश्नगत पत्र इस विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं । पंडित उमादत्त पाठक द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों में जांच एवं परीक्षा कराये जाने पर पाया गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राज्य पेंशन स्वीकृति हेतु सजायाबी सम्बन्धी निर्धारित अर्हताओं के संदर्भ में उनकी पात्रता स्थापित नहीं होती है । अतः सम्यक विचारोपरान्त उनका पेंशन स्वीकृति का आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है, तथा प्रार्थी को दिनांक 11-4-96 को अवगत भी कराया जा चुका है ।

152–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

153–श्री सीताराम निषाद–

[दि० 11-2-99 को अता० प्र० सं०–164 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद उन्नाव में भारतीय स्टैम्प अधिनियम की धारा–33 तथा धारा–47 ए के अन्तर्गत लम्बित वाद

154–श्री राम शंकर पाल–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में भारतीय स्टैम्प अधिनियम की धारा–33 तथा धारा–47-ए के अन्तर्गत अलग-अलग कितने वाद लम्बित हैं ? क्या इसके अलावा भी स्टैम्प अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत वाद चल रहे हैं ? यदि हां, तो किस धारा में तथा कितने ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद उन्नाव में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत 13 वाद एवं धारा 47ए के अन्तर्गत 579 वाद दिनांक 1 जनवरी, 1999 को लम्बित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि एक्सपोर्ट कामर्शियल कारपोरेशन लि० (वाराणसी) द्वारा जनपद जौनपुर में संचालित शाखाओं में जमा धन की जानकारी तथा जमाकर्ताओं को धन उपलब्ध कराने की मांग

155–श्री अफजाल अहमद–

क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि एक्सपोर्ट कामर्शियल कारपोरेशन लि० वाराणसी (हेड आफिस) द्वारा कितनी शाखायें जनपद–जौनपुर में संचालित हैं ? उन शाखाओं में कितना धन जमाकर्ताओं द्वारा जमा किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में उक्त कम्पनी पर लेन-देन के लिये रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो जमाकर्ताओं का धन वापस दिलाने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार इसमें जिम्मेदार बैंक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करायेगी तथा इन लोगों की निजी सम्पत्ति की जांच कराकर उसको जब्त करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद जौनपुर में 7 शाखायें संचालित थीं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त कम्पनियां पिछले 6-7 महीने से फरार हैं । अतः अभिलेख उपलब्ध न होने से जमा धन की सूचना दिया जाना संभव नहीं है । उपलब्ध सूचनानुसार ऐसा कोई आदेश जानकारी में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायत की दशा में विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर अन्तर्गत ग्राम सिरौली की प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण कराने हेतु प्राप्त धनराशि में किया गया गबन का मामला

156-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर अन्तर्गत ग्राम सिरौली की प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण कराये जाने हेतु लगभग एक लाख रुपया निर्माणकर्ता सहायक अध्यापक श्री प्रभाशंकर तथा ग्राम प्रधान सिरौली द्वारा शासकीय धनराशि आहरित करके गबन कर लिये जाने के संबंध में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेहन्दर द्वारा दिनांक 10-10-98 को मुकदमा अपराध संख्या 135/98 धारा 406/409 आई० पी० सी० के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिये दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 10-10-98 को सहायक शिक्षा अधिकारी ने रुपये 1,08,000/–(एक लाख आठ हजार) दिनांक 13-5-98 अवध ग्रामीण बैंक बेहन्दर के खाता संख्या 2364 से निकालने तथा पुनः 10-10-98 को 76,000/–रुपया जमा करने तथा 32 हजार रुपये का गबन करने की रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–135/98 धारा 406/409 आई० पी० सी० के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था ।

विवेचना से यह ज्ञात हुआ कि रुपये 32 हजार का सामान खरीदने की रसीद दाखिल करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है । भवन के निर्माण हेतु स्थान निर्धारित न होने के कारण विलम्ब हुआ । उक्त गबन की धनराशि से संबंधित खरीददारी की रसीद दाखिल कर दिये जाने के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रश्नगत वाद में लगायी जा चुकी है । पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सदन में गणपूर्ति के अभाव से सदन की कार्यवाही विलम्ब से प्रारम्भ होने तथा प्रश्नकाल के समय में कटौती होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि 11.00 बजे सदन शुरू होता है और सदन तभी होता है जब आप पीठ पर बैठे हों । आज मान्यवर, कोरम के अभाव में बहुत देर तक घंटी बजानी पड़ी और यह सदन 11.00 बजे शुरू नहीं हो पाया । इसलिए मैं चाहूंगा ऐसा आप निर्देश दें ताकि 11.00 बजे से सदन शुरू हो सके । मान्यवर, सदसे पहले प्रश्नकाल होता है और उसमें समय की कटौती हो जाती है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें आप व्यवस्था दें कि सदन 11.00 बजे शुरू हो और कार्य बाधित न हो पाये ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात सही है कि आज सदन में 11.00 बजे कोरम नहीं था...

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, वास्तव में यह खेद का विषय है । हमें समय से आना चाहिए और यह हमारा दायित्व है और इसका निर्वाह हमें करना चाहिए । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रि-परिषद् के आधे सदस्य भी अगर उपस्थित हो जाते तो भी कोरम पूरा हो जाता ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इनके मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी आ जाते तो भी कोरम पूरा हो जाता ।

श्री अध्यक्ष–

कई वर्षों बाद ऐसा आज हुआ है । वैसे तो हम लोग प्रायः 11.00 बजे ही सदन में आते हैं और इसमें निरन्तरता नहीं है । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि सदन में कोरम पूरा रहे । एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह इस सदन के कई माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ था । इसमें कुछ माननीय सदस्यों को केवल तीन उपवेशन के लिए और कुछ माननीय सदस्यों को सदन की शेष कालावधि के लिए निलम्बित किया गया था । अनेक माननीय सदस्यों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके अनुरोध किया कि उनका निलम्बन वापस हो जाय । सदन में किसी भी व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति की द्वेष और दुर्भावना नहीं है और सब चाहते हैं कि सदन ठीक प्रकार से चले । जो भी हुआ वह दुखद हुआ । निलम्बन करने की आवश्यकता न पड़े तो इससे अच्छी स्थिति क्या होगी । मैं अपेक्षा करता हूं कि जहां सदन अपनी विशाल हृदयता का एक ओर परिचय देगा वहीं दूसरी ओर कम से कम जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ है जब वह सदन में आये तो न्यूनतम इस बात की अपेक्षा है कि वह कम से कम या उनका एक प्रतिनिधि आश्वस्त करे कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं होगा और वह सदन नियमानुसार चलाने में सहायक सिद्ध होंगे । कभी-कभी क्षणिक उत्तेजना का अवसर हो जाय और कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं वहां तो बात समझ में आती है लेकिन इसमें निरन्तरता नहीं होनी चाहिए । कई-कई दिनों तक सदन में व्यवधान हो तो लोकतंत्र के लिये कोई अच्छा संदेश नहीं है ।

सदन की सेवा से निलम्बित सदस्यों के निलम्बन वापसी का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक प्रस्ताव ले आयें कि जो निलम्बित हुए हैं उनका निलम्बन वापस हो ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है । हम तो आपके इशारे की तरफ देखते हैं आपका इशारा होता है तुरन्त इशारे का पालन होता है । आपने कृपा पूर्वक कहा कि भविष्य में जानबूझकर कोई व्यवधान पैदा न हो कोई वरिष्ठ नेता या प्रतिनिधि आश्वासन दे दें । मैं अपेक्षा भी करता था कि आश्वासन भी आ जाता । कोई बंदिश नहीं लगा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब आप आहत होते हैं तो उसकी वेदना हमें होती है । सरकार को कुछ कहा जाए वह अलग है लेकिन अध्यक्ष पीठ की तरफ कुछ इशारा होता है तो तकलीफ की बात होती है । आपने आदेश दिया था पहले भी आहत होकर कि अबकी बार वापसी का कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

तीन दिन के लिए जो हुआ था । मैंने जरूर कहा था कि कोई माननीय सदस्य अनुरोध नहीं करेंगे उसके लिए किसी ने अनुरोध नहीं किया ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस सदन में विगत कई दिनों से एक गतिरोध चल रहा था और इसके कारण समाजवादी पार्टी के लगभग 87 सदस्य जो कि उपस्थित रहे हैं विभिन्न दिवसों में वह निलम्बित हो गये थे । मान्यवर, यह बहुत दुखद बात है कि इस सदन में इस तरह के कठोर निर्णय करके इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष के इतने बड़े दल को पूरा-पूरा निलम्बित कर दिया जाए । मान्यवर, इस सरकार से तो हमें अपेक्षा भी नहीं है लेकिन इस पीठ पर आप विराजमान हैं तो कम से कम आपसे हम सदस्यों को यह अपेक्षा रहती है कि आप हमारे संरक्षक हैं हमारे अधिकारों का ध्यान रखते हुए हमें संरक्षण देंगे । लेकिन मान्यवर, दुख इस बात का है कि आप उस दिन संयोग से थे नहीं । माननीय डंग साहब अधिष्ठाता के रूप में विराजमान थे । मैंने उनसे आग्रह भी किया कि 299(4) के अनुसार भी आप कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, मैं अपने जीवन में अपरिहार्य कारणों से केवल एक बार वेल में आया था । मैंने उस समय अनुरोध भी किया था । माननीय डंग साहब से कि निलम्बन सबका वापस ले लें । मान्यवर, हम सदन नियमों के अनुसार चलाना चाहते हैं । संसदीय परिपाटी और परम्परा से सदन चलाना चाहते हैं । जहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वहीं हमारी भी जिम्मेदारी है । लेकिन मान्यवर, अगर हमारी बात बाहर नहीं सुनी जाती तो विधान सभा में ही हम अपनी बात कहेंगे । हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे थे । कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे ।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार ही तो कहेंगे । पीठ जब अनुमति देगी तभी तो कहेंगे । यह कहना कि हमारी बात ही रहेगी । सदन जब हम चाहेंगे तब चलेगा यह तो खेद प्रकट करना नहीं हुआ ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम तो आपसे अनुरोध करके ही सदन में अपनी बात कहते हैं क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं इसलिए पूरा भरोसा रहता है कि जो हम उचित बात नियमों के अनुसार इस विधान सभा में कहना चाहेंगे उसमें आप संरक्षण भी देंगे ।

मान्यवर, लोक सभा में कुछ घटनाएं पिछली बार हुई लेकिन माननीय स्पीकर ने कदाचित किसी भी सदस्य को निलम्बित नहीं किया । जब इस तरह का कठोर दण्ड दिया जा रहा था तो एक अपेक्षा यह थी कि हम लोगों को बुलाकर आप बात करते और प्रयास करते । सरकार पर भी दबाव डालते कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए आगे आयें । मान्यवर, इस तरह के कठोर दण्ड देने के पूर्व कम से कम

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम लोगों से बात तो कर लिया करें । इसमें सदस्यों को अवशिष्ट कार्य के लिए निलम्बित कर दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग नियम कानून से इस सदन को चलाना चाहते हैं और संसदीय मान्यताओं का पालन करते हुए चलाना चाहते हैं । भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी दल के नेताओं की एक बैठक बुलाकर इस पर विचार-विमर्श कर लें । भविष्य में गतिरोध न पैदा हो और सदन चले । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी आप उचित समझे तो नेताओं की बैठक बुला लें । संसदीय कार्य मंत्री को बुला लें । मुख्य मंत्री जी को भी बुला लें ।

श्री अध्यक्ष–

जब भी कोई सत्र प्रारम्भ होता है तो उसके पहले दल के नेताओं की बैठक बुलाई जाती है और उसमें सबसे पहले यह अनुरोध होता है कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चले । यह जो निलम्बन हुआ है यह भी नियमानुसार हुआ है । अगर नियम की अनुमति न होती तो निलम्बन नहीं होता । यह भी तो नियम है ।

इस सदन के बहुत से लोग जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा कि निलम्बन वापिस हो । कुछ माननीय सदस्यों ने आकर मुझसे अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है । हम सब संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं । इसलिए हम सब का दायित्व हो जाता है कि उसकी गरिमा को बनाये रखें । अनेक माननीय सदस्यों ने मुझसे अपनी पीड़ा व्यक्त की है । इस सदन के बाहर किसी विद्यालय में, किसी कालेज में, किसी स्थान पर मास असेम्बली की जाय । (व्यवधान) खुलेआम मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करके विधान सभा आयोजित की जाय और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय और कहीं न कहीं यहां उसकी छाया पड़े तो दूसरी ओर भी लोगों को पीड़ा हुई है । मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन सदन में सत्र जब होता है तो उसके पहले बैठक बुलायी जाती है । लोग आश्वासन देते हैं और वहां अभिलेखों में भी आश्वासन आ जाता है । लेकिन यहां दूसरा रूप दिखाई देता है । एक दिन निलम्बन हुआ शेष सदस्य उपस्थित थे दल विशेष के, उन्होंने आकर अनुरोध किया होता, दूसरे दिन निलम्बन हुआ और शेष सदस्य उपस्थित थे । वह आकर के अनुरोध करते, तीसरे दिन निलम्बन हुआ और शेष सदस्य दल के उपस्थित थे वह निलम्बित नहीं थे, वह अनुरोध करते । लेकिन यह तय हो जाय कि जब तक हमारी बात सुनी नहीं जायेगी भले नियम विरुद्ध हो सदन में कार्यवाही नहीं चलने पायेगी । माननीय नेता विपक्ष ने अपने भाषण में कहा कि जब तक एक भी सदस्य रहेगा मैं इस सदन की कार्यवाही चलने नहीं दूंगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर शेम-शेम की आवाजें)

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, यह नितान्त असत्य है । मैंने जो कहा है कि पहले पढ़वा लीजिएगा । मैंने कहा है–जब तक समाजवादी पार्टी का एक भी सदस्य उपस्थित है तब तक अवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, मनमाने तरीके से तानाशाही तरीके से कार्यवाही चलायी जा रही है । नहीं चलने दी जायेगी । यह मैंने कहा है ।

(व्यवधान)

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय नेता विपक्ष ने कहा है वह मैंने निकालकर देख लिया है।

कृपया शांत रहिये। जो माननीय नेता विपक्ष ने कहा है। उसको भी मैंने अभिलेख निकलवाकर देख लिया है।

*श्री हुकुम सिंह–

मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो आक्षेप होते हैं वह आमने-सामने होते हैं। उस पीठ पर आक्षेप नहीं होते हैं। अभी भी कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इन्हें कहना तो था कि आगे व्यवधान नहीं होने देंगे। आज भी कहा जाय कि तानाशाही नहीं चलने देंगे, तो आप कम से कम निर्देशित करें। हम प्रस्ताव लाने के लिये खड़े हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल और हमने आज तक पीठ पर कभी आक्षेप नहीं लगाया है और कहीं पर ऐसा महसूस किया गया हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी में एक बड़ा भारी गुण है कि वह बात को कहीं की कहीं मोड़ देते हैं। अगर यह कहा गया है कि तानाशाही रवैये के खिलाफ नहीं चलने देंगे, तो यह आपके खिलाफ नहीं कहा गया है। यह सरकार के खिलाफ कहा गया है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे खिलाफ नहीं था, मैं यह समझ रहा हूं। मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूं।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं 1980 से लगातार देखता चला आ रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ हुआ है वह दुखद हुआ है। इसको बचाया जा सकता था। सदन की एक गौरवशाली परम्परा है। मैं एक बात लगातार महसूस कर रहा हूं कि जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है उसका इशारा पीठ की ओर नहीं था और अभी आपने भी कहा कि उसका इशारा आपकी ओर नहीं था। सरकार की एक सदाशयता थी जो उनके लिये कहा गया वह आपके ऊपर टाल दिया गया तो मान्यवर, यह स्थिति दुखद है।

श्री अध्यक्ष–

अपना-अपना अर्थ निकालने की आदत है।

(डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

हम लोग इस बात पर चिन्ता करते हैं कि अभिलेखों में क्या आया है और क्या नहीं आया है।

श्री प्रमोद कुमार–

अब मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों का बीच में खड़ा होना कहां तक उचित है, मैं बोल रहा था और अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाया, यह लोग बोलने लगे, इनको भी आप निकालिये।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनीराम वर्मा–

यह विधान सभा है या बाजार है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं और व्यवधान न उत्पन्न करें ।

(व्यवधान) माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

मुझे जो कहना था वह मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया है । लेकिन हर व्यक्ति के कहने का भाव अलग-अलग होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी है लेकिन उसके अलावा 3-4 माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । इन्हें आप शांत करायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं और शांत रहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इस समस्या का समाधान चाहता हूं । मेरा एक मात्र उद्देश्य है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक और गरिमा पूर्वक चले । यदि सत्ता पक्ष यह मानकर बैठ जाय कि विपक्ष के बिना कार्यवाही चल जायेगी तो ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें यह नहीं होना चाहिए कि बैडमिन्टन के खिलाड़ी की तरह चिड़िया इधर या उधर हो जाये बल्कि हर समय सत्ता पक्ष पर अथवा विरोध पक्ष पर एक दूसरे का आरोप लगाना ठीक नहीं है । बिना आक्षेप किये आप अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बिना आरोप के मैं कहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आप से विनम्रता पूर्वक कह रहा था कि यहां विपक्ष निर्वाचित होकर क्यों आता है । उसके कर्तव्य क्या हैं । विपक्ष के माननीय सदस्य यहां अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्यायें उठाते हैं और आपके माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि उन समस्याओं का निराकरण हो । इसमें हो सकता है कि सरकार का पक्ष सही हो अथवा विपक्ष का सही हो । मान्यवर, हमारी सूचना सीधे जानकारी पर आधारित होती है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष अथवा सरकार सत्य बोल रही है बल्कि यहां मुख्य प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही किस प्रक्रिया से सुचारु रूप से चलेगी । इस सदन की कार्यवाही बिना व्यवधान के कैसे सुचारु रूप से चले ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अनुसार चलेगी । अब परम्परा की बात है कि विपक्ष कोई बात लाये तो सत्तारूढ़ दल यहां इसलिए नहीं बैठा है कि यदि कोई गलती हो जाय तो उसकी रक्षा ही करने के लिये बैठा हो । संसदीय कार्य मंत्री जो यहां बैठे हैं । विपक्ष में श्री अम्मार रिजवी जो आज विरोध पक्ष में बैठे हैं लेकिन जब वह

संसदीय कार्य मंत्री थे तो हंसकर अपनी बात कहते थे । लेकिन सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री हमारी हर बात को जब गलत कहते हैं तो हम विरोध पक्ष के लोगों का उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक हो जाता है । इसलिए नेता विरोधी दल ने जो कहा हमारा विरोध इनसे हो सकता है लेकिन मान्यवर, आपसे नहीं हो सकता है ।

आपकी पीठ से हमारा विरोध नहीं हो सकता है । इन्हीं लोगों का प्रयास होता है कि आपको बीच में लाकर खड़ा कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह खड़े भी नहीं करते हैं और न मैं इनके कहने से खड़ा होता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर यह सदन बनता है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रस्ताव लायें और बाहर जो लोग बैठे हैं उनको यहां लाकर उनको कार्यवाही में भाग लेने का मौका दें । मैं महाविनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि उनके निलम्बन को वापस करने का प्रस्ताव ले आयें ।

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि जो हमारे सदन में हो रहा है यह बाहर जाता है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चा-बच्चा पूछता है कि सदन में खून-खराबा भी होता है । सदन के अध्यक्ष को शर्म-शर्म के नारों से विभूषित किया जाता है । मैं भी बहुत दिनों से इस सम्मानित सदन का सदस्य रहा हूं । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या यह सदन नियमों से चलेगा या किसी की शक्ति के बल पर चलेगा । बार-बार विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होकर कहते हैं कि सदन को नहीं चलने दिया जायेगा और आपके ऊपर, पीठ पर अनेकानेक आरोप लगाते हैं । मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां पर जो परम्परायें, परिपाटी रही है उसके विपरीत पीठ के प्रति असम्मान की बातें होती हैं । जिससे सदन की गरिमा गिरती है । सदन के बाहर निन्दा होती है । आप विदेश गये हैं आपसे वहां यहां के बारे में कहा गया तो आपका सर शर्म से झुक गया । हमारी संताने हमको क्या कहेंगी । इस पर हमें शर्म आती है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय नेता विपक्ष और माननीय रेवती रमण सिंह जी मेरे बड़े मित्र हैं । मैं एक सलाह देना चाहता हूं सदन में [x x x]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह सब न कहिये ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम विपक्ष के बहुमूल्य सुझाओं का आदर करते हैं लेकिन सदन की जो मर्यादा है उसके अन्तर्गत सारी बातों को सुनने को हम तैयार हैं लेकिन आपके ऊपर कोई आक्षेप लगायेगा तो यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा । माननीय सदन को मर्यादा में चलाने में हर मा० सदस्य का सहयोग आपेक्षित है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

हमने एक अच्छे माहौल को बनाने की बात सुनना प्रारम्भ किया था, यह तो चर्चा हो गयी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने आक्षेप किया है उसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

उतना हिस्सा निकाल दूंगा । मैंने पहले भी कहा था कि यह न कहिये !

डा० अम्मार रिजवी–

अध्यक्ष जी, पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से सदन चल रहा है । बाहर लोगों में इसकी जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में मेरा विश्वास है कि चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के, हमारा सर शर्म से झुक जाता है । मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरे सदन की इज्जत का सवाल है । माननीय रघुवर दयाल जी और प्रमोद जी ने जो कहा मैं उससे अपने को आंशिक रूप से संबद्ध करता हूं । यह जिम्मेदारी सदन के प्रत्येक सदस्य की है कि सदन कायदे से चले । सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा है । सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री जी की है । दूसरे नम्बर पर नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है । मेरा अनुरोध है कि जब आज आपने एक फैसला ले लिया है । मा० संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव भी ला रहे हैं तो ज्यादा चर्चा इस पर न करायें । केवल एक बात पर ध्यान दें । हमें खुद आत्मचिन्तन करना है । हम यह निश्चय करें कि सदन की कार्यवाही हर प्रकार से चलेगी और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा । मैं विपक्ष में बैठता हूं । प्रश्नकाल यह हमारा समय है । यह हम खुद बरबाद करते हैं । हम जीरो आवर का भी इस्तेमाल ठीक नहीं करते । शून्य प्रहर जब आये तो प्रतिपक्ष को ऐक्टिव होना चाहिये । लेकिन जब प्रश्नकाल होता है तो सारी चीजें शुरू कर देते हैं । जो हमारे प्रश्नों में ऐसे-ऐसे भी प्रश्न होते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से संबंधित होते हैं । यह हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा है, संसार में 6ठी बड़ी पार्लियामेन्ट है । आबादी के हिसाब से । अगर हम यहां इस तरह की बातें करते हैं तो सारी दुनियां में टी०वी०, इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये शाम को सारे संसार के लोगों को पता चल जाता है । मैं हाथ जोड़कर दोनों तरफ के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हदैत को दफन करें । आरोप और प्रत्यारोपों की कोई इन्तेहा नहीं है । प्रतिपक्ष को अपनी बात सरकार का ध्यान आकर्षित करके कहने का अधिकार है । यह हमारा काम है कहना, उनका काम है सुनना । थोड़ी देर के लिये सुन लें तो बहुत फायदा होगा आपका जो हमें आपसे बहुत उम्मीद है । मुझे सौभाग्य से इस बात का गौरव है कि काफी दिनों तक आपके साथ रहने का अवसर मिला है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है । मैं उनके बराबर बैठा हूं और जो बात बोल रहा हूं यह उनकी कृपा है । उनके जैसे संसदीय कार्य मंत्री के होते हुये सदन में व्यवधान होता है । आपके जैसे अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन रह चुके हैं । ऐसे लोगों के होते हुए मेरी समझ में नहीं आता है कि यह सदन अव्यवस्थित क्यों है । इस मामले को खत्म करें । हम आइन्दा से तय करें कि हमें अपनी बात इस लक्ष्मण रेखा के अन्दर रहकर कहनी है । हम सदन में व्यवधान उत्पन्न न करें । कृपया इस मामले को तय करने के लिये प्रस्ताव करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं केवल दो बातें कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करें । कोई उनका प्रतिनिधि आश्वासन करके खेद प्रकाश कर दे, तो खत्म हो जाये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, यह जो प्रकरण हुआ उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । मान्यवर, होना यह चाहिये कि किसी को अपने क्षुद्र अहम् को तुष्ट करने की चेष्टा वहां बैठे हुये सदस्यों को नहीं करनी चाहिये । उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें चुनकर भेजा है । उनकी जो अपेक्षा है उस पर हम खरे उतरे यह तभी संभव हो सकता है जब कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही चले और प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अनुसार सदन की कार्यवाही चले ।

उसके अनुसार सदन चले, पीठ का सम्मान हो, पीठ के निर्देशों की अवहेलना न हो, प्रश्नकाल अपने समय से हो जाये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को इस बात की पीड़ा है कि उनका निलम्बन हुआ है, उनको कहीं लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते, मन के किसी कोने में यह भी होना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र के मानक सिद्धान्तों के ऊपर प्रहार किया है और उस पीड़ा का प्रस्तुतीकरण भी इस सभा में आना चाहिए कि हमने अगर कोई चूक की है तो यह चूक पुनः नहीं होगी । यह सदन नियमों के अनुसार, कार्यसूची के अनुसार चलेगा । मान्यवर, मैं एक बात स्मरण करा दूं, यही नेता कांग्रेस एवं उनके दल के माननीय सदस्य बैठे हैं, यही नेता बहुजन समाज पार्टी एवं उनके दल के माननीय सदस्य बैठे हैं या अन्य दलों के माननीय सदस्य बैठे हैं उनके ऊपर निलम्बन की कार्यवाही नहीं हुई । जिन्होंने जानबूझकर कार्यवाही को न चलने देने के लिए कार्यसूची के बाहर जाकर, नियमावली के बाहर जाकर बारम्बार निवेदन के पश्चात् बारम्बार आग्रह के पश्चात् व्यवधान किया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब हमने कह दिया कि यह सदन चलेगा और नियमों से चलेगा तो फिर इसमें बहस की बात कहां से आ गयी ? जब माननीय नेता सदन यहां बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो विपक्ष का एक भी सदस्य यहां नहीं था । अगर आप इसी तरह का सदन चलाना चाहते हैं तो चलाइये । मान्यवर, जब आपने बात मान ली और संसदीय कार्य मंत्री जी ने मान ली तो फिर बहस की बात कहां से आ गयी, अब तो बात खत्म हो गयी ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, व्यवहार के लिए नियम बना है । सरकार की तरफ से जब इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो रहा है और हमारे साथियों ने कहा कि जनता के सवालों के लिए उसके हितों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसके लिए ही हम सब को अपने सवालों की ओर ध्यान दिलाने को बाध्य होना पड़ता है तो नियम के विरुद्ध कहा जाता है सरकार की ओर से सवालों के जवाब अधिकांशतः गलत आते है । नियम तोड़ने की बात आती है ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपने डा० बाजपेयी जी की सूचना में आपने पीठ से यह निर्णय दिया है कि सभी नेताओं को बुलाकर बात करेंगे । फिर इसमें कुछ बचता नहीं है । आप सबसे बात कर लीजिये. सबका आश्वासन आ जाये ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

जब धर्मज्ञ मिश्र जी आ जायेंगे तब हम आपको सुनेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आज जैसे ही प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ आपने कुछ संकेत दिये । आपका संकेत सरकार के लिए या इस सदन के लिए आदेश होता है । आपने संकेत करके स्पष्ट निर्देश दिया उसके बाद कोई विवाद नहीं रह जाता है । 12.20 बजे के बाद अब 1.00 बज रहा है । 40 मिनट का समय हमने अपनी व्यथा प्रस्फुटित करने में खर्च किये हैं ।

कहीं न कहीं सभी माननीय सदस्यों को पीड़ा होगी । परन्तु उस पीठ पर बैठकर आप कोई इच्छा जाहिर करें कि इस सदन को सुचारु रूप से और प्रभावशाली ढंग से चलाने की आवश्यकता महसूस करें उस पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए । मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य कहीं न कहीं व्यथित हैं । एक मेरा अनुरोध है कि जब कोई ऐसा प्रकरण आए तो आप अपने कक्ष में हम सभी लोगों को बुला लें और एक बार, दो बार कोशिश जरूर होनी चाहिए कि गतिरोध दूर हो जाय और सदन सुचारु रूप से चले । अगर किसी माननीय सदस्य की कोई बात स्वीकार करने योग्य हो तो उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने इसी सदन में एक सवाल पूछा था कि जिस तरह से ए० पी० सी० का पद है उसी तरह से औद्योगिक विकास आयुक्त का पद बनाया जाएगा, सरकार इस पर विचार करेगी । उस समय सरकार का उत्तर आया कि जी नहीं और एक माह बाद इस पद पर एप्वाइन्टमेन्ट कर दिया गया । अगर सरकार उसी समय विचार करने का आश्वासन देती तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता । परन्तु इसमें मंत्रियों का कोई दोष नहीं है । इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा कसा हुआ है कि किसी के कहने पर कोई काम नहीं करेंगे । हम सभी यहां जनता के प्रतिनिधि हैं जनता हमसे कुछ अपेक्षा रखती है इसलिए मैं चाहूंगा कि जैसा कि अम्मार रिजवी ने अपनी बात कही है इस पर वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह प्रकरण यहीं समाप्त किया जाए । सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे । आगे कोई गतिरोध पैदा नहीं होगा । सदन प्रभावशाली ढंग से चलेगा जिसका अनुसरण दूसरे प्रदेश का सदन भी करेगा । इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ला के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

शुक्ला जी आप तो मंत्री हैं । कृपया बैठ जाएं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आप इस संबंध में अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं को बुला लें और वार्ता कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । मैं अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं को बुला लूंगा ।

श्री रेवती रमण सिंह जी ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में उनके दल का सहयोग रहेगा । मैं इतनी जरूर अपेक्षा करता था कि मा० रेवती रमण सिंह जी जब खड़े हुए हैं तो वह अपनी बात रखते समय खेद जरूर प्रकट करेंगे । उन्होंने खेद शब्द का प्रयोग नहीं किया इसका मुझे खेद है ।

श्री मुनाद लारी–

यहां पर सदन में मंत्रीगण हंगामा करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सवाल यह है कि मेज पर खड़े होकर डांस करें और सदन में खेद भी व्यक्त न करें ।

उत्तर सही है या गलत है । चर्चा कैसे चल रही है यह एक अलग बात है । सदन में सदस्यों का आचरण कैसा हो इसकी बात है ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर व्यवधान)

आप कृपा करके बैठ जायं । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

केवल इतनी अपेक्षा प्रकट की थी कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लायें । शायद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के हाथ में प्रस्ताव तैयार भी है । इसके पूर्व यह अपेक्षा थी । माननीय श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने खड़े होकर इतना आश्वस्त किया कि उनके दल का कोई भी सदस्य सदन को व्यवस्थित, व्यवधान रहित तथा नियमानुसार चलाने में मदद करेगा । मैंने एक शब्द और कहा था कि मुझे विश्वास है कि वह खेद प्रकट करेंगे परन्तु उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं । मुझे खेद है कि उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया । कोई मेरे लिये नहीं इस सदन के लिये करना है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस सरकार से व्यथित हैं ....

श्री अध्यक्ष–

सवाल यह है कि इस सदन में माननीय सदस्यों का व्यवहार कैसा हो । तमाम लोग व्यथित होते हैं और दुखी होते हैं । सरकार के निर्णयों से तमाम असन्तुष्ट होते हैं । सदन में जो उत्तर दिये जाते हैं उससे परन्तु जिस प्रकार का आचरण हुआ है । उसको सदन ने देखा है । एक बार भी उनके प्रतिनिधि के रूप में किसी ने भी यह नहीं कहा कि किसी कारण से यह हो गया । यह खेदजनक व्यवहार है । यह न्यूनतम अपेक्षा तो थी ही । परन्तु इस प्रकार की एक बात भी नहीं आयी । माननीय सदस्य इस सदन में ऐसे वातावरण का निर्माण करें ताकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव ले आयें । आप अनुभवी हैं । जब आप इतना भी इशारा नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या करूं । यदि खेद नहीं हुआ तो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होगा और मैं अनुरोध नहीं करूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी यह आपका अधिकार है कि प्रस्ताव प्रस्तुत हो या न हो । मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन की कुछ मान्य परम्परायें हैं । यहीं विधान परिषद् में सदस्यों का निलम्बन हुआ परन्तु दूसरे दिन उनका निलम्बन वापस कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय सदन का होता है किसी व्यक्ति का नहीं होता है ।

मैं 1.30 बजे अपरान्ह तक इस सदन को स्थगित करता हूं और सभी दल के माननीय नेताओं को आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे कक्ष में आ जायें ।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है । 1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक बढ़ा दिया है । 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी विगत तीन दिनों में...

श्री अध्यक्ष–

विगत तीन दिन नहीं विगत सप्ताह में ।

श्री धनीराम वर्मा–

विगत सप्ताह जिन तीन दिनों में समाजवादी पार्टी के सदस्यों का निलम्बन हुआ और जो भी कार्यवाही हुई वह प्रजातांत्रिक मूल्यों को सबल करने वाली नहीं बल्कि प्रजातंत्र को कमजोर करने वाली रही है । मैं यह चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बात सदन में न पैदा की जाय जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो । मैं चाहता हूं कि सदन शांतिमय ढंग से नियमों से, संविधान से, परम्पराओं से चले । यही मेरी इच्छा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए मेरा सहयोग भी रहेगा ?

श्री धनीराम वर्मा–

मेरा नियमों से परम्पराओं से पूरी तरह सहयोग रहा है और रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने कक्ष में माननीय नेताओं की बैठक बुलायी थी । सभी इस बात पर सहमत हैं कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चले और सभी माननीय नेताओं ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है और हृदय से महसूस कर रहे हैं कि जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ था वह दुखद था और यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है । इसलिए इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया निलम्बन के प्रस्ताव को वापस लेने हेतु प्रस्ताव लायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा में जो 67 माननीय सदस्य विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 के उप नियम (3) के अन्तर्गत सदन की सेवा से सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित किये हैं उनके निलम्बन के असमाप्त भाग को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ था वह वापस हो गया है ।

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनायें

आज नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं आयी थीं मैंने उनको निरस्त कर दिया है । लेकिन माननीय सदस्यों ने आग्रह किया था । मंहगाई वाली सूचना को ले लें तो कल नियम–56 में दे दें उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

महंगाई से ज्यादा कोई विषय नहीं हो सकता है । मेरा अनुरोध है कि आज ही उसे ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है उस क्रम तक पहुंचने दीजिये ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

डा० राम बाबू हरित, श्री समर पाल सिंह, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य व श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी ।

(श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, अनुपस्थित थे । इसके उपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा प्रतीक्षा सूची के दो माननीय सदस्यों श्री राजपाल सिंह व श्री लालजी वर्मा के नाम पुकारे गये । श्री राजपाल सिंह अनुपस्थित थे ।

उपस्थित चार सदस्यों की सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)

आगरा महानगर के सभी मुख्य मार्गों व गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० रामबाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है । यहां देश-विदेश के हजारों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं । नगर की मुख्य मार्गों तथा गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाइटें लगभग 70-80 प्रतिशत बन्द पड़ी हुई है । जिससे रात्रि में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा चोर, बदमाशों व गुण्डों को अपना लूटने का खेल करना सुलभ रहता है । जनहित में नगर की स्थिति सुन्दर बनाने हेतु रात्रि में सभी स्ट्रीट लाइटों को सुचारु रूप से स्विच वायर द्वारा जलाने की अति आवश्यकता है । देखने में आया है किन्हीं-किन्हीं सोडियम बल्ब में स्विच वायर न होने के कारण दिन में जलते रहते हैं ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आगरा महानगर में जनहित में सभी मुख्य मार्गों व गली-मोहल्लों की स्ट्रीट लाइटों को, स्विच वायर की व्यवस्था के साथ तुरन्त ठीक कराने का कष्ट करें ।]

जनपद बागपत के कतिपय ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री समरपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद बागपत में ग्राम भड़ल, दाहा, वामनौली तथा मुलसम में जल निगम द्वारा स्थापित पानी की टंकियां हैं । इन टंकियों के सप्लाई पाइप फटे होने के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल पा रहा है । कई स्थानों पर पाइप कम क्षमता के तथा पानी का दबाव न बनने के कारण भी उपभोक्ताओं को पानी नहीं मिल पा रहा है । विडम्बना यह है कि अनेक वर्षों से पानी की आपूर्ति न होने के बावजूद उन सभी उपभोक्ताओं से पानी का बिल लिया जा रहा है । अनेक बार इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समस्या की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया परन्तु अभी तक समस्या का निराकरण नहीं किया गया ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं इस समस्या के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं । ।

मिर्जापुर नगर में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत नगर की अधूरी सीवर व्यवस्था पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० सरजीत सिंह डंग–

[मान्यवर, नगर मिर्जापुर में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत नगर के लगभग आधे भाग में सीवर प्रणाली का निर्माण 4 वर्ष पहले किया गया था किन्तु केवल आधे भाग में ही सीवर प्रणाली का निर्माण किये जाने के कारण इसे बनाने का अभिप्राय पूरा नहीं हो सका क्योंकि जब तक पूरे नगर की सीवर व्यवस्था को इस प्रणाली के अन्तर्गत न लिया जाये इसका लाभ मिलना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है ।

आज भी नगर बसही कला, नटवा, बरौधा, बरौध कचार, बथुआ, जंगीरोड महावीर लोहड़ी कंतित, विन्ध्याचल, लोहिया तालाब, शिवपुर इत्यादि क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था नहीं है । फलस्वरूप जहां इसके कारण गन्दगी फैल रही है वही पर्यावरण का भी भारी खतरा उत्पन्न हो गया है और इसके कारण कभी भी बीमारी फैलने की प्रबल संभावना है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये नगर के शेष भाग में सीवर व्यवस्था का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं । ।

माया बाजार टाण्डा मार्ग जनपद अम्बेडकर नगर की चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, माया–टाण्डा मार्ग टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर को फैजाबाद एवं लखनऊ से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिस पर प्रतिदिन हजारों जीप, ट्रक एवं प्राइवेट बसें चलती हैं । उक्त मार्ग पर ही टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना भी स्थिति है । दिनांक 4 जून, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की घोषणा की गयी थी ! परन्तु आज तक उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई नहीं गयी जिससे कि आम जनता के आवागमन में अत्याधिक कठिनाई हो रही है । दुर्घटनायें भी होती रहती हैं जिसके कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये माया-बाजार टाण्डा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की मांग करता हूं । ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की एक सूचना प्राप्त हुई थी । उसे मैंने निरस्त कर दिया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा जी की विधायक निधि में प्रत्येक विधायक के निर्वाचन के लिए अवमुक्त 25 लाख रुपये की धनराशि को 31 मार्च तक प्रयोग किये जाने के बारे में है।

विधायक निधि में प्रत्येक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अवमुक्त 25 लाख रु० की धनराशि को 31 मार्च तक प्रयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा कि थी कि क्षेत्रीय संतुलन व विकास की दृष्टि से प्रत्येक विधायक को उसके सुझाव पर विकास कार्यों पर व्यय के लिए 50-50 लाख रुपये की विधायक निधि बनायी जायेगी। मान्यवर, प्रतीक्षा के बाद जब फरवरी माह में सदन आहूत कर लिया गया तो उसके तुरन्त बाद 25-25 लाख रुपये ग्राम विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। उसमें यह शर्त लगा दी गयी थी कि 31 मार्च तक यह पैसा जिलाधिकारी के पी० एल० ए० में जमा होगा और यदि 31 मार्च तक उपभोग न किया गया तो उसके बाद यह व्यपगत हो जायेगा। मान्यवर, जो एक घोषणा हुई थी उसमें आम जनता ने एक आशा लगा ली थी कि क्षेत्र के विधायक द्वारा अमुक कार्य कराया जायगा उस संबंध में योजनाएं भी बना ली गयी हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए जो धन दिया जा रहा है। उसमें यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि 31 मार्च तक इसका उपयोग हो। मान्यवर, आप भी अवगत है कि एक माह के अन्दर कार्यदायी संस्था से इस्टीमेट आ पाना मुश्किल है खर्च कर पाना तो दुरूह कार्य है। मान्यवर, जान-बूझकर इसमें क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा की जा रही है। मान्यवर जो नियमावली है उसमें भी इस्टीमेट की बावत 40-45 दिन का जिक्र है। 45 दिन अब बचे नहीं है। इस धन को निश्चित रूप से व्यपगत होना है। मान्यवर, योजनाएं पूरी नहीं होगी तो विधायकों के खिलाफ लोगों में रोष उत्पन्न हो जायेगा। जो प्रतिबन्ध है उसके संबंध में मान्यवर, आप व्यवस्था करें।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर आप की नियम–51 की सूचना स्वीकार हो गयी है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, विधायक निधि में यह प्रतिबन्ध है कि 31 मार्च के बाद पैसा नहीं रहेगा। पी० एल० ए० में भी 31 मार्च के बाद सामान्य प्रतिबन्ध है। मान्यवर, 24 मार्च तक हाउस है। हम लोग उसके बाद ही कार्यों का पर्यवेक्षण कर पायेंगे। तो इसमें अनुरोध है कि परिस्थितियों को देखते हुए जो पी० एल० ए० संबंधी प्रतिबन्ध है। वह इस विधायक निधि के संबंध में हटा लिया जाय। वह पैसा डी० एम० के पास पी० एल० ए० में रहे व्यक्तिगत न हो। 31 मार्च के बाद 10 मार्च हो सके।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें आपके कक्ष में हम लोगों की बात हुई थी। इसमें कोई न कोई रास्ते जरूर निकाले। अगर 31 मार्च का बेरियर रहेगा तो निश्चित रूप से सदुपयोग नहीं हो पायेगा। हमने सांसद निधि का अनुकरण किया है उसके अनुसार नियमावली बनी है उसमें 31 मार्च का बेरियर वहां नहीं है तो जो परिस्थितियां यहां हैं उसको देखते हुए 31 मार्च के प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक कठिनाई का उल्लेख किया गया है । लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्यगण का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 12 अगस्त, 1998 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया था और उसमें कहा गया था कि यह राशि अवमुक्त होने वाली है, आप अपनी-अपनी योजना बनाकर जिले पर उपलब्ध करा दें । उसमें यह भी था कि 15-11-98 तक उपलब्ध करा दें । आशय यह था कि योजना आ जायेगी और जैसे ही धनराशि अवमुक्त होगी यह कार्य हो जायेगा । उसके भी पीछे आशय यह था कि कहीं ऐसा न हो कि इस वित्तीय वर्ष में कार्य न हो सके । क्योंकि कुछ न कुछ वित्तीय अनुशासन रखना ही पड़ता है । अगर वित्तीय अनुशासन नहीं रखेंगे तो शिकायत होगी । उसको रखने के लिए ही समय रहते सबको अवगत करा दिया था । मान्यवर, सदन के मूड को देखते हुए विचार करेंगे कि आगे इसमें क्या सम्भव है ।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, ये जिस नियमावली का उल्लेख कर रहे हैं उसमें है कि 35 प्रतिशत प्रथम क्रय मास में 18 प्रतिशत द्वितीय क्रय मास में, इस तरह का जिक्र इनकी नियमावली में है परन्तु इस साल जो परिस्थिति है हम कह रहे हैं कि सारे आगणन तैयार हैं । सब लोगों की योजना तैयार हैं, और आज की तारीख में कार्यदायी संस्था को पैसा रिलीज भी कर दिया जाय तो क्या यह कार्यदायी संस्था सारे पैसे का सदुपयोग कर पायेगी ! टेण्डर निकालने आदि की प्रक्रिया है यह सब कैसे होगा, एक माह में सब घपला ही होगा । मान्यवर, एक तो 58 लाख की जगह 25 लाख रुपया दे रहे हैं, घोषणा के अनुरूप नहीं दे रहें हैं बताते हैं कि वित्तीय संकट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन जो 25 लाख रुपया दिया जा रहा है उसमें हम चाहते हैं और पूरा सदन भी इस बात पर सहमत है कि उसका मिसयूज न होने पाये । ऐसा न हो कि पैसा आये और खर्च हो जाए और उसका कोई लेखा-जोखा सही ढंग से न रह जाए । इसलिए मैं चाहता हूं कि विशेष प्रतिस्थिति इस वर्ष के लिए है क्योंकि लेट में स्वीकृतियां जारी कर पायें हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो व्यावहारिक कठिनाई है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, यह इसी वर्ष की है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विशेष परिस्थितियों को देखकर मैं विचार कर लूंगा यह बात मैंने कही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसके लिए सरकार को निर्देश हो जाए कि इसको जरूर सरकार कर ले ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमने अनुकरण किया है सांसद निधि का और उसी के अनुसार हमारी नियमावली है तो जैसे सांसद निधि व्यपगत नहीं होती तो कोई ऐसी नियमावली बनायेंगे ताकि विधायक निधि व्यपगत न हो । मान्यवर, जब सांसद निधि का अनुकरण किया जा सकता है, तो विधायक निधि की नियमावली बनाने में उसका अनुकरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव को संज्ञान में लिया जा रहा है । मेरे पास दो सूचनायें हैं, नियम 311 में, एक माननीय वर्मा जी की है और दूसरी डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी की है, उनको निरस्त कर दिया गया है । आपकी सूचना किसी और नियम में होगी, आपने जो सूचना दी है, नियम 311 में कैसे आती है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर तकनीकी दृष्टि से न आ सकती हो तो विषय की गम्भीरता को देखते हुये ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना मद सं० 3 के बारे में देनी है, उसके बाद नियम–56 आ जायेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव स०वि०स० गाजीपुर की जिला कारागार से रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

परगना मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने अपने पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1999 जो इस सचिवालय में दिनांक 19 फरवरी, 1999 को फैक्स संदेश के रूप में प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर) जिन्हें दिनांक 17 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार कर जिला कारागार गाजीपुर में रखा गया था, को दिनांक 18 फरवरी, 1999 को सायं 7 बजे कारागार से रिहा कर दिया गया है । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना सदन को दिनांक 18 फरवरी, 1999 को दी जा चुकी है ।

नियम 311 की नियम–56 में परिवर्तित और चयनित शेष कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी नियम 311 को हम और आप साथ साथ पढ़ें । आप देखें कि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है और अगर नियम 56 में आती है, तो बतायें कैसे ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपके विवेक से आती है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अभी कहा था कि सदन नियमों से चलेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब से यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की आयी है ....

श्री अध्यक्ष–

पहले आप ग्राह्यता बता दें । अगर इस सूचना को नियम 56 में भी परिवर्तित कर दें, तो भी कैसे आयेगी । बहुत से माननीय सदस्य नये हैं, आप बता दें, नियम 56 में इसको ले आयें ।

श्री प्रमोद कुमार–

एक तो मान्यवर, यह अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना है । नियम 56 में तीन बिन्दु हैं, एक अविलम्बनीयता, दूसरा लोकमहत्व ।

श्री हुकुम सिंह–

और तीसरा, हाल ही में घटित होना चाहिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं बाजार गया था, वहां पर मुझे बढे हुये दाम मिले ।

(व्यवधान)

या तो इनको उत्तर दें या आपको उत्तर दें । मान्यवर, आप इनको शांत कर लें । मान्यवर, मैं आपको जवाब दे सकता हूं ।

(समय 2 बजकर 2 मिनट)

मान्यवर, नियम 58 को आप देखें तो इसमें 3 विलम्बनीय और लोक महत्व के लिए यह दो प्रमुख बिन्दु हैं और जिस दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उसकी सूचना सचिव को उपवेशन प्रारम्भ होने के 1 घंटा पूर्व दे सकेंगे, यह सभी चीजें हैं । मान्यवर, विलम्बनीयता इसलिए है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया हैं, महंगाई कल थी, आज है और अभी बढ़ रही है । लोक महत्व इसलिए है कि 16 करोड़ जनता महंगाई से प्रभावित है, निरन्तर महंगाई बढ़ रही है । इसलिए इसकी ग्राह्यता से दो बिन्दु संदर्भित हो रहे हैं । मान्यवर, तीसरी बात यदि यह नहीं लाते और गौर से आप देखें तो महंगाई तीन प्रकार से बढ़ रही है । एक सरकार ने बढ़ाया है, दूसरा बाजार में जमा खोरों के कारण बढ़ी है और तीसरे बाजार में मुनाफाखोरों द्वारा महंगाई बढ़ी है । मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान पहले कारण की ओर दिलाना चाहता हूं कि महंगाई सरकार ने बढ़ाई है ।

श्री अध्यक्ष–

आलू और प्याज के दाम तो गिर रहे हैं, तो महंगाई किस चीज की । आपकी सूचना में कुछ नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो दाम बढ़ाये हैं उसमें आप देखें तो चावल पहले जो 2.50 रुपये किलो सरकारी दुकान में था वह अब 3.25 रुपये हो गया । दूसरी श्रेणी का चावल 4.50 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये हो गया । इसी तरह अच्छा चावल जो पहले 5.50 रुपये किलो था वह सरकारी दुकानों पर बढ़ाकर 9.50 रुपये हो गया । इसी प्रकार चीनी 11 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी गयी । आप देखें इस सरकार के आने के बाद महंगाई 30 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक बढ़ी है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई ऐसा विषय नहीं है जिसे नियमों में बांधकर देखा जाय क्योंकि महंगाई हर व्यक्ति और हर घर को प्रभावित करती है । मेरी निश्चित जानकारी है कि जो उत्पादन हुआ उसमें कोई कमी नहीं हुई है और उत्पादन उतना ही है । बाजार में उपलब्धता भी है । लेकिन वही चीजें आज बढ़ी हुई कीमतों पर मिल रही हैं । इसका कारण है कि सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । मान्यवर, सरकार मुनाफाखोरों और जमाखोरों के नियंत्रण में चल रही है और सरकार की मिलीभगत के कारण चीजो के दाम बढ़ रहे हैं । मान्यवर, आज देखें तो यूरिया, तेल, गैस आदि सभी चीजों के दाम बढ़े हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यदि सूखा और बाढ़ आदि आ गयी होती तो महंगाई बढ़ती तो सिद्धान्त मैं मान लेता लेकिन खाद्य मंत्री जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वह कह रहे हैं कि रिकार्ड उत्पादन हम करने जा रहे हैं । मान्यवर, समझ में नहीं आता है कि रिकार्ड उत्पादन हो रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है । समझ में नहीं आता है कि जो चीजें कन्ट्रोल रेट पर मिलती हैं वह चीजें नहीं मिल रही हैं और वही चीजें खुले बाजार में बिक रही

हैं। यह सरकार मुनाफाखोरों और जमाखोरों से मिलकर स्वतः महंगाई बढ़ा रही है। प्रदेश की 16 करोड़ जनता को यह महंगाई प्रभावित कर रही है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज गम्भीर प्रश्न की ग्राह्यता पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज महंगाई का प्रभाव इस प्रदेश के हर तबके के लोगों पर पड़ा है। चाहे कर्मचारी हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे गरीब जनता हो, अधिकारी हो सब पर आज महंगाई की मार है। लोगों का बजट गड़बड़ हो गया है। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा ऐसा नहीं है कि यहां पर उत्पादन प्रदेश में नहीं हो रहा है। प्याज 120 रुपये बिका यदि प्याज की कमी पैदा हो गयी थी तो उसके निर्यात करने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी। फसल खराब हुयी तो प्रदेश से प्याज का निर्यात क्यों किया गया, आपको फिर प्याज का आयात करना पड़ा इस स्थिति को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं प्रणाली या सिस्टम में दोष या कमी है। इसी तरह से नमक जैसी महत्वपूर्ण चीज जो गरीब इस्तेमाल करता है, कहा जाता है कि नमक चाट कर पानी पी लेंगे। नमक को इस सरकार ने 60 रुपये किलो पर बिकवाने का काम किया। (शेम शेम की आवाजें) मान्यवर, ऐसा नहीं है कि नमक की कमी रही हो। नमक की कोई कमी नहीं रही केवल अफवाह फैलाकर उसकी कीमत बढ़वायी गयी।

श्री अध्यक्ष–

यह पुरानी बात हो गयी है। यह कहां नियम 56 में आता है। नियम 58(3) से यह प्रतिबंधित है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अफवाह फैलाकर, कृत्रिम अभाव का हौवा खड़ा करके जमाखोरों से पैसा कमाने के लिये ऐसा किया गया। मान्यवर, कड़वा तेल, सरसों के तेल में मिलावट की बात फैलाकर जो तेल 28-30 रुपये पर बिक रहा था उसी तेल के बारे में अफवाह फैलाकर कि तेल खाने से ड्राप्सी रोग हो रहा है तेल को महंगे दामों पर बेचा गया। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कितना तेल जब्त किया गया और कहां पर फेंका गया था या जलाया गया। मिलावटी तेल खाने से बीमार होने की अफवाह फैलाकर यह सरसों का तेल 60-70-80 रुपये किलो जनता को बेचा गया। आज ड्राप्सी की बीमारी कहां गयी। जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं, आज आलू बहुत पैदा हो गया है, इफरात पैदा हो गया है। यही आलू मान्यवर, 18-20 रुपये किलो बिका और यही आलू आज डेढ़ रुपये, एक रुपये किलो बिक रहा है। किसान के घर बिक रहा है और यही आलू किसान के घर से उठकर जब व्यापारी के घर पहुंच जायेगा तब 10, 15 और 18 रुपये किलो बिकने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसा इसलिये हो रहा है कि इस देश के व्यापारियों और पूंजीपतियों के ऊपर सरकार किसी प्रकार से कोशिश करके नियंत्रण नहीं लगा सकती है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार इसलिए नियंत्रण नहीं कर सकती क्योंकि उन्हीं पूंजीपतियों के पैसे के बदौलत, हेराफेरी करके सरकार बनी है और केन्द्र सरकार तक भी पहुंचे हैं। जनता महंगाई से चिल्लाने लगी है, आज व्यापारी कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन सरकार चलेगी, सरकार गिर जायेगी तो फिर मेरे यहां पैसा मांगने आ जायेंगे इसलिए पैसा जुटायेंगे नहीं तो देंगे कहां से ? व्यापारियों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। इनकी मिलीभगत से महंगाई बढ़ रही है। लहसुन जो कलियुग के अमृत के नाम से जाना जाता है वह आज 80 से 85 रुपये किलो बिक रहा है। कृत्रिम अभाव बनाकर इस देश के जमाखोरों को पैसा कमवाने के लिए ताकि वह पैसा कमाकर इनको चुनाव में दे और कालेधन का उपयोग करके केन्द्र और प्रदेश तक पहुंचे। सरकार की मंशा महंगाई पर नियंत्रण लगाने के लिए नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक महंगाई

रहेगी और जब तक महंगाई रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी । जिस दिन महंगाई समाप्त हो जायेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रह जायेगी । मैं इस पर बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, महंगाई का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । इस मुद्दे पर इनकी नीयत पर शक होता है ऐसा नहीं है कि चीजें उपलब्ध नहीं थी, मिल नहीं रही थीं, सूखा पड़ गया था इसलिए गायब हो गयी या बाढ़ या बारिश में गायब हो गयी थीं, ऐसा नहीं था, चीजें उपलब्ध थीं लेकिन इस तरह का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया और चीजों को बाजार से गायब किया गया । जिन चीजों को गायब किया गया उन्हें आप चौगुने दाम पर जब चाहे बाजार से खरीद लें । अगर आप प्याज को लें तो प्याज उपलब्ध थी लेकिन वह 8 गुने, 10 गुने दाम पर बिक रही थी उसकी वजह है कि सरकार ने कोई अंकुश नहीं लगाया, छापा नहीं मारा, किसी को सजा नहीं मिली और तो और जब आदमी बीमार हो गये और परेशान हो गये तब उसके अन्दर सिर्फ एक आदमी को सजा हुई बाकी किसी को सजा नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब पुरानी बातें हो गयी हैं, क्या यह नियम 58 के उप नियम 3 से प्रतिबंधित है ? यह तो सदन में अपनी बात रखने का अवसर मात्र है और कुछ नहीं ।

श्री कौकब हमीद–

अरहर की दाल 95 प्रतिशत आदमी खाता है वह 2000 से 3500 रुपये क्विंटल हो गयी । यह संवेदनशील सरकार, गरीबों की सरकार जो उनके बारे में सोचती है उसने क्या हश्र बना दिया है, हर चीज महंगी हो गयी । मैं गुजारिश करूंगा कि महंगाई का मुद्दा यह नहीं कि 4-6 महीने पहले हुआ है । सरकार न तो संवेदनशील है, न देख पाती है किस वक्त मुनाफाखोर मिलकर पुनः यह स्थिति पैदा कर दें और चीजें फिर महंगी हो जाये । इस सरकार ने जानबूझकर चीजें महंगी करायी जमाखोरों को मुनाफा दिलाने के लिए और गरीबों को मारने के लिए । मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने कार्य स्थगन की मेरी सूचना पर बोलने का अवसर दिया । अध्यक्ष जी मैं इस बात की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता और अकर्मण्यता के चलते इस प्रदेश की जनता महंगाई के चलते 1998 के अगस्त माह में तथा उसके पूर्व के कई महीनों तक लुटी है ।

श्री अध्यक्ष–

इसी वाक्य से आपकी सूचना निरस्त हो जायेगी क्योंकि अविलम्बनीय नहीं है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं आपकी अनुमति से सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता जो कुफल भोग रही है उसका जिक्र करना चाहता हूं । अगस्त, 1998 में जून, जुलाई, अगस्त के कई महीनों में सारी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में जहां 300 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई उसका तत्काल दुष्परिणाम आज यह है कि आज जो प्रदेश की गरीब आबादी है जो सबसे कमजोर तबके की आबादी है उसकी आर्थिक हालत बद से बदतर हुई है । नमक, तेल, प्याज है । आज अरहर की दाल 35-40 रुपये किलो, चावल जो खराब किस्म का है 10 रुपये प्रति किलो, नमक 6 रुपये किलो, लहसुन 80 रुपये किलो, आटा 10 रुपये किलो, चाय 160 रुपये किलो, डालडा आज 50-55 रुपये प्रति किलो बिक रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

महंगाई के पेट से बेरोजगारी और बेरोजगारी से गरीबी जाती है इन तीनों का अन्योन्याश्रित रिश्ता है। इस महंगाई की मार से प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1-1/2 करोड़ परिवार अर्थात तकरीबन साढ़े सात करोड़ की आबादी तबाह है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भी इस महंगाई के चलने गरीबी के रेखा के नीचे आ जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1994-95 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें कहा गया था कि मुद्रास्फीति के एक प्रतिशत वृद्धि होने से दो प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ती है। आज जो साढ़े सात करोड़ इन्सान गरीबी की रेखा के नीचे उत्तर प्रदेश में रहते हैं सरकार स्वयं कबूल करती है कि उनकी आय सालाना 2200 रुपये है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

इनकी मासिक आय करीब 183 रुपये है। यह सरकार जो अपने को लोक कल्याणकारी तथा संवेदनशील सरकार कहती है उसने आज तक इस महंगाई के बारे में स्पष्टीकरण तक नहीं दिया है कि महंगाई वृद्धि का कारण क्या है। बाजार जो उछल रहा है इसके पीछे उत्पादन और मांग के बीच अन्तर की बात भी लागू नहीं हो रही है। एक जखीरेबाजी करके भावों में उछाल लाया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कालाबाजारियों को खुश करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करके उनको निर्भय कर दिया है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुनाफा कमाने देने के लिए प्रदेश के जखीरेबाजों द्वारा जो इस सरकार के संरक्षण में हैं यह कार्य किया गया है। यह प्रदेश की जनता को लुटवाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की 16 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ यह सवाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तात्कालिक है, अविलम्बनीय है इसलिए इस पर आज शेष सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।

(श्री समरपाल सिंह तथा श्री राम ललित चौधरी जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह आवश्यक नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने कहा था कि जिन सूचनाओं पर 2-3 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तो उसमें से कुछ लोगों को मैं सुनूंगा। अब इस सूचना में चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं। रियायत भी रियायत की तरह से होनी चाहिए। जब सामान्य चर्चा होगी तब आप महंगाई पर अपने विचार रख लीजियेगा। श्री समरपाल सिंह जी आप तो कुशल वक्ता हैं। आज ही आपने प्रस्ताव पास किया कि सदन को नियमानुसार चलायेंगे।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, महंगाई के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब महंगाई बढ़ती है तो उससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। अगर यह महंगाई किसी चीज के उत्पादन कम होने से हो रही हो तो इस पर कहा जा सकता है कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। परन्तु मान्यवर, यह सरकार पूंजीपतियों की पोषक है और एक षड्यन्त्र के तहत बाजार के अन्तर्गत कृत्रिम अभाव पैदाकर चीजों के दाम बढ़ाये जा रहे हैं और जब उसी चीज को किसान अपने खेत में पैदा करता है तो उसके दाम कम हो जाते हैं और किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। आज इस महंगाई के कारण करोड़ों लोग परेशान हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करायें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, दो साल पहले अरहर की दाल 20 रुपये किलो थी, कड़ुवा तेल 20 रुपये प्रति किलो था परन्तु आज इन दोनों के दाम 50 रुपये से भी अधिक हैं। ...

श्री अध्यक्ष–

कब से हैं, यह बता दें।

श्री राम ललित चौधरी–

पहले 15 हजार का जो रंगीन टी०वी० था, आज उतने पैसे का टी०वी० और वाशिंग मशीन दोनों खरीद सकते हैं। तो यह सरकार की नीति है जिससे रंगीन टी०वी० और वाशिंग मशीन वालों के लिए स्थिति सुगम बनती है और दाल-रोटी वालों के लिए स्थिति दुर्गम बनती है। आज वहीं पर गरीबों को रोटी और दाल नहीं मिल पा रही है। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय लोगों को यह लगा था कि दाल-रोटी तो भरपेट मिलेगी। परन्तु आज महीनों-महीनों से गरीब लोगों को दाल-रोटी नहीं मिल पा रही है जब जमाखोरों की मिलीभगत से सरकार महंगाई बढ़ाती है तो स्वयं बचने के लिए सरकार मौसम का बहाना लेती है तो कभी बाजार का बहाना लेती है। यह सरकार पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके चीजों के दाम बढ़ा रही है। इसलिए इस पर आप चर्चा करायें।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी नियम–56 के अन्तर्गत आपकी दूसरी सूचना है। आप इस पर बोलियेगा या उस पर बोलियेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं इसी पर बोलूंगा। उस पर नहीं बोलूंगा। मान्यवर, आपने अपने उद्बोधन में कई बार यह चिन्ता व्यक्त की कि यह नियम–56 में कैसे आती है। महंगाई लोक महत्व का प्रश्न है। महंगाई आज भी है, इसलिए अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है। इस महंगाई के कारण पूरे प्रदेश की 13 करोड़ जनता प्रभावित हो रही है। विशेषरूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस महंगाई को बढ़ाने में सरकार की भूमिका रही है इसलिए इस पर चर्चा कराना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

जब बजट पर सामान्य चर्चा होगी, उस समय आप अपनी बात कहियेगा।

श्री लालजी वर्मा–

महंगाई की वजह से इसकी तात्कालिकता बनी हुई है और इस महंगाई की मार से बचा जा सके, इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक है ताकि इस प्रदेश की 13 करोड़ की जनता को इसका लाभ मिल सके। इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मैंने सन् 42 में एक रुपये का एक सेर घी खरीदा था। 1947 में 3 रुपये खरीदा और आज 100 रुपये खरीद रहे हैं। यह दाम कब से बढ़े हैं। भाजपा से अभी डेढ़ साल से आयी है। गेहूं हमने 16 रुपये खरीदा था।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े हो गये तो इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी कृपा करके महंगाई जैसे मुद्दे पर विस्तृत बातें सुन लीं। मान्यवर, ग्राह्यता पर सत्ता पक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि वे अपनी बात रखें। यह विस्तृत रूप से चर्चा कराये जाने योग्य है। आप इस पर चर्चा करा दें ताकि हर लोग अपनी बात रख सकें।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर साधारण चर्चा के समय आप अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं । यहां पर एक तो चीजों के दाम के बारे में कहा गया । जो चीजें आवश्यक हैं जन-जीवन के लिए मैं केवल उनके बारे में तुलनात्मक रूप से कुछ कहना चाहता हूं । 30 अक्टूबर, 1998 में सरसों का तेल 70 रुपये किलो था । 20 फरवरी, 1999 को यह 50 रुपये किलो है । अगर इसमें कोई शक किसी को हो तो मैं आमंत्रित करता हूं जितना चाहें 50 रुपये किलो के हिसाब से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेता हूं । मान्यवर, वनस्पति घी अक्टूबर में 60 रुपये किलो था आज 43 रुपये किलो है । मान्यवर, चावल 8 रुपये किलो था आज 7.50 में उपलब्ध हैं ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सुन लीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं मण्डी की बात कह रहा हूं दुकान की बात नहीं कह रहा हूं । यही नहीं रिफाइण्ड 52 रुपये था आज 43 रुपये है । चना 16 रुपये किलो था आज 15 रुपये है आटा 12 रुपये था आज 10.50 है आलू 15 रुपये था आज 1.50 और 2.00 रुपये है । प्याज 50 रुपये था आज 7 रुपये है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

लहसुन का भी बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर होगा तो बता देंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक-दो तो निभ जायें लेकिन जो लोग मर्यादा परम्पराओं में इतना विश्वास रखते हैं । मैं बोल रहा हूं मुझे पहले बोलने तो दें । वर्मा जी लहसुन की तरफ से बहुत व्यथित हैं । मैं केवल उन्हीं चीजों के भाव बता रहा था जो रोज के जीवन में आवश्यक हैं । मान्यवर, सुबाष जी ने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए क्या किया ? मान्यवर, 53 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे चयनित हैं आज उनको 3 रुपये किलो गेहूं दिया जा रहा है । मान्यवर, 4 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है ।

(विपक्ष के सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये व्यवधान न करिये । बात तो पूरी आ जाने दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

यह सारी चीजें मान्यवर, मैं जिनका जिक्र कर रहा था गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को चावल और गेहूं दे रहे हैं । दालों की बात रही तो उसके भाव भी मेरे पास हैं । अरहर की दाल 45 रुपये थी आज 31 रुपये में उपलब्ध है मण्डी में खुले आम फुटकर में । एक दौर ऐसा आया जब कुछ चीजों का भाव बढ़ा था यह दौर पूरे देश में आया था चीजों के भाव बढ़े थे उस दौर में इस प्रदेश की सरकार ने जो करके दिखाया वह गर्व के साथ कह सकते हैं जैसे ही महंगाई शुरू हुई यह आशंका व्यक्त की गयी कि ऐसी स्थिति में जमाखोर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं प्रदेश सरकार ने इसमें हिम्मत दिखायी । मान्यवर, 27,372 छापे मारे गये 11 करोड़ की सम्पत्ति जमाखोरों की जब्त की गयी 395 लोग जेलों में भेजे गये कुछ एन०एस०ए० में भेजे गये । 926 के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये यह सरकार

हिम्मत के साथ कार्यवाही करती है । यह आलू की बात करते हैं कि महंगा हुआ महंगे की बात पर एक प्रश्न के जवाब में मैंने बताया था कि उत्पादन कम हुआ । एक सरकार तो ऐसी आयी थी कि शीतगृहों के मालिकों को खुलेआम लूट की इजाजत दी गयी आज शीतगृहों में पहली बार 50 लाख मीट्रिक टन आलू रखने की बात कही गयी है । जहां तक मान्यवर, इस बात का प्रश्न है प्रदेश की समस्याओं का प्रश्न है तो प्रदेश सरकार समस्याओं के प्रति जागरूक है और इसका नतीजा कई बार आपने देखा है । यह सरकार आपके कुप्रचार के कारण विचलित होने वाली नहीं है । हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको हम निभायेंगे ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्यों एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद में इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है.....

(व्यवधान)

सरकार की नीतियों के विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन किया)

श्री कौकब हमीद–

यह सरकार किसानों के प्रति चिन्तित नहीं है इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 फरवरी, 1999 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयी हैं जिन्हें ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आपको भी बहिर्गमन करना है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी आलू के उत्पादन की कमी के बारे में कहा, मंत्री जी महा विद्वान हैं इन्होंने...

श्री अध्यक्ष–

धर्मज्ञ मिश्र जी आपकी नियम–56 में सूचना है आप बोल रहे हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । यह अनावश्यक है ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[xxx]

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–56 की सूचनायें ले रहा हूं । इसमें पहली सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की है । माननीय मिश्र जी आपकी नियम–56 में पहली सूचना है । लगता है कि किसी ने इसमें आपके फर्जी हस्ताक्षर करके यह सूचना दी है । आपको अपनी सूचना के विषय में कुछ कहना है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

नहीं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी अपनी सूचना के समर्थन में कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए अब मैं दूसरी सूचना जो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है, को ले रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना है । इसी लखनऊ में 16 फरवरी को नेशनल डिग्री कालेज का प्रांगण में बिलासपुरी महिला जिनकी संख्या लगभग 15-20 थी, वहां पर डेढ़ दो दर्जन हथियारबन्द गुण्डों ने वहां के पुरुषों पर हमला कर चौकीदार को बन्द करके सामूहिक रूप से बलात्कार किया । जब इस घटना की सूचना उस कालेज के प्रिंसिपल श्री एस०पी० सिंह ने कोतवाली हजरतगंज में लिखित रूप से दिया तो कोतवाली हजरतगंज के इंचार्ज ने उनकी सूचना ले ली और मोहर लगाकर वापस कर दी और यह कहा कि मेरे संज्ञान में आ गया है लेकिन उन्होंने एफ०आई०आर० लिखने का कष्ट नहीं किया और उस घटना की जांच तब होती है जब अगले दिन अखबार में यह न्यूज बनती है । यह बड़ा ही संवेदनशील विषय है । आज सामूहिक रूप से बलात्कार की घटनायें हो रही हैं । उन महिलाओं की जो मजदूरी के लिए पड़ाव डाले थीं उन कालेज का निर्माण कार्य कर रही थीं । उस दिन उस विद्यालय में वार्षिक उत्सव भी था और डेढ़-दो दर्जन शराबी वहां पर उनके साथ बलात्कार करते हैं । जो यह सरकार कहती है कि एफ०आई०आर० लिखने का आदेश दे रखा है तो यह उसके साथ सीधा-सीधा उपहास करती है । मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय को, अविलम्बनीय विषय पर सारे नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा कराने का मांग करता हूं ताकि जिन बिलासपुरी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ उन्हें न्याय मिल सके और दोषियों को सजा मिल सके ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसे ही मुझको यह सूचना मिली मैंने इसकी जानकारी करने का प्रयास किया । माननीय मौर्य जी विद्वान और वरिष्ठ सदस्य हैं और विषय को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं । यह पता भी नहीं चल पाता है कि पिच कहां से शुरू हुई और कहां पहुंच जाय । इस घटना के बारे में कोई भी सूचना थाने में प्राप्त नहीं हुई और न ही कोई रपट दर्ज है और न ही कोई प्रार्थना-पत्र की जानकारी हुई है । इस घटना को खुद गढ़कर बता दिया गया है ।

(हंसी)

थोड़ी गम्भीरता रखें । माननीय नेता बसपा जी यदि आपको बात की जानकारी न हो तो कम से कम सदन में न कहें । कृपया पहले घटना की जानकारी प्राप्त कर लिया करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यदि सदन में हम लोगों की आवश्यकता न हो तो हम लोग हमेशा के लिए सदन का परित्याग कर दें ।

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह गलत बात है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है नेशनल डिग्री कालेज में । मान्यवर, जिस गम्भीर मामले को हम कहना चाह रहे हैं उसको अव्यवहारिक और अमर्यादित व्यवहार जो प्रदर्शित है सत्ता पक्ष का उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए । इस सदन में [xxx]

श्री अध्यक्ष–

देखिये ऐसा है माननीय मौर्या जी कि माफिया शब्द का प्रयोग होता रहता है लेकिन सत्तापक्ष के [xxx] शब्द असंसदीय हैं तो आपने कह दिया है इस शब्द को निकाल देंगे । आपने एक सूचना दी तो सत्ता पक्ष थाने से हो तो जानकारी करेगा वहां कोई सूचना नहीं है और वहां कोई सूचना नहीं है तो उनकी ओर से उसके अनुसार उत्तर आयेगा । अगर आपके पास कोई प्रमाण है या आपके द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि में कोई बात है और थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसकी भी जांच कर लेंगे, या तो उस सूचना के आधार पर उत्तर देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मौर्या जी ने दूसरी बात कही जब संसदीय कार्य मंत्री जो जवाब दे रहे हैं तो सत्ता पक्ष के कुछ विधायकगण और मंत्रीगण इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा चाहे उधर से कहें या इधर से कहे अच्छी बात नहीं है । वैसे मैं देख रहा हूं कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहते हैं तो सत्तापक्ष की ओर से पीछे से टीका-टिप्पणी होती है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब उत्तर दिया करें, तब तो आप लोग शान्त रहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मौर्या जी को बायेत होकर कहना पड़ा...

श्री अध्यक्ष–

हम उनको दोषारोपित नहीं कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

लेकिन उधर से जो आक्रमण हो रहा है, निन्दनीय है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य खड़े न हों जिससे व्यवधान हो ।

(व्यवधान)

माननीय मौर्या जी, क्या ट्रिक हो रही है ? क्या बोलचाल से कार्यवाही हो रही है, उनकी टिप्पणियों से आप अपना ध्यान विचलित न करें ।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि) –

मान्यवर, वे इस तरह का आचरण कर रहे हैं, जो क्षोभ है वह मान्यवर, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

हास्य और व्यंग्य के रूप में ले रहे हैं, आप ध्यान विचलित न करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस संवेदनशील और शर्मनाक विषय पर सरकार को खेद व्यक्त करना चाहिए । वहां पर किस तरह से यह कहकर कि इसकी कोई सूचना थाने पर नहीं है अगर आप हमें समय देंगे तो हम थाने की वह कापी कल आपके कक्ष में या सदन में प्रस्तुत कर देंगे । जैसा कि मैंने कहा है कि इसकी एफ०आई०आर० नहीं लिखी गयी । मोहर लगाकर कागज वापस कर दिया कि यह बात संज्ञान में आ गयी है हम देख लेंगे ।

मान्यवर, वह कापी जिसमें थाने की मुहर है वह आज भी प्रधानाचार्य के यहां मौजूद है । मान्यवर, इतना गम्भीर मामला है, डेढ़-डेढ़ दर्जन 2–2 दर्जन सामूहिक बलात्कार है और इस मुद्दे पर माननीय मंत्री और विधायक गण जिस तरीके से हंसी कर रहे हैं उसके लिये मैं उन्हें किस विशेषण से विभूषित करूं, वह शब्द मेरे पास नहीं है ।

मान्यवर, यह बहुत ही शर्म की चीज है । अच्छा होता कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी यह कहते कि मैं इसको गम्भीरता से लेता हूं और कोई दोषी होगा तो दण्डित किया जायेगा लेकिन उन्होंने यह कुछ न कहकर सीधे-सीधे कह दिया कि इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है जबकि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रधानाचार्य ने लिखित सूचना दी है । एफ० आई० आर० लिखने से उन्होंने मना किया । मान्यवर जैसा कि सरकार की मंशा है सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा था कि किसी भी घटना की सात दिन के अन्दर कार्यवाही होगी और तुरन्त एफ० आई० आर० होगी । लेकिन मान्यवर, यहां एफ० आई० आर० ही नहीं लिखी जा रही है तो आगे की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार कोई रेपोर्ट इस घटना की नहीं हुई लेकिन मैंने अनुरोध किया है कि यदि आपके पास इस घटना की पुष्टि में कोई प्रमाण हो तो संसदीय कार्य-मंत्री जी को दे दीजिये, उसका शासन संज्ञान ले लेगा और उस पर आवश्यक कार्यवाही कर देगा । इस निर्देश के साथ मैं इसको निरस्त कर रहा हूं । तीसरी सूचना माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी जी की है, वह अनुपस्थित हैं । चौथी सूचना माननीय विनोद मणि जी की है ।

श्री विनोद मणि–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं । हमने सूचना दी थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में खास-तौर से महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, गोण्डा, बहराइच जिलों में 15 लाख की आबादी वाले इन किसानों की दशा अत्यन्त खराब है । मैं माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से और वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के इतने सालों बाद भी इन टांगिया किसानों को प्रदेश सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है और न ही भारत सरकार की किसी योजना का लाभ मिल पाता है इन्हें दूसरे दर्जे की नागरिकता मिली हुई है । मान्यवर, जब नारायण दत्त तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो नैनीताल में इन वनटांगिया किसानों को बसाने के लिये वनग्राम का दर्जा दिया था । मान्यवर, आज 15 लाख आबादी का वोट लेकर हम विधान सभा तक पहुंचते हैं यह हमारे मतदाता हैं उनके पीने के लिये पानी नहीं है शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके लिये कोई ट्यूबवेल नहीं है, बिजली नहीं है और प्रधान नहीं है लेकिन आजादी के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी, इन किसानों की हालत स्वतः मिलकर देख लें उनके बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं है और वन विभाग के लोग इन टांगिया किसानों को फर्जी तरीके से फंसाकर परेशान करते हैं । उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महामहिम गोरा जी, ने एक राजाज्ञा जारी किया था कि इन्हें बसाने के लिये वन विभाग कोई जमीन उपलब्ध कराये । वह शासनादेश मेरे पास है मैं माननीय मंत्री जी, को दे दूंगा लेकिन उसके तहत आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी को बताना चाहता हूं यह किसान हमारे मतदाता हैं और इनकी आबादी 15 लाख है ।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

और निवेदन करना है कि सभी को पेयजल, बिजली और राशन की व्यवस्था यह सरकार करती है, लेकिन इन टांगिया किसानों के लिये यह सारी व्यवस्थायें यह सरकार नहीं करती है, उनको इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है !

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री विनोद मणि–

और 1932 से यह गांव के रूप में रह रहे हैं । मान्यवर, मैं इनकी स्थिति को व्यक्त कर रहा हूं । मान्यवर, यह घर बना कर 4-5 पुश्तों से रह रहे हैं । वन विभाग की जो संपत्ति है, साखू और सागौन के जो पेड़ तैयार हैं, वह किसी सरकार की देन नहीं हैं, हमारी देन नहीं हैं बल्कि इन्हीं टांगिया किसानों की देन हैं, लेकिन इनको न तो बिजली की सुविधा दी जा रही है, न पानी की सुविधा दी जा रही है और न ही राशन की सुविधा दी जा रही है, इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है । जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति प्रदेश को दिया है, उनके बसाने की कोई योजना होनी चाहिये, जहां पर यह लोग रहते हैं उसको रेवेन्यू विलेजेज का दर्जा दिया जाये, जिससे यह लोग इन सुविधाओं से वंचित न रहें । आप इनका सर्वेक्षण करा लें और प्रदेश की तमाम योजनाओं का लाभ इन लोगों को भी दिया जाये ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी ने प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, इसके लिये मैं आभारी हूं । इस विषय में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं । मान्यवर, पातन पुनर्जनन हेतु टांगिया पद्धति का विकास 1919 से 1939 के बीच हुआ था, 1832 की जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह मैं नहीं जानता हूं । मान्यवर, टांगिया श्रमिकों को 5 वर्ष के लिये भूमि आवंटित की जाती थी और वह उस जमीन में वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में पेड़ लगाते थे, खाई खोद कर उसमें पेड़ लगाते थे और जगह बच जाती थी, उसमें वह खेती करते थे और जब वहां पर पेड़ लग जाते थे, तो वह दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वह इसी प्रकार से कार्य करते थे । कालान्तर में राजनीति का रुख बदला, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वन नीति बनायी और 1980 में एक कानून बनाया तथा इसी संबंध में उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया, इन तीनों के हिसाब से कोई भी वन भूमि वनेतर कार्यों के लिये नहीं दी जा सकती है । इसके अलावा कोई भी अतिक्रमित क्षेत्र को नियमित करने की इन कानूनों में व्यवस्था नहीं है । आपने कहा कि अतिक्रमित क्षेत्र जिस पर यह लोग बसे हैं, श्रमिक के रूप में उन्होंने काम किया है और जो अतिक्रमण कर रखा है उसे नियमित करने का नियम तो नहीं है लेकिन परिस्थितियों का आकलन करते हुए सरकार ने तय किया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति का निर्माण किया गया है, तीनों जिलों में, जिनके बारे में आपने कहा है, जो विचार करेगी कि उनको कहां बसाया जाए । यह आज की समस्या नहीं है, बल्कि पूर्व सरकारों की भी देन है क्योंकि समस्या का उन्होंने हल नहीं किया किन्तु हम उनकी समस्या को हल करने के लिये प्रयत्नशील हैं लेकिन आपका हमें इसमें सहयोग चाहिये . मान्यवर, माननीय सदस्य समिति की रिपोर्ट आने तक धैर्य रखें । इसलिये नियम 56 में यह नहीं आता है अतः कृपया आप उसे निरस्त करने का कष्ट करें ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं । मंत्री जी ने स्वीकार किया है उन्होंने पेड़ लगाये हैं और इस संबंध में एक कमेटी बना दी गयी है । मान्यवर, श्री बोरा जी जब यहां राज्यपाल थे तो उनके समय में एक कमेटी बनायी गयी थी तो तबसे कितने दिन बीत गये

हैं । इतने सालों में उस समिति की कोई रिपोर्ट यदि नहीं आयी है तो मेरा निवेदन है कि इसमें कोई समय सीमा निश्चित कर दें । इसके अलावा समिति में उस जिले के विधायकों को भी सम्मिलित कर दिया जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, श्री मणि जी से मैं बार-बार कह रहा हूं कि भविष्य में इस समस्या के अध्ययन के लिये हम वहां जायेंगे तो आप को भी बुला लेंगे । किन्तु मान्यवर, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे तत्काल हल किया जा सके । मेरा अनुरोध है कि संबंधित जिलों के सभी माननीय विधायक और सांसद तथा सभी दलों के नेता बैठकर इस संबंध में बात कर लेंगे लेकिन वहां से रिपोर्ट आ जाने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री विनोद मणि और माननीय मंत्री जी को ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए अस्वीकार करता हूं ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हाल ही में विधान सभा के सामने कताई मिल महासंघ के कर्मचारी धरना दे रहे थे । उनकी कतिपय मांगें थी । सरकार ने उनकी मांग पूरी करने के बजाय उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया और उनको डंडों से पिटवाया और थाने में ले जाकर कई घंटे महासंघ के अध्यक्ष बब्बन सिंह को घंटों थानों में बैठा रखा । मान्यवर, यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न इसलिये है कि उत्तर प्रदेश की कताई मिलों की स्थापना इसलिये की गयी थी कि एक तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले और दूसरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को सस्ते दाम पर धागा मिल सके जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ सके और उस उत्पादन से उत्तर प्रदेश और बाहर की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके । अभी हाल ही में एक्सपोर्ट काउंसिल ने दिल्ली में मीटिंग की और फैसला किया कि जो धागा कताई मिलों द्वारा बनता है उसका विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जायेगी जिसकी आज हमारे देश को बहुत अधिक आवश्यकता है । धागे का निर्यात बड़ी मात्रा में किया जा सकता है । मैं वर्मा जी की बातें सुन रहा था कि बड़ी संवेदनशील सरकार है, हर समस्या का निदान किया जायगा । लेकिन यह जो मामला है, मैंने पिछले विधान सभा सत्र में इसको उठाया था और माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि तत्काल मेजा मिल को चालू करवाया जाय और वहां के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाय । मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेजा कताई मिल को अध्यक्ष जी के निर्देश पर केवल 10 दिन चलाया गया और फिर बन्द कर दिया गया और वह मिल आज बन्द है । आज पूरे प्रदेश में बांदा, मेजा, झांसी, संडीला की मिलें पूर्णरूप से बन्द हैं । बलिया, मेरठ, मगहर, बहादुरगंज बन्द होने की कगार पर हैं । लगभग 40 हजार मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं । पर जब वह कर्मचारी विधान सभा के सामने मांगों को लेकर आते हैं तो उन पर लाठी डन्डे चलवाये जाते हैं । कताई मिल महासंघ ने एक प्रतिवेदन कई बार दिया है कि हमारी मांगों को सुनकर समस्याओं का निदान किया जाय और मिलें सुचारु रूप से चलायी जायं लेकिन माननीय वर्मा जी की सरकार ने आज तक मजदूरों को बुलाकर एक बार भी वार्ता नहीं की ! मैं मांग करता हूं कि सभी मिलों को तत्काल खोला जाय । आज 40 हजार मजदूरों के परिवारों को यदि जोड़ दिया जाय तो 3-4 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । मैं मांग करता हूं कि मिलों को चलाने के बारे में एक ट्राइपारईट, त्रिपक्षीय वार्ता की जाय जिसमें महासंघ के लोग, मैनेजमेंट के लोग, गवर्नमेंट के लोग हों । मान्यवर, इस विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो 10 दिनों में इस समस्या का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे और वह मिलें चलें । जबसे यह सरकार बनी है इस प्रदेश में एक पैसे का पूंजी निवेश नहीं हुआ है मिलें बन्द हो रही

हैं । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इस विधान सभा में घोषणा करें और जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको मानकर एक के अन्दर सभी मिलों को चालू किया जाय । ऐसी व्यवस्था सरकार करे । एक बात और देखने में आयी है कि जो पैसा सरकार देती है, जो मिल के प्रबन्धक हैं, सरकारी अफसर हैं उसका दुरुपयोग करते हैं । इसलिये एक ऐसी कमेटी बनायी जानी चाहिये जिससे उस पैसे का दुरुपयोग न हो और मिल भी मार्डनाईज कर दी जाये और आज की प्रतिस्पर्धा में वह मिलें चल सके । इसलिये जरूरी है कि ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाये, इस प्रदेश की खुशहाली के लिये बहबूदी के लिये इन मिलों को चलाना बहुत आवश्यक है । यह लोक महत्व का तात्कालिक मामला है इससे महत्वपूर्ण और कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर सरकार इन समस्याओं के निदान की घोषणा नहीं करती है तो कम से कम विधान सभा में इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा जरूर कराने का कष्ट करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कुंवर साहब ने विस्तार से कताई मिलों की समस्याओं के ऊपर चर्चा की । मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । इन समस्याओं के साथ-साथ सरकार पर कानून के पालन की जिम्मेदारी है । सरकार के अधीन जो चलने वाली मिलें हैं उनमें कानून का सरासर उल्लंघन हो रहा है । अभी कुंवर साहब ने बताया कि 6 कताई मिलें बन्द हैं और कुछ ऐसी हैं जो बन्द होने के कगार पर हैं । जो मिलें बन्द हैं, श्रम कानूनों के अनुसार उनके मजदूर जो हैं उनको गुजारा वेतन प्रतिमाह 7 से 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये लेकिन 6 मिलों में स्थिति यह है कि 3 महीने से लेकर एक वर्ष की अवधि से गुजारा भत्ता उन श्रमिकों को नहीं मिल रही है । बोनस जो देय है वह नहीं दिया जा रहा है और अगर सरकार यह बात कहने की हिम्मत करती है कि उन मिलों में लाभ नहीं है इसलिये उन कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम के एक केस में यह फैसला दिया था कि हम मजदूरों को "लिविंग वेज" दें । इतना वेतन जरूर दें कि वह सम्मानित ढंग से अपना जीवन जी सकें । मैं कहना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय कुंवर साहब ने रखे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के साथ जो श्रमिक कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, उसे बन्द करें । जो सरकार एक तरफ कह रही है कि बेरोजगारी दूर करने का काम करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करने की हमारी नीति है । समूह "ग" और एस० आर० वाई० और जे० आर० वाई० का हवाला देकर बेरोजगारी दूर करने की बात कही जा रही है । वहीं हजारों मजदूर बेकार हैं और लाखों लोग भुखमरी का सामना करते हैं तो सरकार की जो नीति है उसमें विरोधाभास है और सरकार की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन करें कि इन मिलों को नुकसान पहुंचाने के लिये कौन जिम्मेदार है । श्रमिक जिम्मेदार हैं, प्रबन्धक जिम्मेदार हैं या सरकार की नीतियां इसके लिये जिम्मेदार हैं । यह बात साफ तौर पर त्रिपक्षीय वार्ता के रूप में आय जाये । जो कारण आये उसका निदान भी हो सके । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से विचार करे और बन्द मिलों को चलाने का काम करे, उसकी नीति घोषित करे और जो बन्द होने के कगार पर हैं उनको बचाये, जो बाईवेल भी हैं । इस पर सरकार विचार करे । जो कुंवर साहब ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उस पर बल देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, निलम्बित होने के कारण इस सूचना पर दस्तखत नहीं कर सका था । मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह मिल है । इस पर एक मिनट का समय दे दें । रसड़ा कताई मिल की स्थिति यह है कि जो पावर कनेक्शन था वह एक महीने से ज्यादा समय से काट दिया गया है । मिल बन्द हो

जाएगी । यह अवश्यम्भावी है । यह सरकार पूरी तौर पर यह करना चाहती है कि इन मिलों और पब्लिक सेक्टर की अन्य संस्थाओं को एकमुश्त इनको सम्भालने के बजाय उनको बिगाड़ने की इस सरकार की मंशा है ऐसे जितने उपक्रम सरकार के हैं उनको एकमुश्त बेईमानी की राशि लेकर बेचा जा सके । इस साजिश के तहत सरकार इन मिलों, कताई मिलों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द कराना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसके अलावा चूंकि सरकार की नीयत ही संदेह में आ गई है इसलिये बिना चर्चा कराये इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है । इस बिन्दु को ग्राह्यता के साथ जोड़कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

जिस प्रकरण के बारे में कार्य स्थगन का प्रश्न उठाया गया है । कुछ मिले बन्द हैं कुछ बन्द होने के कगार पर हैं । इस समस्या का समाधान क्या हो ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है मिलें बन्द होती रहेंगी धरना प्रदर्शन होते रहेंगे, लाठी चार्ज होते रहेंगे । इस समस्या के समाधान के बारे में यह तय किया गया है कि लखनऊ के इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट है वह जितनी भी मिलें हैं उनके बारे में एक अध्ययन कर ले । दो श्रेणियां रखी गई हैं एक ऐसी श्रेणी जो मिलें किसी भी हालत में चालू नहीं हो सकती दूसरी श्रेणी की वह मिलें जिनको चलाया जा सकता है । उस अध्ययन के बाद सरकार निर्णय लेगी । जो मिलें वायबिल हैं उनको चलाया जा सकेगा बाकी को बन्द किया जाएगा । मजदूरों के बारे में जो प्रक्रिया निर्धारित है उनके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी । दो तीन बातें कही गई कि लाठी चार्ज हो गया थानों में बिठाकर रखा गया । सारे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जाएगा, मुख्य मार्गों को बाधित किया जाएगा, रुकावट पैदा की जाएगी तो शासन/प्रशासन को कुछ न कुछ करना पड़ेगा । आप किसी को चलने नहीं देंगे और अगर सरकार कुछ कार्यवाही नहीं करेगी तो आप कहेंगे सरकार रास्ता नहीं खुलवा रही है । सरकार ने कताई मिल के कर्मचारियों पर मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करके रास्ता खुलवाया । इस संवेदनशील मामले में चिंगारी लगाने का काम न किया जाए । इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के अध्ययन के बाद कार्यवाही की जायएगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मिलें चलें यह हम लोग भी चाहते हैं । चिंगारी हम नहीं लगा रहे हैं हम तो रोजी रोटी दिलवाना चाहते हैं । एक साल से मिल बन्द हैं । यह कितने दिन से अध्ययन कर रहे हैं । अध्ययन कब पूरा हो सकेगा । आप इस संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता करके मिलों को चलाने का प्रयास करें ।

श्री हुकुम सिंह–

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के अध्ययन के बाद जो मिलें चलाने के लिये वायबिल हैं उनको चलाया जाएगा बाकी के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी । त्रिपक्षीय वार्ता तो चलती रहती है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि लोग प्रदर्शन कर रहे हों और रास्ता बन्द कर रहे हों तो वह रास्ता खुलवायें और जनता की असुविधा को सुविधा में बदलने

का काम करें । वहीं पर मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की यह भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वे हजारों मजदूर जो एक साल से भूखे मर रहे हैं, आखिर उन्हें यह कदम उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह आवश्यकता उनको न पड़े, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

सरकार पूर्णतया संवेदनशील है । जहां तक मजदूरों के हित की बात है, जितनी संवेदनशील यह सरकार उनके हितों के प्रति है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी, श्री अम्बरीष कुमार जी तथा श्री अम्बिका चौधरी जी को ग्राह्यता पर सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुये निरस्त करता हूं । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

*नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे 1999-2000 के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह बजट प्रदेश की 16 करोड़ जनता के हित के लिये नहीं है, कुछ चन्द लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है और जो आंकड़ों का एक बहुत बड़ा पुलिन्दा बना के रखा गया है वह केवल प्रदेश की जनता को सब्जबाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं है । बजट का मुख्य उद्देश्य यह हुआ करता है कि किस तरह से पैसा, कहां से पैसा लाकर के हम बायीं तरफ अंकित करेंगे और किस-किस मद में खर्च करेंगे दाहिनी तरफ रखेंगे श्रीमन्, मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो बजट यह प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई कर नहीं लगाया गया, इसे कर-रहित बजट की संज्ञा दी गई । इसके पहले भी जो आपने बजट प्रस्तुत किया था वह भी कर रहित था और बड़े सब्जबाग दिखाये । तमाम भाषाजाल में बांधा गया था लेकिन मैंने यह कहा था कि यह बजट प्रदेश के आम नागरिक के लिये हितकर नहीं है और विकास की दर जो केन्द्र की 6 प्रतिशत है, मैंने पीछे भी कहा था साधारण चर्चा में, बजट में दो परसेन्ट भी यह दर प्राप्त होने वाली नहीं है और वही हुआ भी । जो साल के अन्त में आंकड़े प्रस्तुत हुए, यह भी कहा गया और प्रदर्शित भी किया गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण विकास की दर 2 प्रतिशत की लगभग रही है और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में विकास दर की ओर कोई इशारा भी नहीं किया गया कि कितना प्रतिशत विकास दर इस वर्ष प्राप्त होगा । क्या स्थिति रहेगी इसका कहीं कोई माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख नहीं किया है । मैं ऐसा समझता हूं कि चूंकि विकास दर बढ़ने की बजाय ह्रासोन्मुखी है । पीछे की तरफ हम जा रहे हैं । प्रदेश पीछे की तरफ जा रहा है इसी वजह से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और यह पीछे का बजट परिलक्षित भी हो गया । श्रीमन्, वैसे भी इस प्रदेश पर एक बहुत बड़ा ऋण है और उस ऋण का ब्याज और देनदारियां तो दूर की बात है इस सरकार ने इस बजट में बायीं तरफ जो रकम आमदनी की दिखाई है उसमें कहा कि 1400 करोड़ रुपये हम ज्यादा ऋण लेकर और थोड़ा सा नहीं श्रीमन् इस ऋण को और अग्रिम लेकर हम लगभग 400 करोड़ रुपये और ऋण लेंगे, यह संकेत किया गया है और श्रीमन् केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया गया है उसका जो ऋण है उसे वह 3 साल के लिये स्थगित कर दे ।

† दिनांक 19 फरवरी, 1999 से आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तीन साल वसूले नहीं और अगर 3 साल किसी तरीके से केन्द्र सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है, वह वसूलना बन्द नहीं करेगी तो । वर्ष का ही 4 हजार करोड़ रुपया ऋण वसूली स्थगित कर दी जाय क्योंकि यह सरकार दीवालिया है, इसकी आर्थिक स्थिति अति दयनीय है और जर्जर है । श्रीमन, चारों तरफ पहले ही कर वसूलने के बहुत से उपाय कर रखे हैं । किसान वैसे भी करों से पूरी तरह से प्रभावित है । तमाम कर उसे देने पड़ते हैं । आज कहेंगे कि किसान से कोई कर नहीं लिया जा रहा है । श्रीमन्, जो मण्डी शुल्क लिया जाता है किसान की उपज पर । जैसे हम धान को ले लें । 2 प्रतिशत तो धान पर लेंगे । क्या किसी किसान से हम नहीं ले रहे हैं । हम ले रहे हैं खरीददार से और जब धान खरीद ली खरीददार ने । धान देच दिया राइस मिल वाले को और राइस मिल वाले ने राइस तैयार किया तो 2 प्रतिशत चावल पर भी तो इस तरीके से यह 4 प्रतिशत कोई राइस मिल वाला, कोई पक्का आढ़तिया क्या अपनी जेब से देगा । पहले ही वह खरीददारी जब किसान से करेगा तो इतना लैस करके किसान की खरीददारी करे और किसान से इन डायरेक्ट तरीके से वह कर पहले ही वसूल लिया जाता है । श्रीमन् इसी तरह चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो टैक्स पहले से लिया जाता है इस पर भी विकास के नाम पर आधा परसेन्ट पहले तय कर रखा है अब ढाई परसेन्ट देना पड़ेगा । किसानों को यह अप्रत्यक्ष रूप से देना पड़ेगा । कर की नीति यह होनी चाहिये जिस पर अधिक है उससे लेकर जिस पर नहीं है उसके लिये उस टैक्स का उपयोग करना चाहिये जैसे टैक्स की वसूली पूंजीपतियों से की तो आम नागरिक के लिये सड़क, सिंचाई शिक्षा आदि मदों में खर्चा करना चाहिये ऐसी स्थिति होनी चाहिये जैसे सूर्य अपनी किरणों से समुद्र से पर्याप्त जल लेकर तमाम पृथ्वी पर गिरा देता है और सारे विश्व के लोगों को जीवनदान देता है यह सारे उद्देश्य सरकार के मुखिया के होने चाहिये इस उद्देश्य में यह सरकार पूरी तरह विफल रही है । किसानों और गरीबों के शोषण के आधार पर इस बजट की रूप लेखा तैयार की गई है उन्हीं का शोषण किया गया है यहीं पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं आंकड़े तो दिये हैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं जो बजट प्रस्तुत किया है उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे इस चालू वर्ष में वर्ष 1999-2000 में प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का भला होने वाला नहीं है । विकास क्यों अवरुद्ध हो गया यह मैं जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं उससे विदित हो जाएगा । वर्ष 1998-1999 में तीस हजार 20.10 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है 37.294.78 करोड़ रुपये का है । अब कहना मैं यह चाहता हूं बजट में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह एक हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा नहीं है व्यय के लिये तमाम सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की जो वेतन वृद्धियां हैं वे सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, तमाम टी० ए०, डी० ए० को बढ़ जाता है, विकास कार्यों में हर साल दस प्रतिशत महंगाई आड़े आ जाती है । जब किसी विकास का कार्य एक साल रुक जाता है तो दस प्रतिशत और मांग करके उस विकास कार्य को पूरा करने के लिये मांग की जाती है और इसलिये मांग की जाती है जो एक साल पहले धनराशि निर्गत की गयी है, महंगाई बढ़ने की वजह से वह कम पड़ गयी है । श्रीमन्, यहां पर जब एक दो प्रतिशत पिछले बजट से इस बजट में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है तो कैसे सड़क बनेगी, कैसी शिक्षा में सुधार होगा, कैसे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा होगा, कैसे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, कैसे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा यह सारी की सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं जिसे मैं बाद में विस्तार से सदन में रखूंगा । श्रीमन्, अब मैं बजट पर आ रहा हूं । आंकड़ों के अनुसार कुल घाटा जो आपने दिखाया है वह 772.83 करोड़ का है । श्रीमन्, यह घाटा पिछले साल और इस साल का घाटा जोड़कर है । इस साल का 378.98 करोड़ का है । आज जो घाटा सचमुच है वह ऋणों से मिलने वाला पैसा दिखाया है, जो राजस्व वसूली से दिखाया है और चौदह सौ करोड़ रुपया जो अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये कहा गया है जो आने वाला नहीं है उसे जोड़ दिया है 3080.28 करोड़ रुपया लोक लेखा से लेना दिखा दिया है बजट के घाटे को पूरा करने के लिये । श्रीमन् इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी नेता विरोधी दल थे उस समय आपने आपत्ति की थी । आपने भाषण में कहा था लोक लेखा से धन लेकर बजट की पूर्ति करना जो

दिखाया गया है वह सही नहीं है, गलत है। यह धन जो है यह आमदनी का नहीं है और सचमुच वह धन जो होता है लोक लेखा में सिक्योरिटी और प्राविडेन्ट फण्ड जो तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का जमा हुआ धन होता है। वैसे भी सरकार ने इतना प्राविडेंट फण्ड का पैसा खर्च कर लिया है कि लोगों को शादी ब्याह, बीमारी आदि के लिये जब उन्होंने मांग की, तो पैसा नहीं दिया गया। कोई न कोई ओब्जेक्शन लगाकर टालते रहे और धन उपलब्ध नहीं कराया गया। श्रीमन्, इस तरह से प्रदेश के सरकारी और अर्द्धसरकारी काम करने वाले लोगों का बुरी तरह से शोषण किया गया, परेशान किया गया। और एक बात और नयी कर दी गयी कहते हैं कि जो भी बढ़ा हुआ वेतन होगा, बोनस होगा वह सारा पैसा प्राविडेंट फण्ड में डाल दिया जायेगा। यह सही बात है कि सरकार के पास फंड नहीं है और यह दिवालिया हो गयी है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिये कि वह प्रदेश की मुखिया है, हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश के मुखिया है और सौभाग्य से वित्त मंत्री भी हैं उनको सोचना चाहिये कि कौन से ऐसे संसाधन जुटाये कि जो प्राविडेंट फंड का पैसा है, जो लोक लेखा का पैसा है वह वापस हो जाय। और जिस चीज का आप स्वयं विरोध करें तो फिर उस चीज का प्रयोग करना नैतिक दृष्टि से किंचित मात्र भी ठीक नहीं था और न करना चाहिये था। श्रीमन् माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में बार-बार कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की बात कही है आधे से ज्यादा भाषण इसी पर है और तमाम राग अलापा गया है। श्रीमन्, यह जो सारा इसमें उल्लेख किया गया है उसकी कलई खुल जाती है जब आंकड़े आपके सामने रखूंगा। प्रदेश में दो हत्याओं का रोज का औसत है। राजधानी में बैंक डकैती, अपहरण, हत्यायें, बलात्कार चोरियों की घटनाओं का एक तांता लग गया, और जो अपराधी हैं वह चुनौती देकर हत्या करते हैं अपराध करते हैं। राजभवन में आई० पी० एस० अधिकारियों की दावत हो रही है, अपराधी उस दावत को चुनौती देते हैं कि हम यहां पर अधिकारी की हत्या करेंगे देखते हैं क्या बिगाड़ लोगे। मोटर साइकिल पर आते हैं और उधर दावत हो रही है, इधर सरेआम जिला जेल अधीक्षक की हत्या करते हैं। आज तक उसमें कोई सही मुल्जिम पकड़कर सामने नहीं आया है। यही नहीं इस तरीके से सारे प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ के नाम पर हत्यायें हो रही हैं जिसकी भी कलई खुल गई। भदोही में चार निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, और कहा गया कि यह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, पेट्रोल पम्प लूटने जा रहा था। वह कक्षा 11 का छात्र था और ओम प्रकाश नाम था वह गिड़गिड़ाता व रोता रहा कि वह कक्षा 11 का छात्र है उसके पास स्कूल का परिचय पत्र है लेकिन पुलिस वाले माने नहीं और कहा कि तुम कुख्यात अपराधी धनंजय हो। उसके नाम चार निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कानून व्यवस्था की इस बिगड़ी स्थिति पर तो इस सरकार के मुखिया को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ही दे देना चाहिये। जब इसमें धनंजय की हाजिरी की बात आती है तो कहा जाता है कि मारा गया धनंजय। जब वह हाजिर हो जाता है तो बात आती है कि धनंजय नहीं मारा गया बल्कि चार निर्दोष लोग मारे गये, तभी तो कहते नहीं कि मारा गया, वह हाजिर हो जाता है और उसकी जांच हो जाती है। तो फिर पुलिस कर्मी उसमें फंसते हैं और पर्दाफाश होता है। तो इस सरकार को और डी०जी०पी० को जो बड़ा राग अलाप रहे थे कि धनंजय मारा गया उनको यह घोषणा करनी चाहिये थी कि हम अपने पद से त्याग-पत्र दे रहे हैं। इटावा में रामकेशी की हत्या कर दी पुलिस ने। उसके दो मासूम बच्चे उसकी साड़ी पकड़कर खीचते रहे परन्तु उनको दूर फेंक दिया गया और सौ गज की दूरी पर पचासों गोलिया चलाकर उसके शरीर को छलनी कर दिया और जब सूचना आई तो कहा गया कि कुख्यात डकैत लवली पाण्डे मारी गई वह तो वहां हमारे सांसद हमारे पार्टी के अध्यक्ष सब लोगों ने लाश को उठने नहीं दिया नहीं तो उस लाश को गायब कर देते और उसको गायब करके लवली पाण्डे की हत्या दिखा दी जाती और होता यह कि वह लवली पाण्डे हत्या डकैती पकड़ करती रहती और होता यह कि वह तो मारी गई दूसरे लोगों का नाम होता। इसी तरह से फिरोजाबाद में मैं मौके पर गया था मैंने सारी जांच की वहां पुलिस दबिश देती है लोग भागते हैं डर की वजह से और पुलिस पकड़कर एक मुसलमान नौजवान ताली को और एक तालाब के किनारे उसे

पकड़कर बन्दूक के कुन्दों से इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है और गांव के लोग कहते रहे हैं कि यह बदमाश नहीं, गरीब आदमी है मछलीमार कर अपना पालन पोषण करता है, कल ही मछली बेंचकर आया है लेकिन पुलिस नहीं छोड़ती है और वह थानेदार एक यह हत्या ही नहीं इसके पहले भी एक और दो हत्या कर चुका है और उसको बड़ी शाबाशी दी जा रही है। जब पोस्टमार्टम होता है तो कह दिया जाता है कि उसकी वह स्वाभाविक मृत्यु है। श्रीमन् इस तरफ से पकड़कर मारा जाये, सैकड़ों लोग देखें और स्वाभाविक मृत्यु दिखाकर पुलिस के लोगों का मनोबल ऊंचा करना इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि यह सरकार जानबूझकर इस प्रदेश के बेगुनाह लोगों को पकड़-पकड़कर उनको मार कर लोगों में भय और आतंक का एक वातावरण पैदा करना चाहती है और यह चाहती है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक आवाज भी न निकाले और आवाज किसी ने निकाली तो निश्चित तरीके से उसकी यही हश्र होगा। तो जब प्रजातंत्र में इस तरीके से तानाशाही का बोल-बाला होगा निर्मम लोगों की हत्या होगी तो फिर वह प्रजातंत्र तो है नहीं वह तो एक तंत्र शासन में हो सकता है। प्रजातंत्र में न तो ऐसा कभी हुआ है और न होने की आशंका है। यह सरकार ऐसी है जो इस तरह का कुकृत्य कर रही है। जबकि बार-बार यह सरकार कहती है कि कानून का राज्य होगा भयमुक्त समाज होगा आज भला आदमी जो अपने काम पर सबेरे निकलता है और शाम को आता है वह तो बेचारा भयभीत है। कब कहां क्या स्थिति पैदा हो जाये, किसी को पता नहीं है। लोग रात में सोते समय भयमुक्त रहते हैं, चौराहों पर लड़के और लड़कियां भयभीत रहती हैं, बैंकों में लोग सुरक्षित नहीं है और इस सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि भयमुक्त समाज होगा। मान्यवर, कहा तो यह जा रहा है लेकिन फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्यायें की जा रही हैं। अभी मेरठ में 4-5 लड़के जा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया और उन्हे मार दिया गया, वह अपनी ससुराल जा रहे थे, तो यह स्थिति है। 5-6 रिपोर्टें किसी के नाम लिख दी गईं और उनसे कहा जाने लगा कि आप टाप 5 में आ गये हैं और उनको दबाने का काम किया जा रहा है, यह सरकार निर्दोष लोगों को दबाने में मशगूल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मैं एक सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मुझे उपलब्ध हुई है, उसको देखने से आप को मालूम हो जायेगा कि इनकी कानून व्यवस्था कैसी है :–

डकैती में 26.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लूट में 37.35 हत्या में 8.26 बलवा मे 49.91 फिरौती में 3.16 दहेज में 26.71 बलात्कार मे 17.32 शान्ति भंग में 25.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से चोरी और छोटी-छोटी घटनाओं की रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है। आज कोई भी व्यक्ति कहीं पर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, वह बुरी तरह से भयभीत है और आशा करता है कि कैसे इस सरकार से छुटकारा मिले और शांतिमय ढंग से जीवन व्यतीत कर सकें। यह सरकार कानून व्यवस्था को बहुत रागा अलापती है।

यह सरकार कहती है कि इस साल जितना रुपया बाढ़ में दिया गया है, उतना धन पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है। मानते हैं कि धन ज्यादा दिया गया है, लेकिन आप पिछले वर्षों से इस वर्ष की बाढ़ की तुलना भी तो कर लो। अगर आप तुलना करें तो पता चलेगा कि 5 प्रतिशत भी ज्यादा धन नहीं दिया गया है।

इस वर्ष जो बाढ़ आई उसका विस्तार भी बहुत अधिक था और जिससे 56 जिलों में तो पूरी तरह से बाढ़ आयी थी और शेष जिलों में आंशिक थी जिससे प्रदेश की जनता बुरी तरह प्रभावित थी। लेकिन मान्यवर, बाढ़ के नाम पर न के बराबर सहायता दी गई। आप देखें तो पशुओं को भूसा जो बांटा गया वह डेढ़ किलो प्रति पशु के हिसाब से दिया गया। इसी से आप देखें कि सहायता का विवरण कैसे हुआ और कितनी सहायता का वितरण हुआ ?

श्रीमन् सरकार कहती है कि हमने बीजों का वितरण 25 प्रतिशत छूट पर किया। इसलिये जब मुख्य मंत्री जी अपना भाषण करें तो इस संबंध में भी बतायेंगे कि बीज वापस कितना कर लिया गया ? श्रीमन् मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीज उस समय भेजा गया जब किसान कर्ज के लिये लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था जिससे उस उंचे ब्याज दरों पर ऋण दिया गया जिससे उसे अपने जेवर और पशुओं को गिरवी रखना पड़ा। मान्यवर, सरकार ने बीज उस समय भेजा और बांटा जब उसे जरूरत नहीं थी जिससे तिलहन, दलहन और गेहूं के बीज जो बांटे गये वह किसान के खाने के काम में आये और बोने के काम में नहीं आये। इस प्रकार सरकार की जो नीति है वह ठीक नहीं है। मान्यवर, बजट में कहा जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं होने दी गई और हमारे पास जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति कर दी गई। मैं जानना चाहता हू कि वह पूर्ति कब की गई ? मान्यवर, उन्होंने पूर्ति जनवरी में किया जबकि 15 दिसम्बर तक रवी फसल की बुवाई हो जाती है। इसी तरह खाद के संबंध में हमने जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं उसके अनुसार 30 नवम्बर, तक लक्ष्य की आधी खाद भी प्रदेश के किसानों को उपलब्ध नहीं थी इसलिये बिना खाद के किसानों ने गेहूं बोया और बाजार से खाद खरीदा जो उसे नकली दी गई जिससे किसान की खेती बर्बाद हो गई। इसका कारण यह था कि खाद मालिकों ने खाद रिलीज नहीं किया क्योंकि उसे जो सब्सिडी मिलती थी वह समय पर नहीं दी गई। इसलिये खाद मालिकों को जब सब्सिडी नहीं मिली तो वह किसानों को असली खाद क्यों देने लगे ? मान्यवर, इस संबंध में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को पहले ही प्रबन्ध करना चाहिये था कि कब कौन चीज बोई जायेगी और उसके लिये कब-कब क्या आवश्यकता होगी लेकिन जब सरकार में बैठे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है तो फिर इन्हें सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है।

मेरा आरोप है कि उस पक्ष में बैठे हुये बहुत से लोग जानते हैं कि आज किसान बरबाद हो रहा है, लुट रहा है बजट में कोरे आंकड़े दिये गये है, कुछ मिनिस्टर भी हैं और एम०एल०एज० भी हैं वह सब हकीकत को महसूस करते हैं लेकिन अपनी बात कहने में मजबूर हैं क्योंकि अगर कहेंगे तो छुट्टी हो जायेगी, डांट पड़ेंगी तो भय की वजह से कहते नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चहता हूं कि कुछ लोग जो बहुत बड़े मंत्री हैं वह जानते ही नहीं हैं कि गेहूं कब बोया जाता है और तिलहन तथा दलहन कब बोया जाता है। उनको जानकारी ही नहीं है इस वजह से इस प्रदेश में पैदावार जनसंख्या के अनुपात में दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात से पैदावार नहीं बढ़ रही है इसका परिणाम सारे प्रदेश को भोगना पड़ेगा और इसका परिणाम गंभीर होगा और प्रदेश में अकाल पड़ेगा और लाखों करोड़ों लोग भूख से मरेंगे और स्थिति काबू के बाहर हो जायेगी और फिर रोने से कोई काम नहीं होगा। जिस समय खाद नहीं थी उस समय सरकार ने कहा कि अधिकारियों की गलती है। मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दे डाला कि अधिकारियों की गलती है। बाढ़ सहायता वितरण में कहा गया कि केन्द्र से सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन प्रधान मंत्री डांटते हैं कि सहायता मांगी ही नहीं गयी है। तब कहते हैं कि कागज हमारे सामने नहीं आया। इसके बाद पौने 2 अरब सहायता की मांग की जबकि अधिकारी 5 अरब सहायता की मांग करते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री 2 अरब की सहायता की मांग करते हैं। जब मांग ही नहीं करते हैं तो सहायता मिलेगी कहां से। तो श्रीमन् मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा यह सरकार जन विरोधी है, किसान, गरीबों, मजदूरों, छोटे उद्यमियों, व्यापारियों के हितों की विरोधी है केवल यह सरकार पूंजीपतियों का हित करने वाली है। श्रीमन् बार-बार यह कहा गया कि हम गरीबों को रोजगार देंगे, सड़कों का निर्माण और नालों का निर्माण करायेंगे और पहले से ज्यादा रोजगार दिवस सृजित करने जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो मस्टर रोल पर काम हो रहे हैं उसमें श्रमिकों के फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और भा०ज०पा० के कार्यकर्ता और नेता इतना कमीशन ले रहे हैं कि काम नहीं के बराबर हो रहा है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

और उदाहरण देकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लें । हमारे जनबसपा के चौधरी नरेन्द्र सिंह जी, दिवाकर विक्रम सिंह जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी मौके पर चले जायं और अगर झूठ निकले तो मेरे लिये जो सजा चाहे, मैं उसको भुगतने के लिये तैयार हूं । फैजुल्लाहपुर पूरे ठाकुरों का गांव है, उसमें बहुत से लोग सर्विस में हैं, लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क कैसे मंजूर करवाया, यह जांच में मालूम हो जायेगा । ब्लाक अहिरवा जनपद औरैया का मामला है । 3 करोड़ में मिट्टी का काम स्वीकृत हुआ । उनको 12 परसेंट पहले देना पढ़ा सर्विस में थे इसलिये लोगों ने चन्दा करके दे दिया । इसके बाद काम किया 22 दिन । 10 दिन का पैसा मिल गया और शेष 12 दिन का पैसा 70 हजार का ड्राफ्ट बना और अधिकारी उसे भुनाने के लिये चला तो वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव भी लड़े थे उन्होंने ड्राफ्ट छीन लिया और कहा कि 20 हजार रुपया हमारा है इसलिये जब तक आप 20 हजार रुपया नहीं देंगे यह ड्राफ्ट नही भुनेगा । मान्यवर, लिखित शिकायत आपकी पटल पर भी भेज दूंगा विभाग को शिकायत लिखकर भेज दिया है । आज इस उलझन में ड्राफ्ट पड़ा हुआ है कि कमीशन 20 हजार नेता जी को चाहिये । बी०डी०ओ० ने स्वयं अपने हाथ से लिखा हुआ है कि इतना परसेंट फलां, इतना फलां को तथा 28 प्रतिशत हमें चाहिये । मैंने तीन आदमियों के लिये बता दिया जो सजा ये तीन आदमी कर देंगे मैं यह सदन में घोषणा करता हूं उसे भोगने के लिये तैयार हूं । फैजुल्लाहपुर में हमारे समर्थक भी नहीं हैं । कहीं दो-चार प्रतिशत भले हों शेष भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं । श्रीमन् इस तरह से लूट हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है । बार-बार बजट में आ रहा है कि गड्ढामुक्त सड़क ? कमीशनखोरों ने पता नहीं कितनी राशि कैसे-कैसे हड़प ली, सड़क गड्ढामुक्त नहीं हुई, लेकिन लोग गरीबीमुक्त हुये । पवर्दा निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज जहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, आप उसी को ले ले । तिर्वा से लेकर इन्दरगढ़ तक सड़क की जांच करा लीजियेगा । अगर असत्य निकले, उस पर बसें चलती हैं, टैम्पो चलते हैं, रोज पन्चर होती हैं । कमानी टूटती है, लोग रोज परेशान होते हैं, इसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते । आप इससे समझ सकते हैं कि गड्ढामुक्त हुआ या गड्ढायुक्त ? वहीं थाना भी है, बगल में ब्लाक भी है । इन्दरगढ़ से छिबरामऊ की बात ले लीजिये । यह अपने क्षेत्र की बात नहीं बता रहा हूं । भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्हीं के क्षेत्र की बात बता रहा हूं । वह कहते नहीं हैं, अगर कह दें तो डांट पड़ जायेगी ।

इस तरह से दबाकर कब तक रखा जायेगा । कब तक जनता को गुमराह किया जायेगा यह नितान्त दुख की बात है हम यहां पर यह भी कह देना चाहते हैं कि पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें मात्र 2-3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । उसी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ।

अस्पतालों में छोटे अस्पतालों को छोड़ दें मरीज जाता है मरीज को अगर चोट लगी है तो उससे कहा जायेगा कि पहले रूई ले आओ तब पट्टी बांधी जायेगी । क्योंकि अस्पताल में रुई नहीं है । इस सरकार को एक पल भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है । जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनका जायजा लिया जाय दवायें नहीं हैं, वहां मरीज जाता है हम लोगों से शिकायत करता है आप लोगों से भी शिकायत करता होगा लेकिन आप लोग कहते नहीं आत्मा को दबाकर कब तक बैठे रहेंगे ? जो अधूरे अस्पताल पड़े हुये हैं न तो उनको पूरा किया जा रहा है न ही मरम्मत हो रही है । अस्पतालों में डाक्टर नही हैं हमारे वित्त मंत्री जी इस पर अपनी सूचना दे देंगे । उनकी महान कृपा होगी । इस प्रदेश में कितने अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नर्सों और कर्मचारी नहीं हैं जब आंकड़े आयेंगे तो उस समय हमारे पास जो आंकड़े हैं उससे मेल करेंगे । पशुधन विकास के लिये तमाम कहा गया पशुधन विकास कैसे होगा जब पशुओं के अस्पताल नहीं होंगे उनमें दवायें नहीं होंगी तो पशुओं के असामयिक मृत्यु होगी । पशुओं की दवायें ऐसी होती हैं कि अगर पशुओं का ठीक से उपचार किया जाय तो 80-90 प्रतिशत पशु बच जाते हैं लेकिन अस्पतालों में दवा

नहीं है । डाक्टर कहते हैं कि दवा ले आओ तो इलाज करेंगे । तो बेचारे कास्तकार मुश्किल से गाय, बैल, बकरी खरीद पाता है हजार दो हजार की दवा कैसे खरीद पायेंगे ? जो खरीद कर देते हैं उनके जानवर बच जाते हैं बाकी जानवर मर जाते हैं । जानवरों की मौत अत्यधिक हो रही है । जो अस्पताल बनकर तैयार हैं हमारी सरकार मुलायम सिंह की सरकार ने प्रदेश में अनेक अस्पताल बनाकर खड़े किये थे उनमें 80-90 प्रतिशत काम हो गया था । कहीं दरवाजा लगने के लिये रह गये कहीं पुताई रह गई, उनको पूरा कर डाक्टर नियुक्त नहीं किये गये जिससे जनता का जो धन उसमें लगा हुआ है उसका लाभ नहीं मिल रहा है । मेरी यह मांग है कि चाहे पुरुष अस्पताल हों या पशु अस्पताल हों चाहे पशु अस्पताल हों, जहां पर भी सरकार का 50 प्रतिशत से ऊपर खर्च हो चुका है, भले ही सरकार दिवालिया हो गई हो, अन्य मदों में कटौती करके इन अस्पतालों को पूरा कराया जाय और वहां पर डाक्टर भेजे जायं, जिससे कि लगा हुआ धन जो जनता का धन है, उसका सदुपयोग जनता के लिये किया जा सके और जनता को उससे लाभ हो । मान्यवर, विकास की किरण का तमाम उल्लेख हुआ है । इस बजट भाषण में मैंने आपसे अनुरोध करते हुए और अवगत कराते हुए कहना चाहता हूं कि कृषि का विकास तभी होगा जब सिंचाई के साधन बढ़ायें जांय, खाद समय पर उपलब्ध करायी जाय, बीज समय पर उपलब्ध करायी जाय, उनके लिये अच्छे किस्म के बैल और खाद की व्यवस्था की जाय । वह तो कुछ है नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उसकी तरफ से सरकार पूरी तरह से उदासीन है । अब अगर इस सरकार ने दलहन और तिलहन तथा जायज फसलों के उत्पादन के लिये सिंचाई की व्यवस्था का प्राविधान किया होता तो हम लोग इनको महान प्रसंशा करते या फिर इन्होंने इसके लिये कोई अतिरिक्त ऋण लिया होता तो हम इसके लिये इनकी प्रशंसा करते और इसलिये भी प्रशंसा करते कि यह धन लगा हुआ है लेकिन इस सरकार ने पूंजीगत व्यय न के बराबर खर्च करने के लिये प्राविधान किया है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । बजट पर सामान्य चर्चा में जब भी माननीय नेता विरोधी दल बोलते रहे, इस सदन की जो परम्परा रही है, माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के दौरान नेता सदन, हालांकि सामान्यतः दर्शक दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लिया जाता है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इन दीर्घाओं में सभी विभागों के, महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव आदि राज्यपाल दीर्घा में उपस्थित रहते हैं और माननीय नेता सदन भी पूरे भाषण के दौरान रहते रहे हैं । आज आगे की दोनों कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं । इन परम्पराओं को जितना नष्ट करने का काम और इसकी मर्यादा को गिराने का काम किया गया है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और यह एक निन्दनीय कदम है, यह मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं ।

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को माननीय नेता सदन संज्ञान लेकर सुन रहे थे । मगर यह एक इत्तिफाक है कि साढ़े चार बजे माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जी के साथ पहले से समय तय हुआ था, इस नाते वह चले गये और वह तुरन्त आने वाले भी हैं । माननीय नेता विरोधी दल जी की बातों का संज्ञान लिया जा रहा है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इसके कोई मायने नहीं होते । यहीं तय होता है और यहीं का माना जाता है । किसके साथ तय हुआ था, इसके मायने कुछ नहीं होता । कोई देखने वाला नहीं है, कोई परवाह ही न करे तो यह बड़े खेद की बात है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बता दिया । मान्यवर, उन्होंने क्या आपको सूचित किया है कि मुख्य न्यायधीश से मिलने जा रहे हैं ? इसलिये यहां पर उपस्थित नहीं रह सकेंगे । मान्यवर, यह तो एक परम्परा है कि अगर नेता सदन.....

श्री रमापति शास्त्री–

मुझसे कह कर गये हैं । मैं सदन को सूचित कर रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपसे कह कर गये हैं । सदन आप चला रहे हैं । अधिष्ठाता जी आप हैं । उन्हें कदाचित जाना ही था किसी आवश्यक कार्य से, तो आपको सूचित करके जाते । स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमसे कह कर चले गये । क्या सदन इन्हीं की जिम्मेदारी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सदन को सूचित कर दूंगा ऐसा कहकर गये थे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह परम्परा को नष्ट कर रहे हैं मान्यवर, सत्ता पक्ष में मंत्रियों की सीटों को देख लीजिये । 100 मंत्री हैं और अधिकांश नदारद हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन नदारद हैं । हुकुम सिंह जी, आप तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं क्या ऐसे सदन चलता है ? वैसे तो आप जैसे चला रहे हैं भगवान मालिक है ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसे ही मुझे इस बात का आभास हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलने वाले हैं मैंने नेता सदन को इस विषय में अवगत कराया और वे तुरन्त यहां आये और बैठे रहे । आज बात यह थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश यहां पर आये हैं और उनके साथ पहले से कार्यक्रम तय था । यह शिष्टाचार की बात है कि वे यहां आये हैं और उनके साथ बैठक पहले से तय है और वहां न जाय यह ठीक नहीं रहता । वे स्वयं इस विवशता के कारण गये हैं और पहले एक घंटे बैठे थे । वह हमको निर्देशित करके गये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यदि उनको जाना था तो जैसी परम्परा रही है पीठ को सूचित करके जाना चाहिए था । क्या आपको सूचित किया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं पीठ को सूचित कर रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कदाचित् इस जानकारी से सुविधा हो सकेगी । इस सदन के पहले सत्र में जब माननीय नेता विरोधी दल राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे और माननीय नेता सदन को उस समय नहीं रहना था तो उन्होंने शिष्टाचार के ढंग से पहले ही बता दिया था कि मैं उस समय नहीं रह सकूंगा । मान्यवर, जो परम्पराएं हैं उनका निर्वाह यह इस ढंग से करेंगे । इन मर्यादाओं को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हम न मर्यादा भंग कर रहे हैं न ऐसी बात है । मैं खुद जानकारी दे रहा हूं । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव आया था वह आज तक मौजूद है उस पर हम प्रतीक्षा करते रहे कि कुछ कहा जाता लेकिन जो परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से वह नहीं हो पाया । आज की जो स्थिति है उसका उल्लेख मैंने कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, हम सभी लोगों ने जो कम से कम कई बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, एक परिवर्तन देखा है । अभी कुछ दिनों पहले इस माननीय विधान सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संशोधनकर्ता माननीय सदस्य की जब वह मद पुकारी गई तो वे अनुपस्थित थे । आज की जिस घटना के बारे में यह चर्चा प्रारम्भ हुई है यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं कि यहां के मुख्य न्यायाधीश के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की बैठक पहले से तय थी । एक बात बड़ी खेदजनक है कि पहले यह परम्परा रही है कि विभिन्न विभागों के अधिकारीगण प्रशासनिक विभाग के अधिकारी राज्यपाल गैलरी में और ऊपर की गेलरीज में कम से कम जब नेता प्रति पक्ष और नेता सदन अपनी बात कहते थे, रहा करते थे, प्रश्न काल में भी उन विभागों से सम्बन्धित अधिकारी रहते थे, उनकी उपस्थिति दिखाई देती थी । इसी प्रकार से विधायी कार्यों में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की तरफ से सक्रिय वातावरण हुआ करता था । हम सब का यह पुनीत कर्तव्य है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, हम में सभी को सत्तापक्ष के लोगों को भी, और प्रतिपक्ष के लोगों को भी जो स्वस्थ परम्परायें चली आ रही हैं उन्हें किसी भी मूल्य पर जीवित रखना चाहिए । मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रशासनिक विभाग के अधिकारी जिनका जिन अवसरों पर, सामायिक अवसरों पर उपस्थित रहना समीचीन है उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, कृषि और किसानों की दुर्दशा पर जो मैं अपनी बात कह रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई नई सिंचाई की योजना और न ही नये ट्यूबवैल लगाने का काम कर रही है जिससे सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी होती और न ही कृषि सुधार के लिए कोई मजबूत कदम उठा रही है, अगर कोई कदम उठाती तो निश्चित रूप से तिलहन दलहन के लिए विदेशों पर आश्रित न रहे होते और यह भी सही है कि आज शक्कर का उत्पाद अपने प्रदेश में जो हो रहा है यह सही है कि सबसे ज्यादा हो रहा है लेकिन इस प्रदेश में गन्ने का उत्पादन शक्कर का उत्पादन सारे देश का जो 53 प्रतिशत हुआ करता था आज वह भी सिमट करके 26-27 परसेंट पर आ गया है । एक समय वह भी आ गया था जब यह उत्पादन महाराष्ट्र का सबसे अधिक हो गया और उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर हो गया । अब फिर गाड़ी पटरी पर आ गई और उत्पादन में पहले नम्बर पर उत्तर प्रदेश है लेकिन पहले का लगभग आधा उत्पादक रह गया है वह क्यों रह गया, कारण उसका यह है कि गन्ना किसानों को समय-समय पर उत्पीड़ित किया गया गन्ना खरीदा गया और सालों उनका पेमेन्ट नहीं हुआ गन्ने की कीमत इस तरह से नहीं बढ़ाई गई जिस तरह लागत मूल्य बढ़ाया गया । मान्यवर, जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उस समय लागत मूल्य और गन्ने के मूल्य में संतुलन रखा गया उस समय 10-11 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ा था आज 4-6 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का मूल्य बढ़ाकर सरकार कहती है कि गन्ने के दाम बढ़ा दिए । मान्यवर, खाद की कीमत बढ़ाई गई पानी की कीमत बढ़ाई गई लेकिन उसे हिसाब से नहीं बढ़ाया गया । दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज किसी फसल का समर्थन मूल्य देय होता है तो उसमें खाद, बीज श्रम पानी आदि सारी लागत जोड़ कर रखी जाती है उसके बाद समर्थन मूल्य तय होता है । यह सरकार पता नहीं किसानों की इतनी दुश्मन क्यों बन गई है केन्द्र सरकार ने गेहूं का मूल्य साढ़े पांच रुपये कर दिया वह कब किया अक्टूबर के महीने में कर दिया उसके बाद जनवरी के महीने में जब खाद डालने यूरिया खाद डालने की स्थिति टाप पर हो गई तो उसकी कीमत फिर बीच में बढ़ा दी ।

जब 20 रुपये बढ़ा दिया है तो लागत मूल्य बढ़ गया । आज लागत मूल्य बढ़ गया है तो केन्द्र सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं हम इस सरकार से आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि किसानों को और अधिक गरीब बनाने का काम नहीं करें । गेहूं का क्रय मूल्य केन्द्रीय सरकार नहीं बढ़ाती है न बढ़ाये लेकिन बोनस देने का काम 100 रुपया प्रति क्विंटल, उनकी लागत के बराबर समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे यह इस मांग करत ह । श्रीमन्, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया है सरकार ने, तो निश्चित रूप से गन्ना जो पाकिस्तान से मंगा रहे हैं, दलहन तिलहन मंगा रहे हैं, बाहर से प्रदेश दिवालिया हो रहा है तो गेहू और चावल भी, जैसा पहले जब देश आजाद हुआ था तो दस साल तक मंगाते रहे और लाल गेहूं की रोटी खाने के लिए मजबूर रहे, तो जब तक लागत मूल्य नहीं बढ़ेगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और इससे प्रदेश पर असर पड़ेगा ।

श्रीमन्, उत्पादन बढ़ा है लेकिन मैंने पीछे कहा है कि जिस तरह से गुणात्मक तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से गुणात्मक खद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ेगा इस प्रदेश के सामने बहुत बड़ा सकंट खड़ा हो जायेगा । श्रीमन्, यहां पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी खिलवाड़ किया है । चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो । इन तीनों के बारे में जो जनरल तरीके से कह रहा हूं कि अध्यापकों का अभाव है । चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो या फिर डिग्री कालेज हो । अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चल नहीं पा रही है । एक तरफ तो आप नकल अध्यादेश छात्रों पर लाद दे रहे हैं, जिसके कि हम विरोधी है, आप उनका गला घोंट देना चाहते हैं । जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी ? आपने सामान्य विज्ञान बन्द कर दिया । 10-12 साल से सामान्य विज्ञान विषय चलता रहा लेकिन एक भी स्कूल में सामान्य विज्ञान का पद सृजित हो तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें । जब अध्यापक नहीं नियुक्त कर सके तो सब्जेक्ट को ही आपने बन्द कर दिया तो यह कोई बात नहीं है । उसे खत्म न करें । ऐसे ही यह सरकार हिन्दी और संस्कृति की बड़ी दुहाई देती है लेकिन बड़ी घोर विरोधी है । अंग्रेजियत इनके जमाने में पूरी तरह से आ गयी है क्योंकि इनके अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, बेचारे किसान-मजदूर प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं लेकिन वही हमारी सरकार रही, पीछे कांग्रेस की सरकार रही, उस समय त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत जो सारे देश में लागू हुआ था, संस्कृत हिन्दी के लिए वह लागू थी चाहे वह सरकारी स्कूल हो या कोई और ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं । कृपा कर सदन की गरिमा का ध्यान रखें ।

श्री धनीराम वर्मा–

चाहे वह सरकारी स्कूल हों या मान्यता प्राप्त हों हमारे पास बैठे हुए विपक्ष के बहुत से सदस्य कुछ स्कूलों से कालेजों से जरूर संबंध रखते होंगे । वह अवगत हैं कि पहले त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत अनुदान मिला करता था एक अध्यापक का वह मान्यता प्राप्त विद्यालय जो ग्रान्ट इन एड पर हैं चाहें वह अस्थाई हों या स्थाई हो जितने भी जूनियर हाईस्कूल हों, हाईस्कूल हों, त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत आते हैं, वहां आज इस सरकार ने वेतन भी देना उनको बन्द कर दिया है । इस बजट भाषण में ये घोषणा हुई है कि लड़कियों का शुल्क डिग्री कालेजों की शिक्षा तक माफ करेंगे यह खुशी की बात है । मान्यवर, जो ग्राण्ट एन एड पर महाविद्यालय हैं उनमें तो वेतन देते हैं लेकिन उनका क्या हश्र होगा जो ग्राण्ट इन एड पर नहीं है और शुल्क वसूलते हैं ? तो उसमें जो शुल्क निर्धारित है लड़कियों का उसमें उन महाविद्यालयों को यह सरकार रिइम्बर्समेंट देने की घोषणा करें । मैं यह भी चाहूंगा कि जिन माध्यमिक विद्यालयों में और डिग्री कालेजों में जो जगह खाली पड़ी हुई हैं, कहीं-कहीं तो प्राइमरी विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं हैं, कई जगह तो यह भी स्थिति है माध्यमिक और डिग्री कालेजों में कि जिनमें

अध्यापक रिटायर हो गये या जिनकी मृत्यु हो गयी चाहे वह विज्ञान का विषय हो या गणित का, उस जगह की पूर्ति नहीं की गई है अगर इस संबंध में कोई व्यवस्था की गई है तो सरकार सदन में घोषणा करें। श्रीमन्, यहीं पर पिछली सरकारों ने जो अनुसूचित जाति के लड़के थे उनकी शुल्क मुक्ति पर रिइम्बर्समेण्ट दिया करते थे। लड़कियों के शुल्क में भी लेकिन इस सरकार ने उसे बिल्कुल बन्द कर दिया और कहते हैं कि हम इस प्रदेश में सभी को साक्षर कर देंगे। जब इस तरह से प्राविधान होंगे तो फिर प्राइवेट स्कूल और जो विद्यालय खोले गये हैं उन के अध्यापकों का क्या स्थिति होगी। नये विद्यालय कोई नहीं खोलेगा क्योंकि उसे दिक्कत होगी? सरकार क्षेत्र में आप डिग्री कालेज या माध्यमिक विद्यालय नहीं खोलेंगे प्राइवेट क्षेत्र में जब खुलेंगे तब अनुदान देना पड़ेगा।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए।)

जमीन जब मिलेगा तो अनुदान दे पायेंगे कहां से एक एकड़ चार एकड़ जमीन मिलेगी? आप जमीन की व्यवस्था कराएं अनुदान थोड़ा कम करिये और जमीन देने का काम करिये, सबसे बड़ा काम तो जमीन का है। अगर जमीन मिल जाती है तो लोगों के सहयोग से विद्यालय चलाया जा सकता है लेकिन जमीन नहीं होगी तो विद्यालय खोलना सम्भव है ही नहीं। मान्यवर, आज ग्रान्ट इन ऐड पर विद्यालय को ले नहीं रहे हैं, रिम्बर्समेण्ट दे नहीं रहे हैं, सरकार ने विद्यालयों के खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो शिक्षा की जो डींग हांकी गयी कि वह थोथी और खोखली नहीं है। श्रीमन्, एक और बात की मैं जानकारी देना चाहता हूं और इसलिए देना चाहता हूं कि पता नहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने क्यों और कैसे कर दिया कि अब हाईस्कूल की कक्षाओं में कक्षा 9 और 10 में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और खास करके इतिहास और भूगोल कम्पलसरी नहीं रह गया जबकि प्राइमरी विद्यालयों में इतिहास और भूगोल कम्पलसरी था, जूनियर हाईस्कूल में कम्पलसरी है अब भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कम्पलसरी पढ़ाया जाता है लेकिन माध्यमिक स्तर पर कहते हैं जाग्रफी, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। श्रीमन्, कोई बच्चा तीनों को सामाजिक विषय के रूप में अगर वह लेता है तो उसका अध्ययन अच्छा नहीं हो पायेगा। जब विशेष सब्जेक्ट में रूप में उसको पढ़ता है तब उसकी पढ़ाई जारी रह सकती है। इसमें उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो जब नींव कमजोर हो जायेगी तो भवन कैसे खड़ा होगा? यह भी चिन्ता का विषय है इस पर सुझाव आना चाहिए कि हाई स्कूल स्तर पर जाग्रफी और हिस्ट्री जिस तरह से पहले थी उस तरह से अब भी रहना चाहिए जिससे आगे इण्टरमीडिएट और डिग्री कालेज में जाकर अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को पढ़ सके। श्रीमन्, एक और चिन्ता की बात आपके सामने रख रहा हूं कि बहुत से जूनियर हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज ऐसे हैं इस प्रदेश में जहां प्राइमरी कक्षाएं उनसे संलग्न हैं और ज्यादातर प्राइमरी कक्षाओं को ग्राण्ट इन ऐड पर पहले ही हमारी सरकार ले चुकी है, अब जो विद्यालय थोड़े से रह गये हैं उनको यह सरकार ग्रान्ट इन ऐड पर नहीं ले रही है और वह अध्यापक बंधुवा मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। इस सरकार को चाहिये कि जब अन्य सरकारों ने यह किया तो इस सरकार को उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिये, लेकिन यह सरकार यह क्रम जारी रखना चाहती है।

मान्यवर, यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि बोनस का पैसा नकद नहीं दिया जा रहा है, उसे पी० एफ० में डालने के आदेश दिये गये हैं। कर्मचारी यह देखता है कि बोनस का पैसा मिलेगा, तो उससे अपने बच्चों के लिये कपड़े लायेगा, फीस जमा करेगा और अन्य तमाम जरूरती चीजों में खर्च करेगा, उसी के अनुसार वह अपना बजट बनाता है, लेकिन जब उसे नकद पैसा नहीं मिलता है तो उसे बहुत निराशा होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को नकद बोनस जरूर दें। इसी तरह से मान्यवर, जो कर्मचारियों के पी० एफ० का पैसा है वह उनको नहीं मिल रहा है, उन्हीं का पैसा है और

उन्हीं को नहीं मिल रहा है । वह पी० एफ० से ऋण लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, लड़की की शादी करना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसको पैसा न मिल पाने के कारण इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है ।

श्रीमन्, सारे प्रदेश के लोग यह चाहते हैं कि हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की बराबरी में आ सके । अगर प्रदेश विकसित प्रदेशों की गणना में न भी आ सके तो कम से कम केरल और महाराष्ट्र की बराबरी तो कर सके । उनके सामने तो हम खड़े हो सकें । बड़े दुख की बात है कि हम पिछड़ते चले जा रहे हैं । हमारे प्रदेश का मुख्य धंधा खेती है, लाखों लोग इसमें लगे हुये हैं, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कुटीर उद्योग आप लगा नहीं रहे हैं, उनको आप बढ़ावा दे नहीं रहे है, तो क्या होगा ? लोगों के पास फालतू समय होगा और उनको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये पैसा नहीं होगा और वह गलत रास्ते पर चले जायेंगे । अगर सरकार की यह मंशा है कि प्रदेश में खुशहाली आये तो लोगों को रोजी रोटी से जोड़ना होगा, विद्यालयों में रोजगार पर एक शिक्षा देनी होगी, जो उद्यमी पूंजी निवेश करना चाहते हैं या जो पहले से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि यहां पर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है । जहां पर जंगल राज्य हो, वहां पर कोई अपना उद्योग क्यों लगाना चाहेगा ? आज हमारे प्रदेश में पूंजी निवेश दिनोंदिन गिरता जा रहा है, और आज की स्थिति यह है कि जो पूंजी निवेश पिछले वर्ष, 1997-98 में था, वह 1998-99 में घटकर 61.597 करोड़ रु० रह गया जब कि पिछले वर्ष 72.459 करोड़ रु० था । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने यहां बार-बार घोषणा की है कि हम पूंजी निवेश को बढ़ायेंगे, नये उद्योग-धन्धे खोलने को प्रोत्साहन देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह कैसे प्रोत्साहन देंगे ? मान्यवर, किसी व्यक्ति किसी स्थान पर पूंजी निवेश करने में जो मुख्य चीज है वह है सबसे पहले शांति, व्यवस्था और कानून का राज हो लोग पूंजी निवेश करना चाहेंगे । इसलिए इसके लिए बजट में कहा गया है, वह केवल आंकड़े और किताबी उल्लेख है कि जबकि वास्तविकता से वह पूरी तरह से परे है ।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना जिसके करीब-दो वर्ष बीत गये हैं और 3 वर्ष शेष हैं, लगभग आधा धन व्यय हो चुका है, जो सहायता मिलनी थी वह आधी मिल चुकी है । केन्द्र का जो लक्ष्य है केन्द्र उसे पूरा करेगा हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है । हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यह सरकार, जो केन्द्र सरकार का लक्ष्य, 6 प्रतिशत विकास दर का है उसको प्राप्त करे । और यदि उसने ऐसा किया जैसा विगत वर्ष किया था तो मैं कहूंगा कि 6 प्रतिशत का जो लक्ष्य है उसमें उसका 2 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं होगा, तो फिर यह प्रदेश कहां जायगा ? यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है और उस स्थिति के बारे में नहीं सोच सकेंगे कि भविष्य में क्या होगा ?

श्रीमन्, हम यह भी कहना चाहेंगे कि सार्वजनिक उद्यम, जो एक सफेद हाथी के रूप में पिछले कई वर्षों से जाना जाता है, जिसमें कई ऐसे उपक्रम हैं, निगम हैं, जिनका लेखा-जोखा तैयार नहीं होता है और जिन निगमों का लेखा-जोखा तैयार है उनका आडिट नहीं होता है । मान्यवर, अधिकतर निगम घाटे में जा रहे हैं और उनके घाटे में जाने का मुख्य कारण है अनाप-शनाप अधिकारियों और कर्मचारियों की भरमार । इसके अलावा इन निगमों में अनाप-शनाप सामान का खरीदा जाना और फिर उसका न बिकना तथा सामान का बरबाद होना है ।

सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी थे वह किसी उपक्रम में चले गए वहां से उन्होंने अपने चहेते कर्मचारियों को भी बुला लिया उनका भी वेतन वहां से निकाला हुआ है इससे अनाप-शनाप धन का दुरुपयोग हुआ नहीं तो क्या कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी के पास एक बस होती है तो दूसरे साल वह इस योग्य हो जाता है कि दूसरी बस खरीद ले ? यहां पर परिवहन निगम घाटे में ही चला जा रहा है । कौन बस कहां खड़ी हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है ? प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया बसें और मुनाफा भी होता है ।

नलकूप निगम में 400–500 करोड़ सरकार का व्यय होता है । अब कहा जा रहा है कि नलकूप निगम को समाप्त कर देंगे इससे घाटा तो कम होने वाला नहीं है । आपकी मंशा यह है कि पंचायती राज को दे देंगे और अगर वह नहीं कर पाएंगे तो हम निजी क्षेत्र में बेच देंगे । नलकूप निगम के प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट दिया है सरकार की मंशा पंचायतों को देने की है ।

सम्भवतः पंचायती राज इसमें सफल नहीं होगा और निजी क्षेत्र में यह बेच दिया जाएगा । यह मनमाने तरीके से व्यवस्था की जा रही है । आप सिंचाई की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह निजी क्षेत्र से सिंचाई जब नहीं हो पाएगी तो किसान के पास खाने को नहीं होगा खाने को जब नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी ? सरकार ने पिछले वर्ष कहा था कि 500 नए नलकूप हम लगाएंगे । लेकिन केवल 147 नलकूप लगाए जा सके । इस सरकार की अगर सिंचन क्षमता बढ़ाने की मंशा होती तो सारे के सारे नलकूप लग गए होते । अगर सारे नलकूप लग गए होते तो जायद की फसल भी अच्छी पैदा होती नतीजा हमें विदेश से दाल नहीं लेनी पड़ती । हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है । यह भीख नहीं मांगनी पड़ती । इस सरकार ने बचत का एक और खास तरीका निकाला है तरीका वह क्या है ? हर विभाग में आदेश गया है । प्रमुख सचिव का आदेश गया है ।

आदेश यह दिया कि जो पैसा है चाहे जिला योजना का हो, चाहे विभाग का हो यह लिखकर भेज दो कि 31 मार्च तक वह व्यय नहीं हो पायेगा ! इसलिए पैसा चाहे सिंचाई, सड़क या अन्य मदों का था । वह अधिकारियों द्वारा वापस किया जा रहा है । आप जांच करा लीजिये । जिलों से पैसा अधिकारी भेज रहे हैं इसलिए कि कहीं मुख्य मंत्री जी नाराज न हो जायं । इसलिए होड़ लगी है पैसा भेजने की । जो पैसा विकास कार्यों के लिए था जिला योजनाओं और दूसरी योजनाओं का था वह वापस हो रहा है ताकि गुड इन्टरी हो सके । जैसा मैंने पहले ही कहा था पैसा तो वैसे ही लुट रहा है । श्रीमन्, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की यह मंशा है कि इस प्रदेश का किसान, मजदूर, बुनकर को प्रताड़ित किया जाय और उनका शोषण होता रहे । सरकार यह सोचती है कि इससे वह भाजपा को समर्थन देंगे । यह सोचना आपका सार्थक नहीं होगा, प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से उसका शोषण हो रहा है और सरकार उनका अपमान कर रही है । जनता इसको बर्दास्त नहीं करेगी । आप इन्टरी शुल्क के नाम पर 400-500 करोड़ रुपये वसूल करके सोच रहे हैं कि घाटा पूरा कर देंगे । इन्टरी शुल्क को माननीय मुलायम सिंह जी ने जो पहले चुंगी के रूप में था, जो चुंगी के नाम पर जबरदस्ती वसूली की जाती थी, यहां तक कि दहेज के सामान पर भी चुंगी वसूली की जाती थी, जो अपमानजनक था, उसको खत्म किया था । लेकिन सरकार पुनः उसको इन्टरी शुल्क के रूप में वसूलना चाहती है । इस पर जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जायेंगे यह प्रदेश में कानून लागू हो जायेगा इसलिए श्रीमन्, इस काले कानून को समाप्त कर दिया जाय । मैं यह चाहूंगा कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और इस काले कानून को वापस ले ।

श्रीमन्, अन्त में में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है और अल्पसंख्यकों की विरोधी है । इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का हक नहीं है । उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पिछड़ों की बड़ी दुहाई दे रही है अपने बजट भाषण में उनके कल्याण की बातें कर रही है लेकिन जितना शोषण इस सरकार में पिछड़ों का हो रहा है उतना कभी किसी शासन में नहीं हुआ । 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की बात हमारे मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने कही थी । लेकिन इसको कोर्ट में भेज दिया गया और कोर्ट ने निर्देश दिया कि 1 लाख रुपये से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसके बच्चे को आरक्षण के लाभ से वंचित रहेंगे ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

क्रीमीलेयर के नाम से पुकारा और आप कहते हैं कि सही क्या है ? आप सही कहिये, ठीक बात है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि आज बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी आमदनी एक लाख रुपये वार्षिक से ज्यादा है । महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि जिसकी आमदनी 3-4 हजार रुपये प्रति महीने है और 4-5 सदस्य उसके परिवार में हैं तो दोनों टाईम दाल-रोटी खाने के लिए मयस्सर नहीं है । उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जायेंगे, शिक्षा किसी प्रकार भी से हो भी गयी तो नौकरी नहीं मिलेगी । आपने यह कानून पास कर दिया कि डिग्री कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में, एम०बी०बी०एस० में आरक्षण के नाम पर भरती नहीं होगी, भर्ती इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो काला कानून है ।

श्रीमन्, मैं मांग करता हूं कि महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने से वेतन बढ़ा, महंगाई से वेतन बढ़ा तो क्रीमीलेयर का निर्धारण नये सिरे से हो । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक साल के लिए आदेश है, हर साल समीक्षा हो, इसके लिए कोई प्राविधान नहीं है । सरकार समिति बनाये और समिति बनाकर यह निश्चित करे कि क्रीमीलेयर का स्तर क्या होना चाहिए । यह सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि पिछड़ों का फायदा हो जायेगा । दलितों का आरक्षण पूरा नहीं कर रहे हैं । उच्च नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया । वह पिछड़ा जिनकी जनसंख्या इस देश में आधे से ज्यादा है वह पिछड़ा शोषित, पीड़ित हमेशा से जैसा रहा है वैसे रहने के लिए यह सरकार मजबूर कर रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो कहा गया है वह पूरी तरह से आंकड़ों का भ्रमजाल है, एक मिथ्या संकलन है, एक बहुत बड़ा बहीखाता है, इससे प्रदेश की जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 1999-2000 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह बजट वास्तव में बहुत ही संतुलित, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत एवं सर्वांगीण विकास तथा हर दृष्टि से उपयुक्त बजट है । आर्थिक विकास के साथ-साथ सड़क, विद्युत, कृषि, उद्योग और विकास के हर अंगों पर बड़ी ही पैनी दृष्टि के साथ नजर रखते हुए ध्यान दिया गया है । गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के पिछड़े, दलित वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और समाज के निर्माण के लिए यह बजट पूर्ण रूप से उपयुक्त है । मान्यवर, यह बजट हर पहलुओं पर दृष्टि रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रदेश के पिछड़ी हुई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने इस व्यवस्था में हर अंगों का ध्यान रखते हुए निजी पूंजी निवेश की तरफ ध्यान दिया है । विकास नीति, उद्योग नीति, निर्यात नीति, वन नीति एवं खनिज नीति पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया है ।

मान्यवर, चूंकि बजट के साथ-साथ अन्य अंगों पर ध्यान दिया गया है । लखनऊ शहर में प्रतिवर्ष होने वाले शिया-सुन्नी विवाद जो हो रहा था उसे बड़े ही कुशलतापूर्वक, अपनी कार्य पद्धति से नियंत्रण पा लिया । समाज में और लखनऊ शहर में एक भाई-चारे का सुन्दर वातावरण बना है । गरीब किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है । गांवों के विकास के लिए 70 प्रतिशत धन व्यय करने की व्यवस्था की गयी है, जिससे गरीब किसानों का उत्थान होगा । किसान के हित को देखते हुए गेहूं के बीज पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी गयी है क्योंकि समसामयिक दृष्टि से किसानों पर जो अधिभार बढ़ा था, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया गया है । गन्ना के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 नई चीनी मिलों की स्थापना की और गन्ना मूल्य बढ़ाकर 85 रुपये से 90 रुपये किया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सोचनीय स्थिति थी । प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ध्यान दिया गया है । प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को जहां डेढ़ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहां अब यह नीति बनायी गयी है कि एक किलोमीटर के अन्तर्गत नये विद्यालयों की स्थापना की जायेगी । माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा बहुत ही निम्न रही है । समाज के हर वर्ग को शिक्षा पाने का नैतिक अधिकार है, उससे वह वंचित न होने पाये माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक कन्या हाई स्कूल तथा एक इटर कालेज की स्थापना की व्यवस्था की गयी है । 10 लाख से 20 लाख तक अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है ताकि कन्याओं को शिक्षा मिल सके ताकि प्रत्येक परिवार का सुधार हो । डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था भी की गयी है । राजकीय डिग्री कालेज के साथ-साथ व्यक्तिगत डिग्री कालेज को मान्यता दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है, उसके प्रबन्धतन्त्र को अनेक सुविधायें दिये जाने तथा कन्याओं को डिग्री तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, यह बजट पूर्णरूप से संतुलित है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम है । गांव, गरीब तथा किसान को दृष्टिगत रखते हुए अनेक योजनायें चलायी गयी हैं । चाहे ऊसर सुधार योजना हो, चाहे वैज्ञानिक खेती पर आधारित योजना हो, चाहे किसान सेवा केन्द्र की योजना हो, चाहे किसान बहियों की योजना हो, चाहे नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की योजना हो, इन सारी सुविधाओं को देने की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है और बजट में उसकी व्यवस्था की है । चाहे गन्ना मूल्य में वृद्धि की बात हो, उसकी तरफ भी ध्यान दिया है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । झुग्गी-झोपड़ी के लोगों की तरफ भी इस बजट में पूर्ण ध्यान दिया गया है । चाहे वह आश्रय योजना हो, चाहे इन्दिरा आवास योजना हो, इनके माध्यम से गरीब किसानों को छोटी-छोटी पूंजी के माध्यम से मकान दिये जाने की योजना बनायी गयी है । नारी समाज के उत्थान के लिए पूर्ण ध्यान दिया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से नारियों का जिस प्रकार से शोषण होता था और जमीन में उनका कहीं नाम नहीं जोड़ा जाता था, आज वहां पर विधवाओं का नाम जोड़ने की बात इस बजट में कही गयी है । यह इस सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक कदम है । बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पूर्णरूप से व्यवस्था की गयी है । आज समूह "ग" की परीक्षा का प्रदेश में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में सराहना हो रही है और यह एक अनुकरणीय परीक्षा रही है । इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी तथा धांधली नहीं हुई है । इस प्रकार निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा को कराकर एक रोजगार परख व्यवस्था हमारी सरकार ने की है । दलितों, पिछड़ों, शोषितों आदि के लिहाज से भी देखा जाय तो हर दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी बजट है । सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय । सर्वरूप से प्रदेश के लिए यह एक सुन्दर बजट है । इसलिए मैं पुनः इस बजट की प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि सारे लोग इस बजट की प्रशंसा करें । हर दृष्टि से इस बजट को सुन्दर एवं सन्तुलित बजट की संज्ञा दी जा सकती है । इसी के साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी,

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, बजट पर चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22 फरवरी, 1999 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई । जिसमें पहली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा की सदर तहसील के गोवर्धन क्षेत्र में चकबन्दी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । दूसरी सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(बीडा) द्वारा शासनादेशों के विपरीत लघु एवं सीमान्त कृषकों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना डा० राम बाबू हरित की प्रदेश में बरसात के पानी को वैज्ञानिक विधि से रोक कर कृत्रम रिचार्ज द्वारा भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में विकास कार्यों हेतु अवमुक्त विधायक निधि की धनराशि का वित्तीय वर्ष में ही विकास कार्यार्थ उपयोग सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । शेष सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री परवेज हलीम की अस्वीकृत की गयीं ।

श्री प्यारे लाल शर्मा, जिला चिकित्सालय मेरठ में ए०आर०वी० के० इंजेक्शनों के अभाव में हो रही अकाल मृत्यु तथा नागरिकों के आर्थिक उत्पीड़न के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

[प्रदेश में पागल कुत्ते के काटने पर उसके बयान हेतु प्रदेश के चिकित्सालयों में ए०आर०वी० के इंजेक्शन लगाया जाता है । ए०आर०वी० इंजेक्शन का उत्पादन राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर नैनीताल द्वारा किया जाता है । वर्तमान में उक्त संस्थान की उत्पादन क्षमता 22 लाख एम०एल० प्रतिवर्ष है । वैक्सीन का उत्पादन बजट एवं भेड़ों की उपलब्धता के अनुसार प्रभावित होता है । संस्थान में उत्पादित वैक्सीन की आपूर्ति जिला चिकित्सालयों के उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय अपर निदेशकों के माध्यम से की जाती है ।

2–गत वर्ष भेड़ों की उपलब्धता में व्यवधान के कारण राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडांगर में ए०आर०वी० के उत्पादन में कुछ व्यवधान आया है तथा वांछित मात्रा में उत्पादन सम्भव न हो सकने के कारण आपूर्ति सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो गयी थी । उक्त समस्या के निराकरण हेतु महानिदेशालय स्तर से केन्द्रीय अनुसन्धान कसौली (हिमांचल प्रदेश) एवं पाश्चर्य इंस्टीट्यूट कुनूर (तमिलनाडु) से पांच लाख पचास हजार तीन सौ बीस एम०एल० ए०आर०वी० की आपूर्ति मंगायी गयी थी और उसका वितरण प्रदेश के समस्त मण्डलों एवं जिला चिकित्सालयों को किया गया । प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन के निर्माण में इस वर्ष वैक्सीन इंस्टीट्यूट को नियमित बजट के अतिरिक्त रु० 24.05 लाख का अतिरिक्त बजट का स्वीकृत किया जा चुका है । जिसके फलस्वरूप राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडांगर में वैक्सीन का उत्पादन पुनः प्रारम्भ हो गया है ।

3–वर्ष 1998-99 में श्री प्यारे लाल शर्मा, जिला चिकित्सालय, मेरठ में ए०आर०वी० की आपूर्ति निम्न प्रकार से की गयी है :–

आपूर्ति की माह	आपूर्ति की गयी मात्रा
अप्रैल, 1998	3220 **एम०एल०**
मई, 1998	4000 **एम०एल०**
जून, 1998	4000 **एम०एल०**
जुलाई, 1998	

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1	2
अगस्त, 1998	3500 एम०एल०
सितम्बर, 1998	—
अक्टूबर, 1998	2000 एम०एल०
नवम्बर, 1998	5000 एम०एल०
दिसम्बर, 1998	2400 एम०एल०
जनवरी, 1999	2400 एम०एल०
फरवरी, 1999	3000 एम०एल०

4–उक्त के अतिरिक्त इंजेक्शन रैबीपुर 648 वायल की आपूर्ति श्री प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय मेरठ में की गयी है जो कि चिकित्सालय द्वारा मरीजों को लगायी जा चुकी है।

5–यह भी उल्लेखनीय है कि वैक्सीन का उत्पादन प्रदेश के चिकित्सालयों की आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण विगत माहों में कतिपय चिकित्सालयों में उक्त वैक्सीन की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गयी थी जिसके फलस्वरूप उक्त इंजेक्शन की आपूर्ति में श्री प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में भी प्रभाव पड़ा। वर्तमान में अतिरिक्त बजट के आवंटन हो जाने पर उक्त वैक्सीन के उत्पादन में सुधार हुआ है और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

6–जहां तक बाजार वाले इंजेक्शन आम आदमी को न दिये जाने का प्रश्न है, अवगत कराना है कि ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच करायी जाती है और जांच के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

7–यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कुत्ते के काटने से हाइकोबिया (रैबीज) रोग नहीं होता है, केवल रैबीज से ग्रसित कुत्ते (पागल कुत्ते) के काटने से रैबीज होता है। रैबीज ग्रसित कुत्ते प्रायः प्रत्येक दशा में 10 दिन के अन्दर ही मर जाते हैं, अतः रोगी को रैबीजयुक्त कुत्तों पर नजर रखने की भी सलाह दी जाती है। कुत्ते के मर जाने, गायब हो जाने अथवा पहचान न होने की दशा में कुत्ते काटे व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना आवश्यक होता है।।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने नियम–51 में एक सूचना दी थी कि मेरठ जिले में एनटी रैबिक वैक्सीन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों के आर्थिक उत्पीड़न के बारे में भी कहा था। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन कब तक उपलब्ध करायेंगे। वहां के जिलाधिकारी और मात्र चिकित्साधिकारी ने कहा है। क्या एन्टी रैबिक वैक्सीन के सम्बन्ध में चिकित्सालय का स्वतन्त्र यूनिट घोषित करने पर विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

यह बात सही है कि पैसों की कमी के कारण पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। इस कारण से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैसों की उपलब्धता करा दी है। हम मेरठ के अलावा हर जिले में वैक्सीन की व्यवस्था करा रहे हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैंने स्पैसिफिक मेरठ के बारे में पूछा है यह मेरठ के अलावा अन्य जगहों के बारे में कह रहे हैं। मान्यवर, आवश्यकता आज है। मेरठ में अस्पतालों में लोग हाईड्रोफोबिया के कारण मर रहे हैं। जहां से भी हो सके, वहां पहले उपलब्ध करायें।

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में हम व्यवस्था कर रहे हैं। मेरठ में भी हम उपलब्ध करा देंगे।

प्रदेश में शस्त्र नवीनीकरण हेतु बढ़ाये गये स्टाम्प शुल्क पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद बढ़ी हुई दरों पर स्टाम्प शुल्क लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य विधान सभा श्री अकबर हुसैन ने निम्नलिखित विषयों पर वक्तव्य देने के लिए सूचना दी है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

उक्त विषय पर कर एवं संस्थागत वित्त विभाग का मत निम्नवत् है।

असलहों का लाइसेंस आयुध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत दिया जाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1बी में अनुच्छेद 38ए को जोड़ कर आयुध या गोलाबारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति अर्थात आयुध अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन आयुध या गोलाबारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी का प्राविधान उत्तर प्रदेश में विधेयक के द्वारा किया गया। महामहिम राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 9-9-98 द्वारा दिनांक 15-9-98 से इस प्राविधान को प्रभावी किया गया।

इस समय (क) आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति पर (ख) आयुध नियम 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्न प्रपत्र पर आयुध या गोलाबारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति–प्रारूप ग्यारह, प्रारूप बारह, प्रारूप तेरह, प्रारूप चौदह (ग) आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर (घ) आयुध नियम 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्रों पर आयुध या गोलाबारूद से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, प्रारूप ग्यारह, प्रारूप बारह, प्रारूप तेरह, प्रारूप चौदह पर स्टाम्प ड्यूटी बदली जा रही है।

2–आयुधों की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासन को समय-समय पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों तथा मा० उच्च न्यायालय में दाखिल सिविल मिस रिट पिटिशन संख्या–2897/98(एम/एस) मोहम्मद आशिफ खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा सिविल मिस० रिट पिटीशन संख्या–2896/98(एम/एस) मोहम्मद आरिफ खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। न्याय विभाग से प्रतिवाद की अनुमति मांगी गयी है। अनुमति प्राप्त होने पर प्रति शपथ-पत्र दाखिल किया जायेगा। इस समय कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है।

चूंकि ''शस्त्र अनुज्ञप्ति'' निजी जानमाल की सुरक्षा के लिए होती है तथा तीन साल में एक बार नवीनीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क की बढ़ी हुई धनराशि को वसूल करने से जनता पर व्यय भार बढ़ता है और इससे जन सामान्य को कठिनाई हो रही है। दूसरी और न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं से शासन में न्यायिक कार्यवाही में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।

अतः आयुधों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर (1) रिवाल्वर या पिस्टल (2) राईफल (3) डी०बी०बी०एल० (आयुध) (4) एस०बी०बी०एल० (आयुध) (5) एम०एल० (आयुध) पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्राविधान को वापस लेने हेतु शासन विचार कर रहा है। शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।।

जनपद मथुरा की सदर तहसील के गोवर्धन ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भगोसा में भू-माफियाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

उपर्युक्त सूचना के माध्यम से ब्लाक गोवर्धन के ग्राम भगोसा जनपद मथुरा.....

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

[में भूमि-माफियाओं द्वारा श्याम पुत्र हुकुमी, कारे पुत्र रामजी लाल, रघुबीर, लखन, हीरो पुत्रगण किशन के द्वारा ग्राम सभा के खाता नम्बर 321 के खसरा नम्बर 604, 606 शमशान भूमि तथा खलिहान के खाता सं०–324 के खसरा नम्बर 612, 635 एवं आम रास्ते के खसरा नम्बर 332 पर दीवार खड़ी करने वाले को संरक्षण देने तथा लाला राम उर्फ अशर्फी पुत्र हुकुमी के आबादी स्थल पर खसरा नम्बर 506 एवं 333 पर उपर्युक्त माफियाओं एवं असामाजिक तत्वों द्वारा निर्माण नहीं होने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर जिलाधिकारी मथुरा से जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त वर्णित भूमि माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

22 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

देखिये अता० प्र० सं०–87 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 55–56 पर

सूची अभियोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम अमपद जालौन

(दिनांक 1-7-98 से 30-10-98 तक)

क्र०सं०	थाना	अ०सं०	धारा	दिनांक सूचना	नामजद	गि०/हा०	विवेचना के परिणाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जालौन	289/98	323/504/506 भा०द०वि० एससी/एसटी ऐक्ट	8-7-98	1	1	आरोप प०सं०–16 16-10-98
2	,,	326/98	,,	11-8-98	3	–	विवेचनाधीन
3	रामपुरा	149/98	,,	14-7-98	2	–	,,
4	,,	174/98	,,	13-9-98	2	2	आरोप प०सं०–13 15-8-98
5	कोत० उरई	1017/98	,,	28-10-98	4	–	विवेचनाधीन
6	,,	1022/98	,,	29-10-98	6	6	आरोप प०सं०–20 28-11-98
7	,,	700/98	,,	15-7-98	1	1	आरोप प०सं०–16 5-10-98
8	चुर्खी	154/98	,,	7-10-98	4	2	आरोप प०सं०–16 26-11-98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
9	डकोर	177/98	,,	4-9-98	7	4	विवेचनाधीन
10	कालपी	295/98	,,	4-7-98	4	–	अन्तिम रि० सं०–1 22-8-98
11	,,	403/98	,,	21-9-98	5	2	विवेचनाधीन
12	सिरसा कलां	209/98	,,	10-10-98	2	2	आरोप प०सं०–9 10-11-98
13	कुठौद	201/98	,,	7-9-98	1	1	आरोप प०सं०–6 9-9-98
14	रेढर	185/98	,,	15-9-98	3	–	विवेचनाधीन
15	कोंच	330/98	,,	26-7-98	4	2	आरोप प०सं०–10 4-10-98
16	,,	344/98	,,	4-9-98	2	–	विवेचनाधीन
17	,,	404/98	,,	23-9-98	2	–	,,
18	कैलिया	231/98	,,	20-10-98	4	1	,,
19	जालौन	418/98	,,	5-10-98	2	–	अन्तिम रि०सं०–44 31-10-98
20	कोंच	414/98	504/506/भा०द० वि०एससी/एसटी ऐक्ट	5-10-98	4	–	अन्तिम रि०सं०–5 16-10-98 मय जुर्म खारिजा

अत्र संसद विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 155 विधान सभा (489)-1999–813 (डी० टी० पी०) ।